गोपनीय

सत्यमेव जयते

## बिहार विधान-सभा सचिवालय

# गहलौर जांच-समिति का प्रतिवेदन

सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
१९७२

# गह्लौर जांच-समिति का प्रतिवेदन

# प्राक्कथन

मुंगेर जिलान्तर्गत सिकन्दरा के पहाड़ी अंचल में दीन-दुःखियों की एक छोटी बस्ती गहलौर में दिनांक ३० अप्रील, १९७३ को सिकन्दरा थाना का एक आरक्षी श्री तौहीद खां दुर्भाग्यवश आहत हो गया। उसके प्रतिकार में २ मई, १९७३ की रात्रि में पुलिस ने छापामारी की। जैसा अभियोग है, आरक्षी को मार धोखे से लगी परन्तु पुलिस ने छापामारी में अक्षम्य अतिक्रमण किया। गैर-प्राथमिकी व्यक्तियों को भी बिना कारण कैद किया गया। लूट-पाट की और सबसे अधिक दुःख की बात है कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया। आरक्षी अधिकारियों ने इन अतिक्रमणों पर भारी पर्दा डालने की कोशिश की परन्तु दीन-दुःखी महिलाओं की आवाज लोक-सभा तक जा गूंजी।

बिहार के विधान-सभा में भी श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सदस्य ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी। सरकारी वक्तव्य के बाद वाद-विवाद में सरगर्मी इतनी बढ़ी कि अन्ततोगत्वा सदन के ११ सदस्यों की एक समिति इस काण्ड की जांच करने के लिये बनी।

समिति ने पूरी छानबीन की। आरक्षी को मार क्यों लगी और कितनी लगी, छापामारी क्योंकर की गई और उसमें आरक्षियों ने क्या-क्या अतिक्रमण किया, अधिकारियों ने क्या भूमिका अदा की, आदि विस्तृत जानकारी के लिये जांच-प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

विश्वनाथ मिश्र,<br>
सचिव,<br>
बिहार विधान-सभा<br>
एवं<br>
गहलौर जांच समिति।

## गहलौर जांच समिति के सदस्यगण ।

षष्ठ सत्र, १९७३ ।

(१) श्री शकूर अहमद—उपाध्यक्ष, सभापति ।

सदस्यगण ।

(२) श्री सुनील मुखर्जी, स० वि० स० ।
(३) श्री विजय कुमार मित्र, स० वि० स० ।
(४) श्री हरिहर प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
(५) श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स० ।
(६) श्री कपिलदेव सिंह, स० वि० स० ।
(७) श्री जय नारायण, स० वि० स० ।
(८) श्री एस० के० बागे, स० वि० स० ।
(९) श्री सरयू मिश्र, स० वि० स० ।
(१०) श्री राम शरण प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
(११) श्री भीष्म प्रसाद यादव, स० वि० स० ।

सभा-सचिवालय ।

श्री विश्वनाथ मिश्र, सचिव ।
श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल, संयुक्त सचिव ।
श्री जयनन्दन पाण्डेय, सहायक सचिव ।
श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय ।

# गहलौर जांच समिति का प्रतिवेदन।

---

विषय ।


| | पृष्ठ । |
|---|---|
| (१) भूमिका .. .. .. .. | *i—v* |
| (२) मन्तव्य और निष्कर्ष .. .. .. | १—२४ |

१। परिशिष्ट "क" ।

| | |
|---|---|
| केस रिकार्ड (प्रदर्श) की प्रतिलिपियां (प्रदर्श १ से २६) .. | २५—७३ |

२। परिशिष्ट "ख" ।

| | |
|---|---|
| समिति द्वारा लिये गये मौखिक साक्ष्य (साक्षी संख्या १ से ६६) .. | ७४—९९ |

# भूमिका

इस संसदीय समिति की नियुक्ति के कारण हैं, श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान-सभा के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना एवं उसपर विधान-सभा में सरकारी वक्तव्य से माननीय सदस्यों का असन्तोष। मुंगेर जिलान्तर्गत गहलौर ग्राम की एक घटना से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना, जो सभा में दिनांक ११ जुलाई १९७३ को पढ़ी गई थी, निम्न प्रकार की थी :—

श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ३० अप्रील १९७३ के पूर्वाह्न में मुंगेर जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के गहलौर गांव के बगल में गांव के कुछ गरीब बालक गाय चरा रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी जिसे लम्बी-लम्बी दाढ़ी थी, ने उनलोगों को पुकारा, पुकारने पर सब बालक गांव की ओर भागे। परन्तु मथुरा यादव, पे० किशन यादव, उम्र ११ वर्ष उसके करीब चला गया जिससे दाढ़ीवाले आदमी ने हरिहरपुर गांव किधर है बतलाने को कहा। इधर गांव की ओर भागनेवाले लड़कों ने गांव में हल्ला कर दिया कि एक दाढ़ीवाला आदमी मथुरा यादव को पकड़कर सूई दे रहा है। जिसपर गांव से कुछ लोग दौड़े और आते ही आते उस व्यक्ति के साथ मार-पीट कर दिया। उस आदमी ने कहा कि वह सूई देनेवाले नहीं हैं वरन् थाना का सिपाही है। यह कहना था कि गांव के लोग उसके पैर पर गिर कर नादानी के लिए माफी मांगे। उसे तेल आदि से मालिश कर स्नान आदि कराकर भोजन कराया और फिर सड़क पर आकर मोटर में बिठा दिया। सिपाही ने भी गांववालों को जो हरिजन और पिछड़े जाति के हैं माफ कर दिया। परन्तु २ मई १९७३ की रात्रि में १-१½ (डेढ़) बजे से दो बजे के बीच जमुई के वर्त्तमान उप-आरक्षी अधीक्षक के आदेश पर बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जवान और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पूरे गांव को जब सब लोग गाढ़ी निद्रा में थे घेर लिया और घर-घर का किवाड़ तोड़कर, उचटा कर और खुलवाकर बूढ़े और बूढ़ियों को लाठी से अत्यन्त बेरहमी के साथ मारपीट किया तथा नवयुवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनलोगों के घरों से नकद रुपये, खाने-पीने के बर्त्तन और मुर्गा-मुर्गी आदि लेकर तथा एक दर्जन बूढ़े लोगों को गिरफ्तार कर चले गये। रास्ते में मिरजागंज गांव में तथा सिकन्दरा में पुनः बेरहमी के साथ मारपीट किया गया। १ मई १९७३ के अनुमंडलीय क्राइम मीटिंग में सशस्त्र पुलिस के जवानों को बुलाकर उप-आरक्षी अधीक्षक, जमुई ने स्पष्ट रूप से महिलाओं के साथ बलात्कार करने तथा गांव में जुल्म करने का आदेश दिया तथा अन्य लोगों को भेजकर स्वयं सिकन्दरा डाक बंगला में प्रतीक्षा कर रहे थे। उप-आरक्षी अधीक्षक के इस जुल्म से सारे क्षेत्र में रोष,

असंतोष और आतंक का वातावरण व्याप्त है। अतः सरकार शीघ्र उचित कार्रवाई कर उप-आरक्षी अधीक्षक जमुई को उसके अमानवीय और निन्दनीय कार्य के लिए दंडित करें।

इस प्रस्ताव पर सरकारी वक्तव्य दिनांक ११ जुलाई १९७३ को उद्योग मंत्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह ने दिया जो निम्नलिखित था :—

"अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, स०वि०स०, ने अपने दिनांक ७ जुलाई १९७३ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह आरोप लगाया है कि जमुई के आरक्षी उपाधीक्षक ने ग्राम गहलौर थाना सिकन्दरा, जिला मुंगेर के ग्रामीण तथा उस ग्राम के बच्चे, बूढ़े एवं औरतों को बड़ी बेरहमी से मारा-पीटा और युवतियों के साथ दुर्व्यवहार किया। आरक्षी उपाधीक्षक के इस अमानवीय व्यवहार से उस ग्राम की जनता में असंतोष, भय तथा आतंक फैला हुआ है। जांचोपरान्त यह पता चला है कि आरक्षी उपाधीक्षक, जमुई के विरुद्ध में इस प्रकार का एक आरोप श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने दिनांक ९ मई १९७३ को महानिरीक्षक के ध्यान में लाया था। शिकायत मिलते ही आरक्षी महानिरीक्षक ने इसे आवश्यक जांच के लिये तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर, श्री सहदेव राम को आदेश दिया था। आरक्षी अधीक्षक ने इस संबंध में जांच की और आवश्यक प्रतिवेदन भेजा जिसके आधार पर निम्नलिखित तथ्यें प्रकाश में आए :—

दिनांक २८ अप्राल १९७३ और २९ अप्रील १९७३ को सिकंदरा थाना के आरक्षी नं० ८०२ तौहिद खां रात्रि गस्ती में प्रतिनियुक्त किये गये थे। इसके साथ ही उन्हें राम सहाय मांझी, वल्द एतवारी मांझी, तुलाडीह, थाना सिकंदरा के विरुद्ध जी० आर० आरोप सं० ६४८/७१ में कुर्की-जप्ती वारंट तामील करने का आदेश भी दिया गया था। इसी क्रम में जब संबंधित आरक्षी तुलाडीह ग्राम दफादार गंधारी सिंह और चौकीदार किशुन के साथ जा रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि राम सहाय मांझी गहलौर ग्राम में ईंट पाथने का काम कर रहा है। जब वे उस ग्राम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति एक खेत में ईंट पाथने का काम कर रहे हैं। संबंधित आरक्षी ने उन व्यक्तियों से कुछ पूछताछ शुरू की। उसी बीच में उसमें से एक व्यक्ति गांव की ओर भागा। उपरोक्त आरक्षी ने उसका पीछा किया लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। आरक्षी ने गांववालों को कहा कि वारंट को छिपाने के लिये उनलोगों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया जायगा। इतना कहने के बाद जब वह गांव से कुछ ही दूर गया था कि कुछ गांववालों ने उसका पीछा किया और निर्दयता से उसपर प्रहार किया। उनके साथ के दफादार तथा चौकीदार भागकर ग्राम राधानगर गये और वहां के ग्रामीणों को इस घटना से अवगत कराया। इसी बीच उपरोक्त आरक्षी को उस गांव में

ले जाया गया। उसकी कमीज फटी हुई थी और खून साफ किया हुआ लग रहा था। ग्राम में पहुंचने पर उनके सर के जख्म को भी धोया गया। इसी बीच ग्राम मिरजागंज के भूतपूर्व मुखिया रामचन्द्र प्रसाद उपरोक्त चौकीदार एवं दफादार के साथ राधानगर आये और जख्मी आरक्षी को मिरजागंज ले गये जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और तदुपरान्त सिकंदरा अस्पताल में ले जाया गया। उपरोक्त आरक्षी के बयान के आधार पर सिकंदरा थाना कांड सं० १३, दिनांक ३० अप्रील १९७३ धारा ३०७, ३२६, ३९३, ३७१, २०१, भा०दं०वि० अंकित किया गया। प्राथमिकी में २१ व्यक्तियों का नाम अभियुक्त में दिया गया। अन्य. अभियुक्त अज्ञात थे। अपराध अंकित होने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा धावा किया गया जिसके फलस्वरूप १२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से ४ प्राथमिकी और ८ अप्राथमिकी के अभियुक्त थे। अन्य १७ प्राथमिकी के अभियुक्तों ने दिनांक ८ मई १९७३ को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पहचान परेड के दौरान २४ अभियुक्तों को जख्मी सिपाही ने पहचाना। जिन ५ प्राथमिकी के अभियुक्तों को पहचान परेड में नहीं पहचाना जा सका, उन्हें ११ मई १९७३ को जमानत पर छोड़ दिया गया।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गांव वालों का कथन था कि उनलोगों ने समझा था कि गांव में कोई बाहरी सूई देने वाला आया है जैसा कि अफवाह कुछ दिनों से चल रहा था। इस नासमझी के कारण उपरोक्त सिपाही पर प्रहार किया गया। ग्रामीणों के इस बचाव को इसलिये स्वीकार नहीं किया गया कि उपरोक्त सिपाही पूरे वर्दी में था तथा उसके साथ दफादार तथा चौकीदार भी था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिपाही सिकन्दरा थाना में २ सालों से पदस्थापित है और उस क्षेत्र में बहुत बार गया हुआ है।

जह तक आरक्षी उपाधीक्षक, जमुई के द्वारा पुलिस पार्टी के साथ धावा करने का प्रश्न है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस रात्रि को धावा दिया गया, आरक्षी उपाधीक्षक, जमुई सिकन्दरा डाक बंगला में थे। छापा मारनेवाले दल में थाना प्रभारी सिकन्दरा, थाना आरक्षी सहायक, अवर-निरीक्षक, सिकन्दरा थाना तथा थाना प्रभारी हल्सी थाना तथा सशस्त्र पुलिस दल तथा ग्रामीण लोग भी थे। बूढ़ी औरतें एवं अन्य औरतों के साथ दुर्व्यवहार तथा पुरुषों को पीटे जाने के आरोप को असत्य पाया गया। दंडाधिकारी के समक्ष भी गिरफ्तार अभियुक्तों में से कोई भी पीटे जाने का आरोप नहीं लाया। हो सकता है कि कुछ ग्रामीण को पुलिस गस्ती दल के द्वारा पीछा किये जाने पर कुछ मामूली चोटें आयी हों। कोई भी ग्रामीण अन्य या किसी भी जख्म परीक्षा के लिये नहीं आये थे। छापा प्रातःकाल ४ बजे किया गया था।

अभीतक जांच से यह भी पता चला है कि उपरोक्त सिपाही को पाकिस्तानी जासूस कहकर इसलिये प्रहार किया गया चूंकि वह वारंट तामिला के लिये गया

हुआ था। आरक्षी उप-महानिरीक्षक, पूर्वीय क्षेत्र ने वर्त्तमान आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर श्री देवी चरण सिन्हा को अभी हाल ही में यह आदेश दिया है कि उन आरोपों को स्वयं स्थानीय रूप से जांचकर प्रतिवेदन शीघ्र दें। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।"

सभा को इस उत्तर से कतई संतोष नहीं हुआ। सदन के दो माननीय सदस्य श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह और श्री रामेश्वर पासवान घटना का समाचार पाकर यथाशीघ्र स्वयं गहलौर गये थे और लोगों से जानकारी प्राप्त की थी। उनलोगों ने सरकारी वक्तव्य की कटु आलोचना की और सदन को अपनी जानकारी के आधार पर प्राप्त समाचार से अवगत कराया। आरक्षी की कथित धांधली की जांच आरक्षी के पदाधिकारी द्वारा ही कराई जा रही थी, और वह भी उसी उप-आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से जिसपर मुख्य आरोप था, यह सदस्यों के असंतोष का मूल कारण था। यह सही है कि सरकार को स्वयं उस जांच से संतोष नहीं था, इसलिये सरकार ने पुनः मुंगेर में नये पदस्थापित आरक्षी अधीक्षक को जांच का आदेश दिया था पर सदन को इसपर कई-एक कारणों से भरोसा नहीं हुआ और सभा ने घटना की जांच के लिये सदन की एक समिति की नियुक्ति की पुरजोर मांग की। सदन का वातावरण काफी गंभीर हो गया। वाद-विवाद के दौरान, सदन के वातावरण को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री भी इसमें सहमत नजर आये और सारा भार अध्यक्ष महोदय पर उन्होंने सौंपा। वे कभी-कभी विकल्प में घटना की न्यायिक जांच भी कराने को तैयार होते थे और दिनांक १३ जुलाई १९७३ को सदन में यह घोषणा की गई कि भागलपुर के आयुक्त को घटना की जांच का आदेश दिया जा रहा है। परन्तु उससे पहले ही सदन में जो निर्णय लिया गया था, उस आधार पर अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न दल के नेताओं और मुख्य मंत्री की बैठकें बुलाकर अनेकों बार विचार-विमर्श किया था और सदन की समिति की नियुक्ति का अन्तिम निणय ले लिया गया था। तदनुसार समिति की नियुक्ति होनी ही थी, और दिनांक १३ जुलाई १९७३ को अध्यक्ष महोदय ने सदन में निम्नलिखित घोषणा की :—

"चूंकि श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सदस्य, बिहार विधान-सभा की एक ध्यानाकर्षण सूचना के अनुसार दिनांक २ मई १९७३ की रात्रि में लगभग डेढ़ बजे ग्राम गहलौर, प्रखंड सिकन्दरा, जिला मुंगेर में जमुई के उप-आरक्षी अधीक्षक के आदेशानुसार सशस्त्र पुलिस के जवानों ने तथा अन्य आरक्षी अधिकारियों ने गांव में लूटपाट तथा औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उस घटना के विषय में आरक्षी अधीक्षक के प्रतिवेदन से सरकार स्वयं संतुष्ट नहीं है।"

इसलिए मैं, हरिनाथ मिश्र, अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा, विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग

करते हुए, वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए, सदन की एक समिति क्त करता हूं, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(१) श्री सुनील मुखर्जी।
(२) श्री विजय कुमार मित्र।
(३) श्री हरिहर प्रसाद सिंह।
(४) श्री कर्पूरी ठाकुर।
(५) श्री कपिलदेव सिंह।
(६) श्री शकूर अहमद।
(७) श्री जय नारायण।
(८) श्री एस० के० बागे।
(९) श्री सरयु मिश्र।
(१०) श्री राम शरण प्रसाद सिंह।
(११) श्री भीष्म प्रसाद यादव।

नियमानुसार उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद इस समिति के सभापति होंगे।

विधान-सभा के सचिव इस समिति के सचिव होंगे।

समिति का कार्य होगा कि कथित घटना की पूरी छानवीन करे और इस संबंध में अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र दे।

समिति को अपने कार्य सम्पादन की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार निर्णय करने की पूरी शक्ति होगी।"

सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए समिति ने यथाशीघ्र जांच आरम्भ कर दी। समिति दिनांक २२ जुलाई १९७३ को गहलौर गई और वहां के ग्रामीणों का साक्ष्य लिया। फिर उसी दिन जमुई निरीक्षण भवन में प्रशासी एवं आरक्षी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का साक्ष्य लिया। डाक्टर और डी० आई०-जी०, सी०आई०डी० का बयान पटने में भी लिया गया। आवश्यक अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। समिति के समक्ष ६६ साक्षियों का साक्ष्य हुआ। जिन कागजात को समिति ने आवश्यक समझा उसकी भी प्रतिलिपि प्राप्त की गई। साक्षियों के बयान और आवश्यक कागजात की प्रतिलिपि परिशिष्ट में खे जा सकते हैं।

# मन्तव्य और निष्कर्ष

१। यह जांच मुंगेर जिलान्तर्गत सिकन्दरा थाना के गहलौर ग्राम में १ और २ मई, १९७३ के बीच की रात में हुई घटना के संबंध में है। जो घटना घटी वह थी पुलिस द्वारा की गई छापामारी। पुलिस ने उस रात वहां छापामारी की, यह निर्विवाद है। परन्तु छापामारी में उन्होंने क्या किया, सीमा का अतिक्रमण किया या नहीं, और किया तो किस तरह से किया, यह विवादास्पद है। इस संबंध में समिति के समक्ष दो तरह के विवरण हैं, एक पुलिस द्वारा दिया गया विवरण और दूसरा श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना तथा गहलौर की जनता से प्राप्त विवरण। इन दोनों विवरणों पर विचार करने के पहले उनकी पृष्टभूमि पर भी जो पृथक-पृथक हैं, दृष्टिपात करना आवश्यक है। उन दोनों पृष्टभूमि में इतना निर्विवाद है कि सिकन्दरा थाने का एक सिपाही श्री तौहीद खां ८०२, ३० अप्रैल १९७३ के पूर्वाह्न में गहलौर ग्राम के समीप गहलौर के कुछ लोगों द्वारा पीटे गये थे। परन्तु वह क्यों पीटे गये और उसे कितनी मार पड़ी, यह फिर विवादास्पद है। पुलिस की जो छापामारी हुई उसके औचित्य पर विचार करने के लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि सिपाही को कितनी मार पड़ी और क्योंकर पड़ी इसकी जानकारी हो। अतएव असली तथ्य पर पहुंचने के लिये ३० अप्रैल १९७३ वाली घटना से ही हमें प्रारम्भ करना है।

२। ३० अप्रैल १९७३ वाली घटना का व्योरा साक्षी संख्या ३८ श्री तौहीद खां की प्राथमिकी (प्रदर्श-२) से प्राप्त होता है। ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब भी उसी प्राथमिकी पर आधारित है, अतएव हम प्राथमिकी की ही ओर पहले दृष्टिपात करें। तदनुसार केस यह है कि श्री तौहीद खां ८०२, को २८ अप्रील से ३० अप्रील १९७३ तक मौजा लछुआर तथा कुछ निकट के गांवों में रात्रि गश्ती करने का कमान्ड मिला था। उसी कमान्ड पर उन्हें तुलाडीह ग्राम के राम सहाय मांझी नामक एक व्यक्ति पर एक दंडाधिकारी के न्यायालय का वारन्ट भी तामील करने का आदेश दिया गया था। ३० अप्रील १९७३ के प्रातःकाल लगभग सात बजे, श्री तौहीद खां, तुलाडीह मौजे में पहुंचे, तो उन्हें बताया गया 'कि राम सहाय मांझी ईंटा पाथने के लिये गहलौर वस्ती में गया हुआ था। तुलाडीह से श्री खां गहलौर के लिये चले और रास्ते में ग्राम रिसरी में दफादार गेन्धारी और चौकीदार किसुन गोप से मिले। वहां से तीनों गहलौर की ओर बढ़े। जब वे वस्ती के निकट पहुंचे तब उनलोगों ने कुछ व्यक्तियों को वस्ती के बाहर ही ईंटा पाथते देखा। ईंटा पाथनेवालों से उन्होंने ज्योंहीं राम सहाय मांझी के विषय में जिज्ञासा की, उनमें से एक आदमी वस्ती की ओर भागा। श्री खां को संदेह हुआ कि वही राम सहाय मांझी होगा और इसलिये तीनों आदमियों (सिपाही, दफादार और चौकीदार) ने भागते हुए आदमी को रगेदा। परन्तु ये उसे पकड़ नहीं सके, और वह आदमी कहीं वस्ती

में छिप गया। इन तीनों ने वस्ती के लोगों से राम सहाय के विषय में पूछा तो किसी ने उसका पता नहीं बताया। अंत में श्री खां ने उनसे कहा कि वारन्टी को उनलोगों ने छिपाया है, इसलिये वे उनपर केस करने जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए वे तीनों वहां से चले। गांव से थोड़ी ही दूर वे गये थे, कि पीछे से लगभग एक सौ ग्रामीण लाठी लेकर मारो-मारो की आवाज देते हुए दौड़े और सिपाही पर पिल पड़े। ग्रामीणों के दल का नेतृत्व श्री लालो गरेड़ी कर रहे थे। उनके ललकारने पर गांव वाले ,सिपाही पर लाठी चलाने लगे और जैसा प्राथमिकी में कहा है उनलोगों ने लाठी के हूरे से श्री तौहीद खां के दो दांत भी तोड़ दिये, जिनमें से एक तो पूरा टूट गया और एक केवल आधा। चोट के कारण श्री तौहीद खां गिर गये। चौकीदार और दफादार दोनों वहां से भाग गये और भागकर वे ग्राम राधानगर चले गये जहां उन्हें श्री रामचन्द्र गुप्ता, भूतपूर्व मुखिया से मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने सारी बातें कह सुनाईं।

३। इधर सिपाही को मारने वालों ने यह सोचा कि सिपाही उन्हें फंसा देंगे, इसलिये अच्छा होता कि वे सिपाही को जला ही देते। ऐसा सोच कर सिपाही को टांग कर वे गहलौर वस्ती में ले गये और एक बड़े वट वृक्ष के नीचे शाम्बे स्टेट की कचहरी के पास रखा। सिपाही की कमीज पर कुछ खून के दाग लग गये थे, जिसे वस्तीवालों ने धो दिया। सिपाही की जेब से उनके सोलह रुपये उनलोगों ने निकाल लिये। इसी बीच श्री रामचन्द्र गुप्ता, दफादार और चौकीदार के साथ वहां पहुंच गये और उन्होंने सिपाही की जान बचा दी। वे वहां सिपाही को मीरजागंज (जहां पर पक्की सड़क है) ले आये और एक हकीम साहब से उन्हें कुछ दवा दिलवाई। मीरजागंज से सिपाही सिकन्दरा गये और वहां थाने में करीब ६ बजे संध्या को इन्होंने अपनी प्राथमिकी दायर की। प्राथमिकी में उन्होंने २१ अभियुक्तों का नाम दिया है और बताया कि बकिये को देखकर वे पहचान सकेंगे। जो नाम दिये गये हैं वे दफादार और चौकीदार से उन्हें मिले।

४। सिपाही को अस्पताल भेज दिया गया जहां उन्हें भर्त्ती कर लिया गया। ८-१० दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। डॉक्टर ने जो प्रमाण-पत्र दिया उसमें भी चोट के कारण दो दांतों के टूटने की बात कही और इन दोनों चोटों को ग्रीभियस बताया। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर धारा ३०७, ३२५, आदि भा० द०स० का एक केस भी दर्ज किया।

५। समिति के समक्ष जो ब्यान हुए और जो कागजात हैं उनसे पता चलता है कि १ मई १९७३ को अहले सुबह सिकन्दरा के थाना प्रभारी श्री बिंध्याचल प्रसाद एक दफादार और एक सिपाही के साथ जांच-पड़ताल के लिए गहलौर गये पर उन्हें कुछ भी इन्क्रीमीनेटिंग (जिससे दोष साबित हो सके) नहीं मिला और वे वापस चले आये।

६। बयान से यह भी स्पष्ट है कि १ मई १९७३ को जमुई में क्राइम मीटिंग थी जहां अनौपचारिक रीति से इस विषय पर भी कुछ बातें हुई थीं। श्री मृत्युन्जय कुमार झा, डी०एस०पी० ने प्रायः निजी तौर पर यह सोचा कि बस्ती में पुलिस के एक दल को भेज कर अभियुक्तों को पकड़ने के लिये छापामारी की जाय। हलसी के थानेदार भी वहां आये हुए थे और श्री झा ने उन्हें भी छापामारी में जाकर सिकन्दरा के थाना प्रभारी को मदद देने का आदेश दिया और उन्हें ९-१० बजे रात्रि में सिकन्दरा डाक बँगले में बुलाया। इधर जमुई से श्री झा ८।१ (आठ सिपाही और एक हवलदार) का सशस्त्र दल लेकर सिकन्दरा डाक बंगले में पहुंचे। रात्रि गश्ती में ४।१ का सशस्त्र दल भी वहां पहुंचा हुआ था। हलसी और सिकन्दरा के थानेदार और कुछ अन्य पदाधिकारी भी आये थे। पदाधिकारियों को छापामारी का आदेश देकर श्री झा डाक बंगले में विश्राम करने चले गये।

७। पुलिस दल ने सिकन्दरा थाना प्रभारी श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह के नेतृत्व में उसी रात (१ और २ मई, १९७३ की बीच की रात) छापामारी की। ब्यान के अनुसार यह छापामारी लगभग ४-५ बजे सुबह की गयी जिसमें १२ व्यक्ति पकड़े गये। इन १२ में से ४ तो प्राथमिकी के अभियुक्त थे और ८ वैसे थे जो संदेह मात्र पर पकड़े गये थे। बकिये लोग गांव से भाग गये और पकड़े नहीं जा सके। सरकारी गवाहों के बयान के अनुसार पुलिस दल किसी के घर में नहीं गया और किसी तरह की सीमा उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना में तथा ग्रामीणों के साक्ष्य के अनुसार पुलिस दल ने लूटपाट की, जोरजुल्म किया और औरतों पर बलात्कार भी किया। पुलिस दल के लोगों ने इन आरोपों का खण्डन करते हुए इन्हें निराधार बताया है। यह छापामारी, पुलिस के अनुसार चार-पांच बजे सुबह की गई थी, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार लगभग दो बजे रात्रि में ही की गई थी।

८। अब हम ध्यानाकर्षण सूचना तथा ग्रामीणों के साक्ष्य पर आधारित विवरण की ओर देखें। सुविधा के लिये इसे विपक्षी का ब्यान कहा जा सकता है। इसके अनुसार सरकारी ब्यान में बहुत-सी गलत बातें बताई गई हैं जो जगह-जगह पर बताई जायेंगी।

९। विपक्षियों के अनुसार, राम सहाय मांझी पर जो वारन्ट की तामीली की बात कही जाती है, वह एकदम निराधार और आफ्टर थौट है। इनके अनुसार रामसहाय पर ३० अप्रील १९७३ को कोई भी वारन्ट लम्बित नहीं था, क्योंकि उसके तीन-चार दिन पहले ही यह अदालत में हाजिर हो गये थे, और ज़मानत पर छूट चुके थे। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि इसे अब पुलिस भी स्वीकार करती है, परन्तु कहती है कि न्यायालय ने थाने को इसकी सूचना नहीं दी थी, और वारन्ट को रिकौल नहीं किया था। अतएव उन्हें वारन्ट तामील

करना ही था। जो कुछ भी हो, श्री तौहीद खां को ३० अगस्त १९७३ को मार पड़ी थी इसमें कोई विरोध नहीं है। किस तरह से, क्योंकर और कितनी मार पड़ी इस पर काफी विरोध है। विपक्षियों का कहना है कि ३० अप्रील १९७३ को लगभग आठ बजे सुबह श्री तौहीद खां ग्राम बालापुरसंडा के मुखिया श्री रामेश्वर प्रसाद यादव के यहां से भोजन कर ग्राम हरिहरपुर के लिये चले। रास्ते में जब वे गहलौर के निकट आये तो वहां कुछ चरवाहों (बच्चों) को गांव के बाहर ही मवेशियों को चराते देखा। उनमें से किसी (मथुरा) को पुकार कर उन्होंने हरिहरपुर का रास्ता पूछना चाहा। श्री तौहीद खां को दाढ़ी थी और उनके पास एक झोला भी था। वह समय ऐसा था जब कि देहातों में यह अफवाह जोर से फैली हुई थी कि बहुत-से लोग, सूई देने वाले, चुपचाप जहां बच्चों को देखते हैं वहां जा कर उन्हें सूई दे देते हैं जिससे उनकी मृत्यु तुरत या थोड़ी देर के बाद हो जाती है। उन दिनों ऐसी घटनाओं की सूचना बराबर समाचार-पत्रों में भी निकला करती थी। साथ-साथ यह भी होता था कि जब कभी अपरिचित व्यक्तियों को सूई देनेवालों के संदेह में ग्रामीण मारा-पीटा भी करते थे, और कभी-कभी तो जान भी मार देते थे। श्री तौहीद खां की दाढ़ी और झोला को लेकर चरवाहों को संदेह हुआ कि यह सूई देने वाला है, और इसलिए उनके बीच भगदड़ मच गई। जैसा ऊपर कहा है, मथुरा से सिपाही ने हरिहरपुर का रास्ता पूछा था। शायद उससे छाता भी मांगा था। किसी औरत ने यह देखा और बस्ती में जाकर उसने यह कह दिया कि एक आदमी मथुरा को सूई दे रहा था। इतने पर बस्ती के कुछ लोग लाठी लेकर दौड़े और सिपाही को लाठी से मारने लगे। यह बात लगभग दस बजे दिन की ही है। सिपाही ने तुरत अपना नाम बताया और कहा कि वह सूई देने वाला नहीं बल्कि थाना का एक सिपाही है। श्री खां प्रायः पूरी वर्दी में भी नहीं थे। ज्योंही उन्होंने अपना परिचय दिया, लोगों ने मारना बंद कर दिया और उन्हें उठाकर वे बस्ती में ले आये और बड़ के पेड़ के नीचे रखा। लोगों को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री तौहीद खां से माफी भी मांगी। श्री खां ने भी उन्हें माफ कर दिया। श्री शिवू यादव और फौदी यादव दोनों दौड़ कर राधानगर पहुंचे जहां उन्हें श्री रामचन्द्र गुप्ता भूतपूर्व मुखिया से मुलाकात हुई। गुप्ता जी से उन्होंने सारी बातें कहीं। गुप्ता जी उनके साथ गहलौर आये। सिपाही को चार पांच-लाठी की चोट लगी थी। सिपाही से उन्हें यही पता चला कि बस्तीवालों ने धोखे में नासमझी के कारण उन्हें मारा और माफी मांगने पर उन्होंने (सिपाही) बस्ती वालों को माफ भी कर दिया। सिपाही को सिर के पीछले भाग में एक ऐसी चोट थी जिससे थोड़ा-थोड़ा खून आ रहा था। उनकी कमीज पर कुछ खून की बूंदे भी थीं। ग्रामीण ने उनके घाव धोए, उनकी कमीज साफ की, मालिश वगैरह कर उन्हें स्नान करवाया और लस्सी पिलाई। उसके बाद सिपाही ने अपने झोले से एक कलीदार कुर्त्ता निकाल कर नमाज भी पढ़ी। लगभग २-३ बजे दिन में सिपाही को लेकर श्री रामचन्द्र गुप्ता मिरजागंज आये।

मिरजागंज में उन्होंने सिपाही को ए० टी० एस० की सुई दिलवाई और २०—२५ रु० की दवा भी दिलवा दी। उस समय तक फौदी यादव और शिवू यादव भी सिपाही के साथ थे। उसके बाद कोई यात्री बस जा रही थी, जिसे रोककर गुप्ता जी ने उस पर सिपाही को बैठा दिया उसी पर चढ़ कर सिपाही सिकन्दरा पहुंच गये। ३० अप्रील १९७३ की घटना यहीं समाप्त होती है।

१०। जहां तक १ मई १९७३ के प्रातःकाल में सिकन्दरा के थानेदार द्वारा वस्ती में अनुसंधान का प्रश्न है इस विषय पर विपक्षियों का कोई खास केस नहीं है। पुलिस के अनुसार भी तो उन्हें कुछ इन्क्रिमिनेटिंग नहीं मिला।

११। अब हम १ और २ मई के बीच वाली रात की घटना पर आवें। सुविधा के लिये इसे हम २ मई वाली घटना कह सकते हैं क्योंकि जो भी घटना घटी वह बारह बजे रात के बाद ही घटी। विपक्षियों का कहना है कि जब वे गाढ़ी निद्रा में डेढ़-दो बजे रात में थे तो पुलिस के सशस्त्र दल ने उन पर छापा मारा। उन्होंने अन्धाधुन्ध बिना किसी विवेक के लोगों को कैद करना ही नहीं शुरू किया, बल्कि बेतरह मारना-पीटना और लूटपाट करना शुरू कर दिया। गांव में एक भगदड़-सी मच गई। जो भाग सकते थे भागने लगे और जो न भाग सके वे मार खाने लगे और पकड़े गये। इतना ही नहीं पुलिस बलपूर्वक किवाड़ी को तोड़ कर या उचटा कर घरों में घुस गई और औरतों के साथ विशेष कर युवतियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया। वैसा करने के बाद पुलिस दल सुबह लगभग सात बजे लूटे हुए सामानों के साथ, और उन बारह व्यक्तियों के साथ जिन्हें कैद कर लिया गया था, सिकन्दरा वापस गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जिनलोगों को कैद किया उन्हें गहलौर में ही नहीं बल्कि रास्ते में भी निर्दयतापूर्वक मारा-पीटा गया। समिति के समक्ष ब्यान में ऐसा भी आया है कि उनमें से एक धनेसर मांझी जेल से वापस आने के तीन दिन के बाद मर गया, और एक मितरु यादव जिसे मार लगी और जो पकड़ा गया टी० बी० का मरीज था।

१२। विपक्षियों का यह भी कहना है कि इस छापामारी के एक दिन बाद गेन्धारी दफादार वस्ती में आया और उसने भी काफी लूटखसोट की। लोगों ने रामचन्द्र गुप्ता को ये सभी बातें कहीं और पैरवी करने के लिए भेजा। गुप्ता ने थाने में आकर जब जोर-जुल्म रोकने के लिये प्रार्थना की तो उसे प्रायः कहा गया कि चूंकि पुलिस को मार पड़ी है यह क्रम अभी पांच-छः दिनों तक चलेगा।

१३। दोनों पक्षों के कथनों प मिति के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं:—

(१) क्या ३० अप्रील १९७३ वाली घटना उस तरह घटी जिस तरह प्राथमिकी में दर्ज है? अगर नहीं, तो उसमें क्या सच है और क्या झूठ है?

(२) २ मई १९७३ की पुलिस छापामारी किस तरह की गई और उसमें क्या-क्या किया गया ?

(३) क्या पुलिस की छापामारी नियमानुकूल और न्यायसंगत (जस्टीफायड) थी ?

(४) प्रशासी स्वास्थ्य एवं आरक्षी पदाधिकारी ने इस कांड में कैसी भूमिका अदा की ?

१४। अब हम प्रथम प्रश्न पर विचार करें। दोनों पक्षों के ब्यान ऊपर दिये ही जा चुके हैं और उन्हें दुहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विचाराधीन प्रश्न पर विचार देने के लिए प्रथम बिन्दु यह उपस्थित होता है कि श्री तौहीद खां को राम सहाय मांझी का वारन्ट तामील करने के लिये दिया गया था या नहीं ? सिकन्दरा थाना की स्टेशन डायरी दिनांक २८ अप्रील १९७३, सं० ४८९ (प्रदर्श-४) को देखने से यही पता चलता है कि उस दिन तौहीद खां को लछुआर और बहरांवा में रात्रि गश्ती का आदेश दिया गया था। साथ-साथ कुछ और सिपाहियों को भी आदेश दिया गया था जिससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्टेशन डायरी में वारन्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। परन्तु इसके साथ जो उन्हें कमान्ड (प्रदर्श-१) मिला उस कमान्ड पर उनके साथ लम्बित वारन्ट को तामील कर देने का भी आदेश लिखा हुआ है। वारन्ट भी उस कमान्ड के साथ नत्थी किया हुआ है परन्तु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उस तिथि के पहले ही राम सहाय मांझी को जमानत मिल चुकी भी और उस पर वारन्ट तामील करने की आवश्यकता नहीं थी। श्री मृत्युंजय कुमार झा, डी० एस० पी० (साक्षी संख्या-६४) ने अपने ब्यान की कंडिका ९ में स्वीकार किया है कि उसको पहले ही जमानत पर छोड़ दिया गया था। श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह ने अपने ब्यान की प्रथम कंडिका में कहा है कि उनके यहां से वारन्ट रिकौल नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में वारन्ट तामील करने के लिये दिया जाना कोई असंगत बात नहीं थी। परन्तु हमें यह विचारना है कि वारन्ट वाली बात बचाव के लिये आफ्टर थौट है या नहीं और यह केवल परिस्थित से ही आंका जा सकता है। इस संबंध में जबर्दस्त परिस्थिति है राम सहाय का भागना। सरकारी ब्यान के अनुसार जब तौहीद खां ईंटा पाथने वालों के निकट गये और उन्होंने रामसहाय की जिज्ञासा की कि उनमें से एक आदमी निकल कर भाग गया और इन्हें संदेह हुआ कि वही रामसहाय है। अगर रामसहाय उसके कुछ ही दिन पहले न्यायालय में हाजिर हो चुका था और उसे जमानत मिल गयी थी तो रामसहाय को वहां से भागने का कोई भी युक्तिसंगत कारण प्रतीत नहीं होता है। उसे जैसे ही पकड़ा जाता है वह केवल इतना बता देता कि उसे जमानत मिल चुकी है। अगर भागने वाला व्यक्ति रामसहाय नहीं था तो किसी दूसरे को वहां से भागने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त सिपाही के साथ, अगर उनका कथन सच है तो एक दफादार और एक चौकीदार भी थे। श्री तौहीद खां ५० वर्ष के हैं, दफादार भी ५० वर्ष के थे और चौकीदार ४५ वर्ष

के । भागा हुआ व्यक्ति लगभग ३५ वर्ष का था (देखें साक्षी संख्या-३८ श्री तौहीद खां का बयान कंडिका-२) । यह बात साधारणतः विश्वास के योग्य नहीं है कि सिपाही, दफादार और चौकीदार के समक्ष एक आदमी इस तरह से भाग जाय और इनके द्वारा पीछा करने पर भी वह पकड़ा न जाय । इस संदर्भ में एक और बात स्मरणीय है, और वह यह है कि राम सहाय गहलौर का रहनेवाला नहीं है बल्कि तुलाडीह का रहने वाला है । अगर वह भाग ही जाता तो इसका कोई कारण नहीं दीखता है कि गहलौर के ग्रामीण उन्हें क्यों छिपाकर एक आफत मोल लेते । अगर वहां पर राम सहाय ईंटा पाथ रहा था तो सिपाही को सबसे पहले बस्ती में उस आदमी के यहां जाना चाहिए था जिसका ईंटा पाथा जा रहा था, क्योंकि अगर रामसहाय को कोई भी शरण देता तो वही ईंटा का मालिक । परन्तु जितने सरकारी गवाह गुजरे हैं किसी को अब तक यह भी पता नहीं है कि ईंटा किसका पथ रहा था । इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम सहाय पर वारन्ट की तामीली वाली बात एक आफ्टर थौट है और वास्तव में उस दिन न कोई वारन्ट सिपाही को तामील करना था और न कोई व्यक्ति उस तरह से भागा था जिस तरह से तौहीद खां ने अपने बयान में कहा है।

१५। इसी संदर्भ में एक और छोटी-सी बात को डिसपोज ऑफ कर देना है और वह यह है कि तौहीद खां जब गहलौर गये तो उनके साथ गेन्धारी दफादार और किसुन चौकीदार थे या नहीं । तौहीद खां ने अपने बयान की प्रथम कंडिका में कहा है कि तुलाडीह से जब वे गहलौर चले तो वे पहले रिसरी गांव में गये । रिसरी में चौकीदार किसुन रहता था । गेन्धारी दफादार ग्राम महना का रहने वाला है लेकिन संयोग से वह उस समय रिसरी में चौकीदार के यहाँ गया हुआ था । समिति जांच के दौरान गहलौर गई थी । गहलौर सिकन्दरा-नवादा पक्की सड़क से दक्षिण पड़ता है । तुलाडीह उसी सड़क से सटे किनारे पर है । तुलाडीह से गहलौर दक्षिण और पूरब के कोने में पड़ेगा और रिसरी करीब-करीब थोड़ा पूरब के कोने में दक्खिन । तुलाडीह से जो गहलौर जायगा उसे रिसरी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि दूरी काफी बढ़ जायगी और रिसरी जाकर उसे पश्चिम और उत्तर के कोने में वापस आना पड़ेगा । इसलिये साधारणतः कोई भी व्यक्ति तुलाडीह से गहलौर रिसरी होकर नहीं जायगा । ऐसा कहा जा सकता है कि सिपाही रिसरी चौकीदार को साथ करने गये क्योंकि उन्हें वारन्ट तामील करना था । परन्तु अगर वे तुलाडीह अकेले गये थे, राम सहाय को पकड़ने के लिये, तो गहलौर में उसी को पकड़ने के लिए रिसरी के चौकीदार की आवश्यकता आ पड़ी । अगर उन्हें चौकीदार लेना [illegible] तो तुलाडीह के ही चौकीदार को लेते जो राम सहाय को पहचान भी लेता । साक्षी संख्या-४१ गेन्हारी ने कम-से-कम ऐसा जरूर कहा है कि वह राम सहाय को नहीं पहचानता है (देखें बयान प्रथम कंडिका) । किसुन चौकीदार का बयान

समिति के समक्ष नहीं हुआ है । इस परिस्थिति में समिति के विचार में दफादार और चौकीदार सिपाही के साथ गहलौर नहीं गये थे । इसी प्रतिवेदन की कंडिका १७ में यह भी दिखाया जा रहा है कि जब सिपाही पर मार पड़ी, तब दफादार और चौकीदार उनके साथ नहीं थे ।

१६। दूसरी विन्दु पर विचार करने के पहले विपक्षियों के इस बयान पर ध्यान दिया जा सकता है कि क्या ३० अप्रील १९७३ को श्री तौहीद खां, बालापुरसंडा से हरिहरपुर जा रहे थे या नहीं, क्योंकि उनके अनुसार इसी यात्रा में तौहीद खां पर मार पड़ी। बालापुरसंडा के श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (साक्षी संख्या ३७) का बयान समिति के समक्ष हुआ। ये बालापुरसंडा पंचायत के मुखिया हैं। उनका कहना है कि सोमवार को आठ बजे दिन में सिपाही उनके यहां थे और दस बजे उनके यहां खाना खाकर वे हरिहरपुर के लिये चले । श्री तौहीद खां (साक्षी संख्या ३८) ने अपने बयान की कंडिका ५ में कहा है कि बाढ़ो महतो के यहां से चलने की बात ठीक नहीं है। बाढ़ो, रामेश्वर के पिता थे जो अब मर चुके हैं। यह ध्यान में रखना है कि इसके विपरीत जो तौहीद खां का बयान था (रामसहाय से संबंधित) उसे समिति ने विश्वास नहीं किया है। समिति के समक्ष कोई तीसरा बयान भी नहीं है। बालापुरसंडा और हरिहरपुर दोनों बस्ती गहलौर के दक्षिण है, बालापुरसंडा दक्षिण-पश्चिम कोने में है और हरिहरपुर दक्षिण-पूरब कोने में है। अतएव बालापुरसंडा से हरिहरपुर जाने में गहलौर की बस्ती तो नहीं परन्तु उसके आसपास की जमीन पड़ेगी। यह भूमि पहाड़ी और जंगली है। चारागाह की कमी नहीं है। इसलिये गहलौर के चरवाहों द्वारा वहां मवेशी का चराना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। दूसरे बिन्दु, जिस पर हम आगे विचार करने जा रहे हैं, से यह भी स्पष्ट होगा कि श्री तौहीद खां को उनके प्राथमिकी म दिये गये परिस्थितियों में मार नहीं लगी बल्कि विपक्षियों द्वारा दिये गये परिस्थिति में। यह भी एक वैसी परिस्थिति होती है जो इस बात की पुष्टि करती है। श्री तौहीद खां बालापुरसंडा से भोजन करके हरिहरपुर जा रहे थे और रास्ते में गहलौर के निकट उन पर मार पड़ी।

१७। विचाराधीन प्रश्न का दूसरा बिन्दु, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, यह है कि श्री तौहीद खां पर क्यों और कितनी मार लगी। इस विन्दु पर दोनों पक्षों के जो बयान हैं वे इस प्रतिवेदन की कंडिका २ और ९ में दिये गये हैं। यद्यपि रामसहाय पर वारन्ट तामील करने वाली बात विश्वास नहीं की गयी है फिर भी संक्षेप में यह भी देखना है कि क्या गांव से वापस जाते समय लोगों ने आकर श्री तौहीद खां को मारा या नहीं और अगर मारा तो किस तरह से मारा। यह स्मरणीय है कि उनके अनुसार उन्हें उतनी मार लगी कि उनके दो दांत टूट गये और सर का एक हिस्सा फट गया और वे इस हालत में हो गये कि लोग उन्हें जला देने की बात सोचने लगे। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है, इस बिन्दु पर तौहीद खां के अतिरिक्त केवल गेन्हारी सिंह, दफादार का बयान है। श्री तौहीद खां (सा० सं० ३८) ने अपने बयान की कंडिका ६ में

कहा है कि दक्षिण से लगभग ३०० गज जाने के बाद वस्ती के लोग आये और उन्हें घेर कर मारने लगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दफादार और चौकीदार वहां से भाग गये और उसके बाद लोगों ने उन्हें जला देने की नीयत से वस्ती में पेड़ के नीचे लाकर रखा। गेन्हारी सिह (सा०सं० ४१) ने अपने बयान की कंडिका २ में मार की पुष्टि की है और उसने यह भी कहा है कि वह चौकीदार के साथ वहां से राधानगर भाग गया। ये तीनों एक साथ जा रहे थे और वस्ती के लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया और लाठी से पीटना शुरू किया, तो इसमें सामान्यत: ऐसा ही होगा कि दफादार और चौकीदार को भी मार पड़ेगी। परन्तु विचित्र बात तो यह है कि दफादार और चौकीदार को एक भी लाठी नहीं लगी। अगर गिरोह को आते देख ये दोनों इस तरह पहले ही भाग गये कि ये बच गये और सिपाही घिर गये, तो इन दोनों के द्वारा यह देखना संभव नहीं था कि किन लोगों ने सिपाही को मारा या उस गिरोह में कौन-कौन थे। साथ-साथ यह भी विश्वास के लायक नहीं है कि अगर वे दोनों सिपाही के साथ थे; तो उन पर मार न पड़ी हो। उन पर मार नहीं पड़ी यह तो निर्विवाद है। अतएव तर्क यही कहता है कि दफादार और चौकीदार सिपाही साथ नहीं थे। इसी संदर्भ में जरा इस पर भी विचार करना है कि जब गांव वाले सिपाही को गांव में ले गये तो उनके साथ गांव वालों ने कैसा वर्त्ताव किया। श्री तौहीद खां (सा०सं० ३८) ने स्वयं कहा है (बयान कंडिका ६) कि उन्हें वे जला देने की नीयत से ले गये थे। परन्तु उसी कंडिका में उनका बयान है कि वहां जाकर उन्होंने पानी मांगा, तब वस्ती वालों ने उन्हें पानी पिलाया। कंडिका ८ में उन्होंने स्वयं कहा है कि गहलौर के लोगों ने उनके कपड़े धो दिये। भले तबतक रामचन्द्र गुप्ता आ गये हों, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि लोगों ने इनकी सेवा-शुश्रूषा की और पीछे इन्हें सूई और दवा भी दिलवाई। यह वर्त्ताव उसका नहीं हो सकता है जो सिपाही को अर्द्धमृत समझ कर जलाने के ख्याल से वस्ती में लाया हो। वह तो उतनी देर भी नहीं ठहरता जितनी देर में रामचन्द्र गुप्ता राधानगर से आते। कोई ऐसा भी बयान नहीं है कि वस्ती में आकर किसी दूसरे की ऐसी सलाह हुई कि सिपाही को जलाया नहीं जाय, बल्कि उनकी सेवा की जाय। अतएव स्पष्ट है कि उनकी जो सेवा की गई वह उन्हीं लोगों के विवेक पर जिन लोगों ने उन्हें चोट पहुंचा कर घटनास्थल से वट वृक्ष के नीचे लाया था। यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि जलाने की नियत से लाने वाला उनकी सेवा नहीं करता। उनकी जो भी सेवा-शुश्रूषा की गयी वह अवश्य इसलिये की गयी कि मारने वाले ने अपनी गलती महसूस की। और अगर यह सही है तो साथ-साथ यह भी सही है कि उन्हें जो मार पड़ी, वह उन कारणों से नहीं जो प्राथमिकी में दर्ज है।

१८। विपक्षियों ने जो मार का कारण बताया था उसके समर्थन में कुछ गवाह भी समिति के समक्ष गुजरे हैं। श्री रामचन्द्र गुप्ता (सा०सं० १) ने अपने बयान में कहा है कि सिपाही किस तरह से जा रहे थे, कैसे उन्होंने

मथुरा को बुलाया, कैसे एक औरत ने जाकर गांव में कह दिया कि उसने सूई देते हुए देखा है और कैसे लोगों ने आकर चार-पांच लाठी उन्हें मारा। इसमें संदेह नहीं कि ये चक्षुदर्शी गवाह नहीं हैं, परन्तु घटना के बाद बहुत जल्दी वे वहां पहुंचे थे और लोगों ने जो कहा वह विश्वास के लायक है। मथुरा यादव (सा०सं० ३६), जो एक बारह वष का लड़का है, ने भी समिति के समक्ष बयान किया कि सिपाही ने पुकारा और हरिहरपुर का रास्ता पूछा। उसने यह भी कहा कि सिपाही ने उससे छाता मांगा जिस पर उसने इन्कार किया और सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिपाही के कंधे पर झोली देख कर उसे सूई देने वाले का संदेह हुआ। यह दोहराने लायक बात है कि बस्ती में ले जाकर सिपाही की जो सेवा-शुश्रूषा की गई वह विपक्षियों के ही बयान से मेल खाती है प्राथमिकी से नहीं। मार उनको धोखे से पड़ी यह राज समिति की जांच के पहले भी खुल चुकी थी। श्री मृत्युंजय कुमार झा, डी०एस०पी० (सा०सं० ६४) ने अपने साक्ष्य की कण्डिका ३ में कहा है कि जब ७ मई १९७३ को जांच में ये गये तो उन्हें पता चला कि सिपाही को सूई देने वाला समझ कर लोगों ने पीटा था। भागलपुर के डी०आई०-जी० ने पटना के आई०-जी० को एक ज्ञाप संख्या ७०२, दिनांक १८ मई १९७३ (प्रदर्श १४) को भेजा जिसमें उनका कहना है कि चूंकि सिपाही को दाढ़ी थी उसे पाकिस्तानी जासूस कह कर मारा गया। सदन में सरकारी वक्तव्य में भी ऐसा ही कहा गया है। दिनांक २५ मई १९७३ को जमुई के एस०डी०ओ० ने मुंगेर के जिलाधिकारी को एक वायरलेस मेसेज (प्रदर्श १७) भेजा जिसमें उन्होंने कहा है कि सिपाही को इस धोखे में मारा गया कि वह poison innoculator था अर्थात् सूई द्वारा जहर देनेवाला था। एस०डी०ओ० ने यह वायरलेस मेसेज अपनी इन्क्वायरी के बाद भेजी थी। दिनांक १० मई १९७३ को जमुई के एस०डी०ओ० ने अभियुक्तों को जमानत देते समय अपने आदेश (प्रदर्श २६) की अंतिम कंडिका में कहा है :—

After having heard the both sides and seen the injury report it appears that although the incident has been unfortunate, it was not intentional and has been committed under some misapprehension.

१९। अतएव उपर्युक्त तर्कों पर ध्यान देने से यही स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी में दिये गये कारणों से उन्हें मार नहीं पड़ी बल्कि मार धोखे से पड़ी। सूई देनेवाले के संदेह में, जैसा कि विपक्षियों का कहना था।

२०। इसी दूसरे बिन्दु में हमें यह भी देखना है कि उन पर कितनी मार पड़ी। श्री तौहीद खां का कहना है कि उन्हें २१ लाठी की चोट पीठ पर थी एक लाठी की चोट सिर पर थी और दो दांत टूट गये थे (सा० सं० ३८

ध्यान कंडिका ७)। इनके अतिरिक्त एक चोट हाथ में और एक पैर में थी। सिपाही के समर्थन में सिकन्दरा अस्पताल के डॉ० एस० पुरखैत (सा० सं० ६५) का प्रमाण-पत्र है जिसके अनुसार उन्हें निम्नलिखित चोटें थीं:—

1. 15 bruises 1½"×½" each on the both sides of back,

2. 1 abrasion with swelling 1"×½" on the back of left knee,

3. One swelling 2½"×2" on back of left palm,

4. One laccrated wound 1½"×½"×¼" on left side of scalp occipital region,

5. Fracture (broken) 1st molar teeth of upper right jaw,

6. Fracture (½" broken) left lateral insciser teeth of upper jaw,

7. One swelling 2"×1" on the right jaw,

8. Complaint of pain all over body.

इनमें से पीठ पर डॉ० को १५ निशान मिले जो सभी डेढ़ इंच लम्बे थे। दांत टूटने की बात छोड़ कर, जो लाठी की चोटें हैं, हम जरा उनपर ध्यान दें, कि वे संभावना से परे हैं या नहीं। हम देखते हैं कि सिर के पिछले भाग पर जो एक चोट थी और पीठ पर जो १५ निशान थे उन्हें छोड़ कर बायीं तलहत्थी के ऊपरी भाग में और बायें ठेहुने के पीछे एक-एक चोट थी (दांतों को छोड़ कर) पहली बात तो यह समझ में नहीं आती कि जब किसी की पीठ पर अन्धाधुंध लाठी पड़ेगी तो सभी से केवल डेढ इंच+आधा इंच का ही निशान कैसे बनेगा। इतनी लाठियों में कम-से-कम कुछ भी तो लम्बा निशान होता लेकिन वैसा एक भी नहीं है। फिर यह भी नहीं समझ में आता है कि सिपाही किस पोजीशन में था कि इतनी जो मार लगी वह सभी पीठ पर ही। अमूमन तो ऐसा होना चाहिये कि दो-चार लाठी के बाद वह गिर जाता और गिरने पर उसे अपने शरीर के सामने के भाग पर भी गिरने से कुछ चोटें आतीं। साधारणतया तो आदमी इतना छटपट करता है कि कुछ लाठी की भी चोटें सामने होती। जब डॉ० पुरखैत (सा०सं० ६५) समिति के समक्ष ब्यान दे रहे थे तो उनके प्रमाण-पत्र को उनके समक्ष रखकर और चोटों को बताकर यह पूछा गया कि क्या वे उस पोजीशन को भिजुअलाईज कर सकते हैं या नहीं जिस पोजीशन में इतनी मार इस तरह पड़ सकती हो। उन्होंने कहा कि वे इसे भिजुआलाईज नहीं कर सकते हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि यह कैसे संभव हो सका कि सभी चोटें डेढ़ इंच लम्बी ही हुई। इसका भी कोई उत्तर उनके पास नहीं था। अतएव यह स्पष्ट है कि इनके बदन पर लाठियों की इस तरह की चोटें नहीं थी जैसा कि प्रमाण-पत्र में है।

२१। इसी संदर्भ में अब हमें सिपाही के दोनों टूटे हुए दांतों की ओर ध्यान देना है। प्रमाण-पत्र के अनुसार इनके दाहिने जबडे का पहला चौआ एकदम टूट गया और सामने का एक दांत आधा टूटा। समिति के समक्ष सिपाही ने अपना मुंह खोल कर दिखलाया कि एक चौआ नहीं था और एक सामने का दांत आधा टूट हुआ था, परन्तु इससे प्रमाण-पत्र की संपुष्टि नहीं होती है। लाठी के हुरे से दांत टूटने में सबसे पहले दांत के सामने गाल पर और जबड़े में और मसूड़े में चोट का होना आवश्यक है। परन्तु यहां यह विचित्र बात थी कि सिपाही के टूटे हुए चौआ के सामने न गाल पर कोई चोट थी और न जबड़े में। डॉ० पुरखैत ने कहा कि उसके मसूड़े में कुछ सूजन था परन्तु प्रमाण-पत्र में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। इसलिये सूजन वाली बात विश्वास नहीं की जा सकती है। लाठी के हुरे से जब कोई दांत टूटेगा तो टूटे दांत के अगल-बगल वाले दांतों पर कुछ तो चोट लगेगी। परन्तु श्री तौहीद खां के अगल-बगल वाले दांतों पर कोई असर नहीं पड़ा। यह और आश्चर्य की बात है कि चौआ अपने सभी रुट प्वाएन्टस् को इस तरह से छोड़कर निकला, और इस तरह सीधा निकला कि जबड़े और मसूड़े पर तनिक भी आघात नहीं पहुंचा। इस तरह का निकलना डॉ० के औजार से भले सम्भव हो, लाठी के हुरे से नहीं। ये सभी तर्क श्री पुरखैत के परीक्षण के समय में दिये गये तो उन्होंने कहा कि इस तरह का दांत लाठी के हूरे से भी निकल सकता है। वे करें क्या, वे तो अपने द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के बंधन में हैं। उन्हें मोदी का मेडिकल जुरीस्प्रूडेन्स एण्ड टॉक्सीकोलोजी १९६३ संस्करण के २७८ पृ० पर "टीथ" शीर्षक पैसेज दिखाया गया, जो नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

Teeth.—The teeth are dislocated or fractured either by a fall or by a blow with a blunt weapon, such as a fist, ashoe, the butt end of a lathi, etc. When their dislocation or fracture is caused by mechanical violence, confusions or laceratiors are, in all probability, found on the lips or on the gums or sockets. In India false reports about the loss of tooth, are often made with view to charging the accused with an offence of grievas hurt, especially when an ass assaulted person happens to be old and has already lost some teeth or has got some shaky teeth, It is, therefore, necessary that the following points, should be taken into consideration when reporting on a person who alleges to have his teeth knocked out:—

1. The condition of the neighbouring and other teeth as to whether they are firm shaky or diseased.
2. The number of the teeth present in each iaw.

3. The condition of the socket of the missing teeth, as to whether there is any stump left if a tooth is fractured whether there is any bleeding and whether there is any laceration.

4. The condition of the lips and gums as regards the presence of injury.

5. If a tooth is sent with the injured person, it should be examined to ascertain if it corresponds to the missing tooth. Its flangs should be especially examined to find out if fracture or dislocation has occurred. After examination the tooth should be returned in a sealed packet to the police constable accompanying the injured person.

२२। उपरोक्त उद्धरण में यह लिखा है कि जब दांत तोड़ने की बात कोई कहे कि कौन-सी परीक्षा करनी चाहिए। डॉ० पुरखैत ने इसे देखकर स्वीकार किया कि उन्होंने इनमें से कोई भी परीक्षण नहीं किया।

२३। कम आश्चर्य की बात नहीं है कि वह टूटा हुआ दांत भी कहां चला गया? श्री तौहीद खां (सा०सं० ३८) ने अपने ब्यान कंडिका १५ में कहा कि दांत टूट कर घटनास्थल पर ही गिर गया, लेकिन उसे उठाने की चेष्टा नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि जब वे बड़ के पेड़ के नीचे गये तब उन्हें मालूम हुआ कि उनका दांत टूट कर गिर गया था। फिर उन्होंने कहा कि वे नहीं बता सकते कि दांत घटनास्थल पर गिरा या घटनास्थल से बट वृक्ष तक के रास्ते में गिरा। उन्हें इतना जरूर याद है कि टूटे हुए दांत को अपने हाथ से उन्हें नहीं निकालना पड़ा। डा० पुरखैत ने भी कहा है कि दांत उन्होंने नहीं निकाला था। अर्थात् दांत पहले ही गिर गया था। अतएव यह स्पष्ट है कि उनका दांत उस घटना में टूट कर नहीं गिरा।

२४। जहांतक आधे दांत के झड जाने की बात है उसके लिये भी सामने होठ पर कोई चोट होना आवश्यक था। श्री तौहीद खां ने कहा है कि वहां सामने होठ पर सूजन था पर इसकी सम्पुष्टि डाक्टर के प्रमाण पत्र से नहीं होती है। अतएव यह भी आधा दांत वहां नहीं झड़ा था।

२५। श्री खां ने यह भी कहा कि उनके सभी दांत (टूटे हुए को छोड़कर) अभी मौजूद हैं और वे सभी काफी मजबूत हैं। ऐसी दशा में उन दोनों दांतों का उस तरह से टूटना, जिस तरह से कहा जा रहा है, संभव नहीं प्रतीत होता है और समिति को यह विश्वास है उनका कोई भी दांत इस घटना में नहीं टूटा है।

२६। इसी संदर्भ में समिति डा० पुरखैत पर भी जरा ध्यान दिलाना चाहेगी कुछ दिन पहले मुंगेर के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक व्यक्ति (थमन यादव) को जमानत दिलाने के लिये इन्होंने एक प्रमाण-पत्र (प्रदर्श २१) दिया जिसमें इन्होंने यह लिखा कि थमन यादव टायफाईड से बीमार था, इनके अस्पताल में भरती था और इनकी चिकित्सा में था। सत्र न्यायाधीश को जब सदेह हुआ तब उन्होंने अपने निबन्धक के द्वारा इसकी जांच करवायी। जांच करने पर बात निराधार निकली। डा० पुरखैत से सत्र न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण मांगा (प्रदर्श २०) कि उन पर कारवाई क्यों नहीं की जाय। उन्होंने अपना कारण (प्रदर्श २५) में दिखाया। अभी तक उसका निष्पादन कुछ कारणों से सत्र न्यायाधीश के यहां से नहीं हुआ है। डा० पुरखैत से जब यह बात पूछी गयी तब उन्होंने कहा कि दूसरा रोगी ने गलत नाम बता कर प्रमाण-पत्र ले लिया था। परन्तु उन्होंने कहा कि उन्हें शो-कौज नोटिस नहीं दी गयी थी। मुंगेर न्यायालय से सत्र न्यायाधीश का आदेश (प्रदर्श २०), निबन्धक का प्रतिवेदन (प्र० २३) और डा० का शो-कौज (प्र० २५) की प्रतिलिपियां मगायी गयी हैं जो अभिलेख पर हैं। यह दूसरी बात है कि अभी यह स्पष्टीकरण विचाराधीन है।

२७। इस सन्दर्भ में एक और बात पर विचार करना है, और वह यह है कि दांत तोड़ने की बात जब झूठी थी तो क्यों लिखी गयी? कारण स्पष्ट है कि पुलिस को ग्रीभियस इन्जूरी की आवश्यकता थी, ताकि केस कौगनिजेबुल हो सके। अगर केस कौगनीजेबुल नहीं होता तो पुलिस आगे की कोई कारवाई अपने मन से नहीं कर सकती थी और पुलिस को तौहीद खां को आदेश देना पड़ता कि वे न्यायालय में जाकर केस करें। जब वहां पुलिस को एक ऐसे डाक्टर मिले जो बाहरी व्यक्तियों को भी झूठा प्रमाण-पत्र दे सकते थे तो पुलिस के लिये बात और आसान हो गयी।

२८। इस बिन्दु पर अन्तिम विचार व्यक्त करने के पहले एक और परिस्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। जब तौहीद खां, बड़ के पेड़ के नीचे लाये गये और उनकी सेवा की गयी तब उसके बाद उन्होंने अपने झोले से एक कलीदार कुर्त्ता निकाला और भगवान से बैठे-बैठे प्रार्थना की। (बयान कंडिका ८)। विपक्षियों का कहना है कि उन्होंने नमाज भी पढ़ी (रामचन्द्र गुप्ता)। जो भी हो वे उतने होश में थे कि मुंह-हाथ धोकर उन्होंने प्रार्थना की या नमाज पढ़ी। यह वह आदमी नहीं कर सकता था जिसकी पीठ पर कम-से-कम १५ लाठी की चोट हो और जिसके दो दांत थोड़ी देर ही पहले तोड़ दिये गये हों।

२९। उन्हें जब मार पड़ी उस समय विपक्षिया क कथनानुसार वे वर्दी में नहीं थे केवल ऊपर खाकी कमीज और नीचे धोती पहने हुए थे। विपक्षियों का ऐसा ही कहना है। भागलपुर के डी० आई०-जी० ने भी २२ मई, १९७३

को एस० पी०, मुंगेर से जिज्ञासा की थी (कंफीडेंशियल मेमो० ७२०-सी प्रदर्श १६८ के द्वारा) कि गोपनीय सूचना के अनुसार सिपाही वर्दी में घटना के समय नहीं था। इसके उत्तर में एस० पी० ने जरूर सूचना दी कि वे वर्दी में थे परन्तु डी० आई०-जी० का जो गोपनीय सूत्र था वह उससे विपरीत था। इसका महत्व इतना ही है कि पूरी वर्दी नहीं रहने से लोगों को सुई देने वाले का धोखा हो सकता था।

३०। उपरोक्त साक्ष्य और परिस्थिति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि श्री तौहीद खां पर जो मार पड़ी वह धोखे से (सुई देने वाला समझ कर) पड़ गयी। न तो वे वारन्ट तामील करने गये थे और न वारन्ट तामील करके वापस आते समय उन्हें मार लगी। उन्हें उतनी लाठिया नहीं लगीं जितनी वे बताते हैं और उनका एक भी दांत नहीं टूटा। संक्षेप में घटना उस तरह नहीं घटी जिस तरह प्राथमिकी में दर्ज है।

३१। अब हम द्वितीय विचाराधीन प्रश्न को लेते हैं। इसमें देखना है कि २ मई, १९७३ को जो पुलिस की छापामारी गहलौर बस्ती में हुई वह किस तरह की गयीं और उसमें क्या किया गया। विशेषकर यह देखना है कि पुलिस ने अतिक्रमण किया या नहीं।

३२। छापामारी की गयी, यह तो निर्विवाद है। छापामारी के पहले इसका निर्णय पुलिस के उच्च अधिकारियों ने लिया। यह भी सरकारी साक्षियों से ही स्पष्ट है। श्री मृत्युंजय कुमार झा, डी० एस० पी० (सा० स० ६४) ने अपने साक्ष्य की कंडिका २ में कहा है कि उन्होंने मुद्दालहों को पकड़ने के लिये सशस्त्र पुलिस दल की व्यवस्था कर दी थी। १ मई, १९७३ को श्री झा ने मुंगेर के जिलाधिकारी को इसकी सूचना दे रखी थी। मुंगेर के जिलाधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह (सा० स० ३९) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि १ मई, १९७३ को डी० एस० पी० साहब ने उनसे कहा कि एक सिपाही को पीटा गया है और उस सन्दर्भ में उन्हें एक रेड करना था (देखें साक्ष्य कंडिका २)। श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह (सा० स० ६०) थाना प्रभारी ने अपने साक्ष्य की कंडिका ४ में कहा है कि डी० एस० पी० साहब ने उन्हें मौखिक आदेश दिया था, उसी रात में रेड करके अभियुक्तों को पकडने का श्री हरेन्द्र प्रसाद (सा० स० ६१), हल्सी के दारोगा ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि डी० एस० पी० ने रेड में मदद करने के लिये उनसे कहा था। श्री मृत्युजय कुमार झा, डी० एस० पी० उसी दिन सशस्त्र पुलिस दल के साथ जमुई से सिकन्दरा गये और वे स्वय उस रात सिकन्दरा डाक बंगला में ही ठहर गये यह भी निर्विवाद है। अतएव यह स्पष्ट है कि १ मई, १९७३ के दिन को जमुई में यह निश्चय किया गया कि उसी रात गहलौर बस्ती में मुदालहों को पकड़ने के लिये पुलिस रेड किया जायगा और तदनुसार सब प्रबन्ध कर दिया गया।

३३ । पुलिस दल सिकन्दरा से किस तरह गहलौर पहुँची इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु यह अवश्य विचारणीय है कि यह छापामारी किस समय की गयी लगभग डेढ़-दो बजे रात्रि में (जैसा कि गहलौर के लोगों का कहना है) या चार-पांच बजे सुबह (जैसा कि सरकारी गवाहों का बयान है) । इस बिन्दु पर विचार करने के पहले हम इस पर विचार करना चाहते हैं कि छापामारी में बस्ती में क्या-क्या किया गया । वह भी इसका द्योतक होगा कि छापामारी किस समय की गयी ।

३४ । छापामारी में क्या-क्या किया गया, यह बहुत ही विवादास्पद है । पुलिस के कथनानुसार, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उन्होंने केवल १२ व्यक्तियों को कैद किया और इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया । किसी के घर की तलासी तक इन्होंने नहीं ली । विपक्षियों के अनुसार पुलिस ने बेरहमी के साथ मार-पीट, लूट-खसोट, और औरतों के साथ बलात्कार किया । अतएब हमें देखना है कि इन दोनों बयानों में से कौन सच है और कौन झूठ ।

३५ । छापामारी के दल में कुल २२ व्यक्ति थे, जिनकी सूची प्रदर्श ८ में है । उनमें सिकन्दरा के थाना प्रभारी श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह, हलसी के दारोगा श्री हरेन्द्र प्रसाद और सिकन्दरा के जमादार श्री रामलखन लाल भी थे । कम-से-कम १२ सशस्त्र पुलिस (बन्दूक के साथ) के साथ थे । कुछ चौकीदार भी साथ थे । इनमें से बहुतों का साक्ष्य समिति के समक्ष हुआ है जिस पर हमें विचार करना है ।

३६ । सबसे पहले हम श्री हरेन्द्र प्रसाद (सा० स० ६१), हलसी के दारोगा का बयान देखें । उनका कहना है कि जब ये लोग बस्ती के निकट पहुँचे तब बस्ती के करीब बीस गज की दूरी पर ४ व्यक्ति सोये हुए थे और इनलोगों ने उन्हें पकड़ लिया । उनका स्पष्ट कहना है कि ये लोग बस्ती के अन्दर नहीं गये केवल बस्ती की तरफ गये । जो सिपाही छापामारी में गये थे, उनमें से १५ आदमियों (सा० स० ४५ से ५९) का बयान एक साथ ही लिया गया और उनलोगों ने एक ही बात कही । उनमें से एक रामदहिन तिवारी ने कहा कि ये बस्ती में गये परन्तु गली-गली में ही रहे । फिर कहा द्वार पर तक गये, पर घर के अन्दर नहीं गये । उनमें से एक नायक राम बिहारी ने कहा कि वे लोग बस्ती के अन्दर नहीं गये तथा बकिये लोगों ने कहा कि चलते फिरते जिन्हें पाया पकड़ लिया गया और ये लोग किसी के घर के अन्दर नहीं गये । किसी की किवाड़ी नहीं तोड़ी और न उचटाया । उनलोगों ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुए उनके घर पर वे नहीं गये । श्री बिन्ध्याचल प्रसाद सिंह (सा० स० ६०) थाना प्रभारी सिकन्दरा ने अपने साक्ष्य की कंडिका ८ में कहा है कि वे लोग किसी के घर में नहीं गये, किसी के घर की तलाशी नहीं ली और जो ९ व्यक्ति नहीं पकडे गये उन्हें पकडने के लिये कोई

प्रयत्न भी नहीं किया। इनलोगों ने इतना जरूर स्वीकार किया है कि ये पूरे रेडिंग पार्टी के साथ बस्ती में गये। १५ आदमियों का जो सामूहिक साक्ष्य है उसमें इनलोगों ने कहा है कि वे लोग गहलौर चार बजे सुबह गये और वे यहां ३।। घंटे रहे। इसका अर्थ यह होता है कि ये लोग वहां ७।। बजे सुबह तक ठहरे अर्थात् सूर्योदय के बाद तक। इस अवस्था में इसका कोई कारण नहीं होता कि सूर्योदय के बाद इनलोगों ने उन व्यक्तियों की तलाशी क्यों की जो पकड़े नहीं जा सके थे। यहां यह भी कह देना उचित है कि जो १२ व्यक्ति पकड़े गये थे उनमें से केवल ४ ही प्राथमिकी के अभियुक्त थे। इसलिये उन्हें केवल ६ व्यक्ति को ही पकड़ना नहीं था, बल्कि ६+८=१७ व्यक्ति को पकड़ना था। अगर पुलिस के साक्ष्य पर विश्वास किया जाय तो इसका कोई भी कारण नहीं दीखता कि जिस मकसद से इनलोगों ने छापामारी की उस मकसद की पूर्ति के लिये कोई भी कदम नहीं उठाया जो कानूनन उठाया जा सकता था।

३७। अब हम जरा विपक्षियों के साक्ष्य का परीक्षण करें। बलकासिया देवी (सा० स० १५), जिसकी आयु ५० वर्ष की है (चतुरी साव की पत्नी), ने कहा कि बन्दूक के कुंदे से पुलिस ने उसे काफी मारा और घर से बाहर कर दिया और बहुत ही भद्दी गालियां भी दीं। पतिया (सा० स० १६), जिसकी उम्र ५० वर्ष की है (पूनम की पत्नी), का भी वैसा ही बयान है। उसे भी बन्दूक के कुंदे से मारा गया। मुसमात परेखनी (सा० स० १७), जो ८० वर्ष की बूढ़ी औरत है (जेहल महतो की पत्नी), ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती किवाड़ खुलवाया और किवाड़ खुलते ही पुलिस अन्दर आयी और उसे तीन लात मारा। बन्धिया (सा० स० १८), धनेसर की पत्नी का बयान है कि उसका पति पुलिस की मार से जेल से आने के तीन दिन बाद मर गया।

३८। दाहू यादव (सा० स० १९), जो लगभग ५५–६० वर्ष का है, ने कहा कि उसे कैद कर लिया गया और बहुत मार भी मारा गया। उसके पैरों को बांध कर उसके तलवे में मारा गया। इतना ही नहीं उसे मारते-पीटते पुलिस मिरजागंज ले गए। वहां भी उसे मार पड़ी। मिरजागंज से उसे सिकन्दरा लाया गया। डी० एस० पी० ने पूछा कि पकड़े हुए व्यक्तियों को दक्षिणा मिली या नहीं। वहाँ भी उसे मार लगी। दाहू यादव का कहना है कि उसकी कमर से २४० रु० जो वह खेत बेच कर लाया था पुलिस ने ले लिया।

३९। एक श्री मीतरी यादव (सा० स० २२) को भी इनलोगों ने कैद कर लिया। वह टी० बी० का मरीज था। समिति ने इसके इलाज के कागजात का परीक्षण किया और पाया कि वह वास्तव में टी० बी० का मरीज है। श्री लुखंड़ यादव (सा० स० ३०) ने कहा कि उसके तीन सौ रुपये थे जो उसने चुक्कड़ में छिपा कर रखा था, उसे भी पुलिस ने ले लिया। वह अपने घर

से हमला के समय भाग गया था इसलिये वह कैद नहीं हो सका। इस तरह की मार-पीट की बातों की गवाही बहुत से और लोगों ने भी दी। वे हैं :—

श्री करन यादव सा० स० २०।

श्री पुना महतो, सा० स० २१।

श्री जालो मांझी, सा० स० २३।

श्री अर्जुन मांझी, सा० स० २४।

श्री चतुरी साह, सा० स० २५।

श्री जानकी पासवान, सा० स० २६।

श्री कामेश्वर ढारा, सा० स० २७।

श्री वाजी, सा० स० २२।

श्री गोवर्द्धन महतो, सा० स० २९।

४०। अगर बात इतनी ही तक रहती तो हो सकता था कि समिति की जाँच की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु विधान-सभा के समक्ष इनलोगों के विरुद्ध ऐसे भी वीभत्स कर्म के अभियोग आये जिसे लेकर सभा को समिति की गठन की आवश्यकता पड़ गई। वह वीभत्स कर्म है पुलिस द्वारा औरतों पर बलात्कार। समिति के समक्ष औरतों का ब्यान इस संबंध में हुआ इस शर्त्त पर हुआ कि उनका नाम प्रकाश में नहीं लाया जाय। इस विन्दु पर साक्ष्य लेने और विचारने के समय हम भारतीय संस्कार को नहीं भूल सकते हैं। कोई भी भारतीय नारी यह नहीं चाहेगी कि अगर उसके साथ कोई बलात्कार हो ही जाय, जिसमें उसका कोई बस नहीं रहता है, तो उसको किसी प्रकार से प्रकाश में लाया जाय। उसको प्रकाश में लाने का अर्थ होता है अपना जीवन नष्ट कर लेना। किसी अविवाहित युवती के साथ बलात्कार की कोई घटना घट जाय तो शायद ही भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई उससे विवाह करने के लिये राजी होगा। अगर किसी विवाहिता स्त्री के साथ बलात्कार की घटना हो जाय तो अधिक संभव यही है कि उसका पति उसे छोड़ दे। यही कारण है कि जब कभी इस तरह का कांड हुआ करता है तो भारतीय नारी या उसके अभिभावक उसे एकदम छिपा लेते हैं, जैसे कोई अपने मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को दूसरे से छिपा कर रखना चाहता है। यही कारण है कि ऐसी घटनाओं के बाद प्राय लोग पुलिस के यहां या न्यायालय में केस करने नहीं जाते हैं। ऐसे मामलों में जो न्यायालय की जांच होती है और जिस स्तर का साक्ष्य न्यायालय चाहता है वह साधारण व्यक्तियों के लिये अत्यन्त ही कठिन हो जाता है। अगर कोई बलात्कार रेडिंग पार्टी के द्वारा हो, जिसमें किसी को पहचाना भी नहीं जा सकता है तो केस करके केवल अपनी बेईज्जती कौन मोल ले? इन सभी परिस्थितियों को ध्यान

में रखते हुए इन औरतों के व्यान पर विचार करना है, जिन्होंने विश्वास पर समिति के समक्ष अपना व्यान दिया है। उनके साक्ष्य पर जाने के पहले एक बात कहना आवश्यक है कि समिति केवल उनके मुंह से जो शब्द निकले उन्हीं पर अपना मंतव्य नहीं देने जा रही है, बल्कि समिति ने सराउंडिंग सरकमस्टान्सेज और उनके डेमिनर को ध्यान में रख कर ही उनके मौखिक साक्ष्य पर विचार किया है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि समिति अपना प्रतिवेदन में उनका नाम नहीं देगी।

४१। साक्षी संख्या २ जो ४० वर्ष की है, ने कहा कि पुलिस दरवाजों पर आई। काफी गाली-गलौज करने लगी, और किवाड़ी खोलने के लिये कहने लगी। उसने कहा कि उसके घर में कोई भी मर्द नहीं था, अतः वह किवाड़ी नहीं खोलेगी। पुलिस ने धक्का मार कर दरवाजा को उचटा दिया और दो सिपाही अन्दर आये और उसकी बांह पकड़ने लगे। उसने स्पष्ट कहा कि उन दोनों ने उसका अस्मद लूट लिया। उसने समिति से कहा कि अगर सिपाही उसे गोली मार देता तो ज्यादा बेहतर था।

सा० स० ३ जो १६ वर्ष की है, ने कहा कि पुलिस उसके दरवाजे पर आई और एक किवाड़ी उचटा कर अन्दर चली गई। उसकी मां को खींच कर उनलोगों ने बाहर कर दिया और तीन आदमियों ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया।

सा० स० ४ जो १६ वर्ष की है, ने कहा कि एक सिपाही किवाडी उचटा कर उसके घर में आया और उसने उसके साथ बलात्कार किया।

सा० स० ५ जो १८ वर्ष की है, ने कहा कि उसके भी घर में तीन सिपाही आये और एक ने उसके साथ बलात्कार किया।

सा० स० ६ जो २५ वर्ष की है, ने कहा कि दो सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसने उन्हें बताया कि उसे २० दिन पहले ही बच्चा हुआ था, पर इनलोगों ने नहीं माना। उसकी साड़ी खोल कर ब्लाउज फाड़ दिया और बलात्कार किया।

सा० स० ७ जो १८ वर्ष की है, ने कहा कि उसके साथ दो सिपाही ने घर में घुस कर बलात्कार किया।

सा० स० ८ जो १४ वर्ष की है, ने कहा कि उसके साथ दो सिपाहियों ने बारी-बारी से बलात्कार किया।

सा० स० ६ जो ३० वर्ष की है, ने कहा कि उसको पुलिस ने काफी गाली दी, किवाड़ खुलवा कर घर के अन्दर आ गई और निर्दयतापूर्वक बलात्कार किया।

सा० स० १० जो १६ वर्ष की है, ने कहा कि पुलिस दरवाजा तोड़ कर घर में घुस आई और गंदी-गंदी गालियां भी दी। शोर मचाने पर इन लोगों ने कहा कि अगर हल्ला करेगी तो १२–१४ जवान उतार देंगे। ऐसा कहते हुए एक आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया।

सा० स० ११ ने बताया कि दरवाजा खोलवा कर पुलिस घर में घुस आई और बलात्कार किया।

सा० स० १२ जो ३५ वर्ष की है, ने कहा कि एक चौकीदार और एक दफादार ने उसके साथ बलात्कार किया।

४२। समिति के सदस्य इसको भूल नहीं सकते हैं कि ये औरतें किस तरह से रो-रो कर अपना ब्यान समिति के समक्ष दे रही थीं। यह पूरी बस्ती पिछड़ी जाति और गरीबों की है जिन पर जोर-जुल्म ढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है। उनके पास वह शक्ति भी नहीं है कि घटना के समय ही उनका मुकाबला कर सकते या उसके बाद भी उसका कुछ प्रतिवाद कर सकते।

४३। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि सराउंडिंग सरकमस्टान्सेज और डेमिनर को ध्यान में रखते हुए समिति उनके साक्ष्य पर विश्वास करती है। भले ही वह साक्ष्य इन्डियन एभिडेन्स ऐक्ट की कसौटी पर खरा उतरे या नहीं।

४४। इस पृष्ठभूमि में छापामारी के समय पर अब विचार करना है। विपक्षियों के अनुसार भी पुलिस का दल कई घंटों तक बस्ती में रहा। ऊपर बताया जा चुका है कि पुलिस के बयान के अनुसार भी वे लोग लगभग साढ़े तीन घंटा बस्ती में ठहरे। जिस प्रकार का जघन्य अपराध इन्होंने किया है वह डेढ़-दो बजे रात में अधिक आसान है बनिस्पत ४-५ बजे सुबह में।

श्री रामचन्द्र गुप्ता ने भी कहा है कि जब रेडिंग पार्टी छापा मारकर वापस जा रही थी तो उनके सिर पर टोकरियों में कदुआ, ककड़ी आदि बहुत सी चीजें थी जीं वे लूट कर ले जा रहे थे। उपर्युक्त साक्ष्य और तर्कों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि पुलिस की छापामारी लगभग दो बजे रात में हुयी और इनलोगों ने गिरफ्तारी के अतिरिक्त काफी लूट-खसोट, मार-पीट और बलात्कार किया।

४५। अब हमे तीसरे प्रश्न पर विचार करना है जिसमें देखना है कि छापामारी नियमानुकूल और न्यायसंगत (जस्टीफायड) हुआ या नहीं।

इस विन्दु पर विचार करने के सिलसिल में इस प्रतिवेदन की कंडिका २७ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने इस केस को किसी तरह कौगनीजेबुल बनाया है क्योंकि बिना कौगनीजेबुल बनाये हुए अनुसंधान को अपने हाथ में लेने का अधिकार उसे नहीं था। यह दंड प्रक्रिया संहिता धारा १५४ से १५७ तक तथा धारा ४-एफ़ देखने से स्पष्ट हो जायगा।

इतना अगर मान भी लिया जाय कि दांत घटना में ही टूटे और वह कोगनीजेबुल औफेन्स हुआ, फिर भी यह देखना है कि रेड नियमानुकूल था या नहीं। इस संबंध में समिति ने श्री एस० एम० घोष (सा० सं० ४३), डी० आई०-जी०, भागलपुर से प्रश्न पूछे हैं जिनकी ओर ध्यान देना यहां आवश्यक है। इन्होंने स्वीकार किया है कि धारा १५७, सी० आर० पी० सी० के अतिरिक्त कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार ऐसी छापामारी की जा सके। धारा १५७ का आवश्यक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :

"157. *Procedure where cognizable offence suspected.*—(i) if from information received or therwise, an officer in charge of a police-station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf to proceed, to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender."

इससे स्पष्ट है कि पुलिस को घटनास्थल पर जाने का अधिकार है, परन्तु वह अधिकार सीमित है—घटना के अनुसंधान करने तक के लिये और यदि आवश्यक प्रतीत हो तब अभियुक्तों को कैद भी करने के लिये। अतएव यह स्पष्ट है कि पुलिस को पहले जाकर वहां छानबीन करना है, और उसके बाद ही कैद करने का अधिकार पुलिस को हो सकता है। बिना कोई अनुसंधान किये सीधे एक बार ही अभियुक्तों को जाकर पकड़ने का अधिकार पुलिस को नहीं है। ज्ञातव्य है कि इस केस में सिकन्दरा के दारोगा (सा० सं० ६०) दिनांक १ मई १९७३ को सुबह में गहलौर गये थे और उनका साक्ष्य है कि वहां उनको कुछ भी इन्क्रिमिनेटिंग नहीं मिला। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी अनुसंधान हुआ था उसके प्रकाश में अभियुक्तों को इस प्रकार से छापा मार कर पकड़ने का कोई कारण नहीं था। श्री एस० एम० घोष के समक्ष धारा १५७, दंड प्रक्रिया संहिता रखा गया और उनसे पूछा गया कि वे देख कर बतायें कि क्या यह रेड नियमानुकूल हुआ या नहीं। पढ़ने के बाद उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उनसे यह भी स्पष्ट पूछा गया कि बिना कोई अनुसंधान किये हुए इस केस में अरेष्ट करना कैसे आवश्यक समझा गया। इसके उत्तर में भी वे चुप ही रहे। इतना ही नहीं किसी केस पर कौन-सी कार्रवाई ली जाय, यह हरेक केस पर निर्भर करता है। जितने भी कोगनीजेबुल केस होते हैं सभी में छापामारी नहीं की जाती है। यह तो एक रेयर प्रक्रिया है जो बहुत संगीन मामलों में ही-की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए उनसे पूछा गया कि प्राथमिकी की तुलना में वह रेड जस्टीफायड था या नहीं। इसका उत्तर उन्होंने

दिया कि चूंकि एक सिपाही को ड्यूटी पर मारा गया था, यह रेड किया गया और मुदालहां को कैद करने के लिये यह रेड जस्टीफायड था। फिर जब यह पूछा गया कि ऐसा इसलिये किया गया कि एक सिपाही की बात थी, तो उसका भी कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। डी० आई०-जी० साहब के प्रश्नोत्तर से यह स्पष्ट होता है कि यह रेड केवल इसलिये किया गया कि एक सिपाही पीटा गया था और इसके सिवाय दूसरा कोई भी इसका आधार नहीं था। अगर कोई दूसरा आदमी इस तरह से पीटा गया होता तो ऐसा कदम नहो उठाया जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्याय अंधी होती है, इसकी आंखें नहीं होती हैं, वह मैन टू मैन में भेद नहीं करती है। अगर यह सिद्धांत सही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो छापामारी की गई, वह केस को जबरदस्ती कौगनेंजेबुल औफेन्स बनाकर की गई और वह न तो नियमानुकूल हुई और न न्यायसंगत ही।

४६। अब हम चतुर्थ प्रश्न पर, अर्थात् प्रशासी स्वास्थ्य और आरक्षी पदाधिकारियों द्वारा अदा की गई भूमिका पर आयें। प्रशासी पदाधिकारियों में मुंगेर के जिलाधिकारी और जमुई के एस० डी० ओ० के ऐक्शन पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। मुंगेर के जिलाधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह (सा० स० ३६) का साक्ष्य समिति के समक्ष हुआ है। पहले तो बताया जा चुका है कि दिनांक १ मई १९७३ को संध्या समय उन्हें डी० एस० पी० ने कहा कि उन्हें एक रेड में जाना था। दूसरे दिन भी सुबह डी० एस० पी० ने आकर उनसे कहा कि कुछ कौम्युनल टेन्शन हो गया था परन्तु अब कोई बात नहीं है। जिलाधिकारी ने इसकी कोई जांच नहीं की क्योंकि डी० एस० पी० ने उनसे कहा कि इसमें कुछ इन्क्रोमीनेटिंग नहीं था। समिति की राय में डी० एस० पी० ने अपने बचाव के लिये ऐसा कहा। दिनांक ५ मई १९७३ को डी० सी० सी० की मिटिंग में उन्हें गहलौर कांड के विषय में केन्द्रीय उप-मंत्री श्री डी० पी० यादव ने कहा। जिलाधिकारी ने इसे पर तुरत ऐक्शन लिया। जमुई के एस० डी० ओ० को बुलवाया और एस० पी० श्री सहदेव राम को भी फोन किया। जिलाधिकारी ने भी इन्क्वायरी करवाई जिसके अनुसार सूई देनेवाली बात प्रकाश में आई, परन्तु औरतों पर बलात्कार की बात प्रकाश में नहीं आई। पहले कहा जा चुका है कि औरतों का इस तरह से अपना बयान देना संभव नहीं था। जब डी० एस० पी० ने जिलाधिकारी से रेड और कौमुनल टेन्शन की बातें कही थी तो वहां एस० डी० ओ० भी उपस्थित थे। दिनांक २ मई १९७३ को डी० एस० पी० ने इन्हें खबर दिया कि उन्होंने १२ व्यक्तियों को कैद भी किया है। दिनांक ८ मई १९७३ को गहलौर के लोगों से सामूहिक रूप से एस० डी० ओ० ने पूछताछ की लेकिन केवल लूट-पाट आदि की बातें ही उनके समक्ष आई, औरतों पर बलात्कार की बातें उनसे किसी ने नहीं कही। कारण दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों प्रशासी अधिकारियों के विरुद्ध समिति को कुछ नहीं कहना है।

स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं सिकन्दरा के डॉ० एस० परखैत उन्होंने एकदम गलत प्रमाण देकर पुलिस को धांधली मचाने में जो सहयोग दिया है, उसका विशद वर्णन ऊपर (कंडिका २० से २७) किया जा चुका है। यह भी दिखाया जा

चुका हूँ कि गलत प्रमाण-पत्र देना इनका अभ्यास है और ठोकर खाने के बाद भी उन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी।

पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य जमुई में और पटने में लिये गये।

श्री एस० एम० घोष, डी० आई०-जी०, भागलपुर के संबंध में समिति की राय है कि पुलिस पार्टी के ऐक्शन को जस्टिफायड करने का उन्होंने विफल प्रयास किया।

श्री सहदेव राम, एस० पी० का स्थानान्तरण मुंगेर से हो चुका था और श्री देवी चरण सिंह उनसे चार्ज लेने वाले थे। श्री राम को दिनांक १८ मई १९७३ तक कार्यभार सौंपना था अतः वे बहुत व्यस्त थे। दिनांक ५ मई १९७३ को श्री रामेश्वर पासवान, स० वि० स० ने उनसे गहलौर के विषय में कहा था, परन्तु जैसा कि उनका कहना है, बलात्कार के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। जो भी हो, उन्होंने डी० एस० पी० से एक रिपोर्ट मांगी और पटना के आई०-जी० ने जब रिपोर्ट मांगी तब उन्होंने डी० एस० पी० वाली रिपोर्ट भेज दी। जिस प्रकार घटना घटी है, समिति यह महसूस करती है कि श्री राम को वहां स्वयं जाकर जांच-पड़ताल करना चाहिये था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका वे दो कारण बताते हैं एक तो आई०-जी० का ऐसा आदेश नहीं था कि वे स्वयं घटना-स्थल पर जाकर जांच करें, और दूसरा कि वे दिनांक १८ मई १९७३ को कार्यभार सौंपने की तैयारी में व्यस्त थे। जो भी हो, समिति की राय है कि उन्हें वहा स्वयं जाना चाहिये था।

श्री देवी चरण सिंह, जो नये एस० पी० हैं, दिनांक १३ जुलाई १९७३ को गहलौर जांच करने के लिये स्वयं गये थे। वहां उन्होंने कुछ लोगों का बयान लिया। औरतों के भी बयान लिये गये। लूट-पाट, तथा मार-पीट की बातें आई पर औरतों पर बलात्कार की बात किसी ने नहीं कही। डी० एस० पी० की रिपोर्ट भी उन्होंने देखी थी जिसमें मौलेस्टेन तथा रेप के अभियोग झूठे पाये गये थे। इन्होंने अपनी जांच जारी नहीं रखी, क्योंकि सदन की समिति तबतक नियुक्त हो चुकी थी। उनके भी विरुद्ध समिति को कुछ कहना नहीं है।

श्री कृष्णानन्द प्रसाद सिंह (सा० स० ६३) इन्सपेक्टर का इसमें कोई ऐसी भूमिका नहीं है जिसपर विचार किया जाय।

श्री मृत्युंजय कुमार झा, डी० एस० पी० ने दिनांक २ मई १९७३ को छापामारी करवाई, यह ऊपर बताया जा चुका है। यह छापामारी नियमानुकूल और न्याय-संगत नहीं थी। इस अनियमित एवं अन्यायपूर्ण छापामारी का पूरा दायित्व श्री झा पर जाता है। परन्तु छापामारी में जो अतिक्रमण हुए, उसके संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ऐसा कहा जा सके कि श्री झा ने उन कुकर्मों को करने का आदेश दिया था। इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है कि डा० पुरखैत ने जो झूठा प्रमाण-पत्र दिया, वह श्री झा के कहने से।

श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह थाना प्रभारी, सिकन्दरा और श्री हरेन्द्र प्रसाद, हलसी छापामारी में गये और ये ही दोनों उसका नेतृत्व कर रहे थे। उनके

साथ श्री रामलखन लाल, जमादार, सिकन्दरा भी थे। इन तीनों के समक्ष छापा मारी में क्या-क्या हुआ इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों ने स्वयं अतिक्रमण किया हो या नहीं, परन्तु उनके ही नेतृत्व में सभी कुकर्म किये गये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।

छापामारी में जितने सिपाही गये थे उनलोगों ने सामूहिक रूप से क्या-क्या किया यह ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। किस-किस सिपाही ने बलात्कार किया इसका कोई प्रमाण समिति को नहीं मिला है, पर सामूहिक रूप से वे सभी दोषी हैं। उनके संबंध में जितना भी कहा जाय वह थोड़ा ही होगा।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जितने अभियोग लगाये थे, वे मुख्यतः सही पाये गये।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक जघन्य अपराध किया गया परन्तु सरकारी यंत्र इसमें समय पर सूचना लेने में तथा उचित कार्रवाई करने में असफल रहा है।

समिति के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर अधिकारियों का यह कहना कि औरतों के साथ छेड़खानी और बलात्कार की सूचना इनके पास नहीं थी, एकदम नहीं जंचता है। दिनांक ५ मई, १९७३ को जिला विकास समिति की मीटिंग के बाद जिलाधिकारी को दी गई सूचना, दिनांक ११ मई, १९७३ को उप-आरक्षी अधीक्षक, जमुई द्वारा आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर को लिखा गया पत्र (प्रदर्श १२ का अनुलग्नक), और लोक सभा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में, दिनांक २४ मई, १९७३ को मुंगेर के ज़िलाधिकारी से की गई जिज्ञासा (प्रदर्श १७ और १८) से स्पष्ट होता है कि उन्हें सूचना मिल चुकी थी।

समिति की राय में संबंधित अधिकारियों ने पूरे विषय पर भ्रामक रूप से पर्दा डालने का प्रयास किया। अगर श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया होता तो जो बात दबा दी गई थी, वह दबी ही रह जाती।

समिति इस पर बल देना चाहेगी कि दोषी व्यक्तियों पर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाय जिसमें भविष्य में इस प्रकार के बर्बर और घृणित कर्म नहीं किये जायं।

समिति को खेद है कि स्वतंत्रता के २५ वर्ष के बाद भी इस प्रकार की शर्मनाक घटनायें घट जाती हैं।

(ह०) शकूर अहमद
(ह०) सुनील मुखर्जी
(ह०) विजय कुमार मित्र
(ह०) हरिहर प्रसाद सिंह
(ह०) कर्पूरी ठाकुर
(ह०) कपिलदेव सिंह

(ह०) जय नारायण
(ह०) एस० के० बागे
(ह०) सरयू मिश्र
(ह०) रामशरण प्रसाद सिंह
(ह०) भीष्म प्रसाद यादव

## परिशिष्ट क।

### प्रदर्श-सूची।

प्रदर्श १—२८ अप्रील १९७३ श्री तौहीद खां को कमान्ड प्रतिलिपि वारंट की प्रतिलिपि के साथ।

प्रदर्श २—३० अप्रील १९७३ श्री तौहीद खां की प्राथमिकी की प्रतिलिपि।

प्रदर्श ३—३० अप्रील १९७३ डॉ० पुरखेत का प्रमाण-पत्र (फारम पर) प्रतिलिपि।

प्रदर्श ४—२८ अप्रील १९७३ से २ मई १९७३ सिकन्दरा थाने की स्टेशन डायरी से आवश्यक उद्धरण।

प्रदर्श ५—१ मई १९७३ हवसी थाने की स्टेशन डायरी से आवश्यक उद्धरण।

प्रदर्श ६—२ मई १९७३ से १० मई १९७३ एस० डी० ओ० के केस रेकर्ड से आवश्यक नोट।

प्रदर्श ७—२ मई १९७३ सिकन्दरा थाना के केस डायरी से आवश्यक उद्धरण।

प्रदर्श ८—२ मई १९७३ पुलिस छापामारी दल में सम्मिलित पदाधिकारियों एवं आरक्षियों के नाम।

प्रदर्श ९—७ मई १९७३ जमुई के डी० एस० पी० द्वारा मुंगेर एस० पी० को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १०—९ मई १९७३ एस० पी० द्वारा मुंगेर के जिलाधिकारी को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श ११—१३ मई १९७३ डी० आई०-जी०, भागलपुर द्वारा एस० पी०, मुंगेर को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १२—१७ मई १९७३ मुंगेर के एस० पी० द्वारा आई०-जी०, पटना को लिखे गये गोपनीय पत्र की प्रतिलिपि।

अनुलग्नक—डी० एस० पी०, जमुई द्वारा एस० पी०, मुंगेर को ११ मई १९७३ लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १३—१८ मई १९७३ जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा आयुक्त, भागलपुर को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १४—१८ मई १९७३ डी० आई०-जी०, भागलपुर द्वारा आई०-जी०, पटना को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १५—२१ मई १९७३ सी० आई० डी०, पटना से एस० पी०, मुंगेर को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १६—२२ मई १९७३ डी० आई०-जी०, भागलपुर से एस० पी०, मुंगेर को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १७—१५ मई १९७३ एस० डी० ओ०, जमुई द्वारा जिलाधिकारी, मुंगेर को भेजगये वायरलेस मेसेज की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १८—३० मई १९७३ जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा गृह (विशेष) विभाग पटना को तथा आयुक्त, भागलपुर को भेजे गये वायरलेस मेसेज की प्रतिलिपि।

प्रदर्श १९—२८ जून १९७३ डी० आई०-जी०, भागलपुर द्वारा एस० पी०, मुंगेर को लिखे गये गोपनीय पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श २०—१६ मार्च १९७२ मुंगेर के सत्र-न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश-पत्र की प्रतिलिपि।

प्रदर्श २१—१२ मार्च १९७२ डॉ० पुरखैत द्वारा दिया गया एक प्रमाण-पत्र (प्रतिलिपि)।

प्रदर्श २२—१४ मार्च १९७२ डॉ० पुरखैत द्वारा दिया गया एक बेड हेड टिकट (प्रतिलिपि)।

प्रदर्श २३—१४ मार्च १९७२ मुंगेर न्यायालय के निवन्धक का प्रतिवेदन।

प्रदर्श २४—१२ अप्रील १९७२ डॉ० पुरखैत का परीक्षण (मुंगेर सत्र न्यायालय में) की प्रतिलिपि।

प्रदर्श २५—१२ अप्रील १९७२ डॉ० पुरखैत का स्पष्टीकरण-सत्र न्यायालय में (प्रतिलिपि)।

प्रदर्श २६—१० मई १९७३ एस० डी० ओ० का आदेश।

प्रदर्श १।

Sch. XLVII—F. No. III. (P. M. F. No. 9.) (Rule 90.). No. 070117

U

Command certificate to be carried by Police Officers deputed on duty
District and Station—

| Detail of force with name. | Where Proceeding. | Description of duty and number of escort requisition. | DATE AND HOUR OF Departure. | Arrival. | Receiving permission to return with signature of officer giving permission. | Date and hour of return to be noted etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का० ८०२ तौहिद खां साथ चौकीदार वहरम्वा—बहादुरपुर वास्ते करने रात गश्ती तीन रात में २५-४-१९७३ | | | | | Arrived at 10 hours. Departure 14 hours. (Sd.) ILLEGIBLE, 28-4 | |

NOTE.—If any delay occurs it will at once be detected from the entries in the last four columns, delinquent brought to task, and his explanation taken by the enquiring officer and recorded on the back of the certificate, which should then be sent for orders to the Superintendent.

१६८ द(एल०ए०)—५

प्रदर्श-१

| | | |
|---|---|---|
| २५/४ — २८/४ | .. | बहादुरपुर वहरामा । |
| २६/४ — २९/४ | .. | लछुआड़ । |
| २७/४ — ३०/४ | .. | हरिहरपुर । |

---

सिपाही को पुनः इसी कमान पर वापस किया जाता है के आदेश दिया जाता है कि गस्ती के क्रम में लम्वित वारन्ट का तामीला कर थाना वापस आयेंगे ।

(ह०) अस्पष्ट,
२४-४-१९७३ ।

Schedule XLIII—High Court (M) 36C [Old C. P. 9C.]

# WARRANT IN THE FIRST INSTANCE TO BRING UP A WITNESS.

NO. VII SCHEDULE V. ACT V. 1898

(Section 90 of the Code of Criminal Procedure.)

गवाह को हाजिर करने के लिए पहली मरतवा वारन्ट

| | |
|---|---|
| (१) नाम व बहदा वहदादारे पुलिस या दीगर शखस या असखास जो वारन्ट को जारी करें। | (दफा ९०, मजमुअए जवाबिते फौजदारी)<br>व-नाम O/C Sikandra P. S. |
| | Ramsahai Manjhi, S/o Etwari<br>चूंकि हुजूर में नालिस की गई है के |
| (२) किया है या सकिन करने का उनपर शुबहा है। | 452/380 June of V. Tulladih, P. S. Sadar. |
| (३) जुर्म को मुखबिर का किया (३) तौर पर लिखें। | |
| (४) नाम व निशान गवाह। | और मालूम होता है के (४) नालिश मजकूर की बावत गवाही दे सकेंगे और चूंकि मुझको यह गुमान करने को माकूल और काफी वजह है के बेला जबर नालिश मजकूर की शमाअत के वक्त गवाही देने को वह हाजिर नहीं होंगे। |
| (५) नाम। | इसलिए आपको हुक्म होता है के आप (५) मजकूर को गिरफ्तार करें और ब-तारीख २६ माह अप्रील १९७३ उसको इस अदालत में वास्ते देने गवाही बावत जुर्म मजकूर के हाजिर करें। |
| | मेरे दस्तखत और अदालत की मुहर से दिया गया।<br>आज ता० २ मार्च ३ सन् १९७३.। |

(Sd.) ILLEGIBLE,

## प्रदर्श-२

प्राथमिकी (श्री तौहीद खां का बयान)

मेरा नाम तौहीद खां, पे० जाहीद हुसैन खां, ग्राम बसंत, थाना मखनपुर, जिला गया है। मैं थाना सिकन्दरा में सिपाही पद पर हूँ और मेरा नं० ८०२ है। मैं आज ता० ३० अप्रील १९७३ समय ६ बजे शाम को साथ दफादार गेन्हरी सिंह और १०/२ चौकीदार किसुन गोप के थाना पर आकर आप दारोगा के सामने बयान करता हूँ कि मुझे २५ अप्रील १९७३ को थाना से मौजे बहादुरपुर, बहरांवा, लछुआर, हरिहरपुर वगैरह का गस्ती करने तथा वारन्ट तामील करने के लिये कमान्ड मिला था। आज ता० ३० अप्रील १९७३ को ७ बजे सुबह में तुलाडीह ग्राम में राम सहाय मांझी, पे० एतवारी मांझी, साकिन तुलाडीह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट तामील करने गये जो ए० बी० प्रसाद, मुन्सिफ दंडाधिकारी, जमुई के कोर्ट से जी० आर० केस ६४८/७१ जारी किया गया था और आप थाना प्रभारी ने मुझे तामील के लिये आदेश दिया था। वहां जाने पर पता चला कि उपरोक्त वारन्टी गहलौर ग्राम में ईंटा बनाने का काम कर रहा है। इस पर मैं गहलौर के लिये रवाना हुआ। रास्ते में मौजा रिसरी में मुझे सरकिल दफादार गेन्हारी सिंह और महाल चौकीदार १०/२ किसुन गोप से मुलाकात हुई। वहां से हमलोग गहलौर के लिए रवाना हुए। गहलौर बस्ती के दक्षिण-पूरब कुछ मजदूरों को ईंट बनाते देखा। वहां पहुँच कर वारन्टी राम सहाय मांझी के बारे में पूछ-ताछ कर ही रहा था कि वह आदमी गहलौर गांव की तरफ भागा। हमलोगों ने उसका पीछा किया। परन्तु कहीं पता नहीं चला। इस पर मैंने गांव वालों को कहा कि उनलोगों ने जान-बूझकर वारन्टी को अपने घर में छिपाया है अतः उनके विरुद्ध वे मुकदमा कराने थाना जा रहे हैं। यह कह कर मैं उपरोक्त दफादार और चौकीदार के साथ करीब बारह बजे दिन में गहलौर गांव से चला। और गांव से अभी थोड़े ही दूर गये थे कि गांव की तरफ से करीब १०० आदमी का गोहार लाठी लेकर मारो-मारो की आवाज करते हुए हमलोगों के तरफ बढ़ा। इस पर हमलोग कुछ तेजी से आगे बढ़े कि गहलौर वाले दौड़ कर हमको घेर लिये। गोहार में का एक आदमी जिसका नाम लालो गरेड़ी पता चला है, कहा कि इस सिपाही को जान से मार कर खतम कर दो। उसके ललकारने पर गांव वाले हमको लाठी से तथा लाठी के हुरा से मार कर मुझे बुरी तरह जख्मी किये। और वे मेरा दांत तोड़ दिये। मैं चोट के कारण जख्मी होकर गिर पड़ा और दफादार तथा चौकीदार हल्ला करते हुए राधानगर की तरफ दौड़े। इसके बाद गोहार के लोगों ने कहा कि इस सिपाही को अब जला दिया जाय नहीं तो यह हमलोगों को फंसा देगा। यह कह कर उनलोगों ने मुझे टांग कर गांव में साम्बे स्टेट के कचहरी के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे ले आकर रखे और घेरे रहे। उनलोगों ने मेरा सरकारी खाकी कमीज के पाकिट से १६ रु० नकद निकाल लिया और कमीज के खून का दाग मिटाने की नीयत से पानी से धो दिया। दफादार तथा चौकीदार के हल्ला पर मीरजागंज के भूतपूर्व मुखिया

रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता जो राधानगर में थे कुछ आदमियों के साथ आये और दफादार और चौकीदार की मदद से मुझे अपने गांव पर लाये और एक हकीम साहब से मेरा दवा-दारू कराये। गोहार में से नीचे लिखे आदमियों का दफादार तथा चौकीदार ने नाम मुझे बताया है। मैं भी उनलोगों का तथा गोहार के अन्य लोगों का चेहरा देख कर पहचान करूँगा। मैं सिपाही की पूरी वर्दी में था।

मुदालहों का नाम—

(१) फोदी यादव, पे० गिरधारी यादव;
(२) सीता यादव, पे० फौदी यादव;
(३) प्रहलाद यादव, पे० फौदी यादव;
(४) तुलसी यादव, पे० गांगु यादव;
(५) शिव यादव, पे० गांगु यादव;
(६) दाहु यादव, पे० ग्यान यादव;
(७) हरि यादव, पे० दाहु यादव;
(८) फगु यादव, पे० ग्यान यादव;
(९) ब्रह्मदेव गरेड़ी, पे० हीरा गरेड़ी;
(१०) लालो गरेड़ी, पे० काली गरेड़ी;
(११) कैलास गरेड़ी, पे० काली गरेड़ी;
(१२) बालेश्वर गरेड़ी, पे० नामालूम;
(१३) लाटो महतो, पे० अमृत महतो;
(१४) जलेशो मांझी, पे० नामालूम;
(१५) राजो मांझी, पे० नामालूम ;
(१६) कामेश्वर ढ़ारी, पे० कुलदीप ढ़ारी;
(१७) बाजो ढ़ारी, पे० कुलदीप ढ़ारी;
(१८) महादेव भगत, पे० लछुमन भगत;
(१९) गेंधारी पासवान, पे० सांचो पासवान;
(२०) कपुरी साहु, पे० इन्दरजीत साहु;
(२१) जमुना ठाकुर, पे० नामालूम।

कुल साकीनन गहलौर तथा अन्य ७५—८० व्यक्ति गहलौर का जिनका चेहरा तथा उपरोक्त दफादार और चौकीदार पहचान करूंगा।

मेरा दावी ऊपर लिखाये लोगों पर एतनियत से नाजायज मजमा बना कर मेरा जान मारने के नीयत से मुझे बुरी तरह जख्मी करने, दांत तोड़ने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, मेरा रुपया चोरी करने तथा मेरी खाकी कमीज में लगा खून (सबूत) धोकर गायब करने का है। यान पढ़वा कर सुना और ठीक पाकर अपना दस्तखत बनाया।

तौहीद खां,
३०-४-१९७३।

प्रदर्श ३

# FORM OF MEDICAL EXAMINATION OF WOUNDED PERSONS.

(*Rule* 212.)
F. I. R. no. 13, dated 30-4-1973.
Station diary entry u/s 147/307/325/353/379/201, I. P. C.

*Dated the* 30*th April* 1973

District

To

The Civil Surgeon, Sikandra Hospital,

Medical Officer-in-charge, Hospital.

SIR,

I have the honour to request the favour of your examining Tawhid Khan, Constable 802, Sikandra P.-S. sent to the hospital on 30th April 1973 after satisfying yourself that he consents to examination. The question(s) and answer(s) on this point may kindly be certified at the place provided on the back of this form.

The columns of the form should be filled in and the form returned in duplicate with such remarks as you consider necessary to show clearly your opinion of the cause of the injuries.

Should there be any fear of the case terminating fatally or should unfavourable symptoms develop at any time immediate information should be given to the court sub-inspector and to me so that steps may be taken to have the dying declaration recorded by a Magistrate.

All that is known of the case at present is as follows :—

(1) 15 Sat injuries on his back at different places with swelling and redness.

(2) Injury with swelling on lower part of left knee.

(3) Swelling on left hand palm.

(4) Bleeding injuries on his head.

(5) One tooth broken and other partly broken with swelling on upper lip.

(6) Swelling on right hand.

(7) Complain of pain on whole body.

Yours faithfully,<br>
Sd. B. P. SINHA,<br>
30/4<br>
Sub-Inspector of Police.

To

POLICE-STATION

THE SUB-INSPECTOR OF POLICE.

SIR,

I have the honour to forward herewith the result of my examination of Tauhid Khan, son of Constable No. 80, resident of Sikandra P.-S.

| Nature of injury, i.e. whethe· a cut, bruise or a bum etc., etc. | Size of each injury in inches, i.e., length, breadth and depth. | On what part of the body inflicted. | Whether "simple" or "grievous". | By wha· kind of weapon inflicted. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Fifteen Bruises .. | $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'$ each. | On the both side of back. | Simple .. | By blunt w apon. | Examinee on 30/4 at 8 P.M. |
| 2. One Abrasion with swelling. | $1'' \times \frac{1}{2}''$ | On the back of left knee. | Ditto | By blunt weapon | All of peguration 12 hours. |
| 3. One swelling .. | $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ | On back of left palm. | Ditto | By blunt weapon | M. I. —One grooved |
| 4. One laceratical wound .. | $1'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ | On left side of back of Scalp-moccipital region. | Ditto | By blunt weapon | scare sk. side of face. |
| 5. Fracture (broken) Ist molar ooth of upper right jaw. | | | Grievous | By blunt weapon | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. Fracture ½ broken) left lateral incisor tooth of upper jaw. .. | | | Ditto | By blunt weapon. |
| 7. One swelling.. .. | 2″×1″ | On the right arm | Simple | By blunt weapon. |
| 8. Complain of pain .. | | All over body .. | Ditto | By blunt weapon. |

I certify that the said was asked the question (s) noted below and gave the answer (s) recorded :—

Question (s) asked :—

Reply given—

Yours faithfully,
Sd. ILLEGIBLE,
30/4.
Civil Surgeon, State Dispensary.

## प्रदर्श ४ ।

### स्टेशन डायरी, सिकन्दरा थाना ।

२८-४-१९७३—सि० नं० ४८५, समय १० बजे, निम्नलिखित सिपाही गस्ती बाद थाना वापस आये वो सब खैरियत रिपोर्ट दिये ।

कं० सं० ८०२, तौहीद खां, बहरावां ।

२८-४-१९७३—सि० नं० ४८६, समय १४ बजे, निम्नलिखित सिपाही....... को गश्ती करने के लिये . ..........८०२ तौहीद खां, लछुआर बहरावां । इसमें वारन्ट का जिक्र नजर नहीं आता है ।

३०-४-१९७३—सि० नं० ५२८, समय १ बजे, आ० ८०२ तौहीद खां थाना वापस आये और इसके बयान पर सिकन्दरा था० का० नं० १३ दि० ३०-४-१९७३ धारा १४७/३०७/३२५/३५३/३७९/२०१ भा० वि० के विरुद्ध फौजी यादव अन्य वगैरह के दर्ज किया और इसका जांच आरम्भ किया ।

३०-४-१९७३—सि० नं० ५२९, समय १९-३० बजे, आ० ८०२ तौहीद खां को राजकीय अस्पताल सिकन्दरा में अपने चोट का मुलाहजा तथा इलाज करने के लिये रवाना किया ।

३०-४-१९७३—सि० नं० ५३१, समय २०-३० बजे—मैं थाना प्रभारी बी० पी० सिन्हा, साथ सुखदेव राम, दफादार, गेन्हारी सिंह के साथ कांड सं० १३(४) ७३ का अनुसंधान करने प्रस्थान किया ।

दि० १-५-१९७३—सि० १४, समय ३० बजे—मैं थाना प्रभारी बी० पी० सिन्हा थाना वापस आये ।

दि० १-५-१९७३—सि० १५, समय २१ बजे—अवर निरीक्षक श्री हरेन्द्र प्रसाद साथ आ० ५१५ सहदेव महतो के थाना पर रेड करने के लिये आये ।

दि० १-५-१९७३—सि० १६, समय १ बजे (२-५-१९७३)—मैं थाना प्रभारी, विन्ध्याचल प्रसाद सिंहा साथ अ० वि० हरेन्द्र प्रसाद (हलसी) सहायक अवर निरीक्षक राम लखन लाल, हवलदार सिद्ध नाथ सिंह का० नं० २०३०,

राम प्रसाद यादव, का० ४४१ चन्द्रमोहन पुरती, नायक राम बिहारी सिंह, डी० पी० सी० ५१६ हाफिज खां कां० १०५७ मु० कलीम, ४६४ मेघवरण सिंह, का० ८१६ गणेश चौधरी, १३८, मु० नसीव खां, २०४, सहजादा खां, का० १०१८ नारायण ओझा, ६२०, श्यामदेव पांडेय (आर्म्ड सभी), का० ७६२, सुखदेव राम के थाना से मुकदमा नं० १३(४)७३ धारा १४७/३०७/३२५/३५३/३७६/२०१/भा० वि० के सम्बन्ध में रेड करने के लिये प्रस्थान किया ।

२-५-१६७३—सि० २३, समय १० बजे—मैं थाना प्रभारी बी० पी० सिन्हा, साथ स० अ० नि० रामलखन लाल, का० ७४२ शुकदेव राम, मु० नं० १३(४)७३ धारा १४३/३०७/३२५/३५३/३७६/२०१ भा० द० वि० के रेड तथा अनुसंधान बाद थाना वापस आये । रेड में गिरफ्तार १२ अभियुक्तन को फारवार्डिंग पत्र के साथ हवलदार सिद्धनाथ सिंह का० २०३६ राम प्रसाद यादव, कां० ६१० कमला मिश्र, कां० ८७६ धैर्यकान्त झा और कां० ४४१ चन्द्रमोहन पुरती ग्राम गहलौर से ही जमुई कोर्ट में अभियुक्तों को जमा करने के लिये कमान्ड दिया । फरार अभियुक्तों के विरुद्ध वारन्ट, जप्ती कुर्की जारी करने के लिये कमान्ड दिया । नायक राम बिहारी सिंह और अन्य आठ........जवानों को जमुई के लिये रवाना कर दिया है । डायरी का चार्ज लिया ।

प्रदर्श ५ ।

स्टेशन डायरी, हलसी ।

१-५-१६७३, सिरियल नं० १६, समय २० पी० एम० ।

मैं थाना प्रभारी हरेन्द्र प्रसाद सामिल कांस्टेबुल ५१५ सहदेव महतो के आरक्षी उपाधीक्षक, जमुई के आदेशानुसार सिकन्दरा थाना मुकदमा नं० १३(४)७३ के सम्वन्ध में सिकन्दरा के लिये प्रस्थान किया ।

२-५-१६७३—सि० नं० २७-५, समय ११-३० बजे—मैं थाना प्रभारी हरेन्द्र प्रसाद साथ का० ५१५ सहदेव महतो और सिकन्दरा के थाना प्रभारी के साथ रेड कर थाना वापस आये ।

## प्रदर्श ६ ।

### केस रिकार्ड ।

२-५-१९७३—१२ कैदी उपस्थित किये गये । सभी को जेल भेजा गया १७ व्यक्तियों के विरुद्ध ८७/८८ धारा किया गया । वारन्ट के साथ ।

८-५-१९७३—फौदी महतो, सीताराम यादव, प्रहलाद यादव, तुलसी यादव, शिवू यादव, हरि यादव, फागू यादव, कपूरी साव, यमुना ठाकुर, राजो मांझी, गेन्धारी पासवान हाजिर हुए । जमानत का दरखास्त किया ।

८-५-१९७३—ब्रह्मदेव गरेड़ी, लालो गरेड़ी, कैलास गरेड़ी, बालेश्वर गरेड़ी, महादेव भगत, लालो महतो हाजिर हुए और जमानत का दरखास्त दिया ।

८-५-१९७३—दाहु यादव, करम यादव, पुना महतो, मीतरु महतो, गोवरधन महतो, चतुरी साव, जानकी पासवान, कामेश्वर ढारी, बाजो ढारी, धनेश्वर मांझी, अर्जुन मांझी, जलेशी मांझी जो कैद में हैं, लाये गये ।

सबों को जेल भेजा गया । जमानत प्रेस नही किया गया । प्रोसेस रिकौल किया गया ।

८-५-१९७३—जमानत का दरखास्त मूभ हुआ । कल सुनवाई होगी ।

९-५-१९७३—जमानत का दरखास्त कल ।

१०-५-१९७३—सुनवाई हुई । आदेश रिजर्व ।

१०-५-१९७३—सभी के जमानत का दरखास्त मंजूर हुआ । एस० डी० ओ० ने अपने आदेश में लिखा है कि २६ मुद्दालहों के टी० आई० पैरेड में २१ का पहचान किया गया है । परन्तु पैरेड के बारे में ऐसी बातें भी हैं जिनसे पता चलता है कि पैरेड की आवश्यकता नहीं थी तथा पैरेड में बहुत अनियमिततायें हुई हैं । एस० डी० ओ० के ख्याल में यह ३०७ का केस नहीं है । दांत टूट जाने से केवल संगीन बनाया गया है । १६ रु० चुराने की भी बात भी, ऐसा लगता है कि एस० डी० ओ० ने विश्वास नहीं किया । एस० डी० ओ० ने इसे भी विश्वास नहीं किया कि चौकीदार और दफादार उनके साथ थे ।

प्रदर्श ७ ।

थाना का केस डायरी ।

२-५-१९७३ को एक बजे रात्रि—नं० ३७—अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना से श्री हरेन्द्र प्रसाद, थाना प्रभारी, हलसी, स० अ० नि०, राम लखन लाल, सशस्त्र पुलिस के हवलदार श्री सिद्धनाथ सिंह, सि० २०३६ राम प्र० यादव, ६१० कमला मिश्र, ८७६ धैर्यकान्त झा, ४४१ चन्द्र मोहन पुरती, नायक राम बिहारी सिंह, डी० पी० सी० ५८६ हाफिज खां, सि० १०५७ मो० कलीम, सि० ४६४ मेघवरन सिंह, सि० ८१९ गनेश चौधरी, सि० १३८ मो० नसीब खां, सि० ८०४ सहजादा खां, सि० १०१८ नारायण चौपाल, ६२०८ श्यामदेव पांडे तथा थाना के सिपाही ७६२ शुकदेव राम के लिये प्रस्थान किया ।

नं० ३८—सिकन्दरा चौक पर सवारी के लिये इन्तजार किया ।

२ बजे—नं० ३९—सिकन्दरा चौक से प्रस्थान किया ।

२-३० बजे—नं० ४०—मिरजागंज पहुँचे । अलीगंज अपराध केन्द्र पर तैनात सिपाही ५७५ राम दहीन तिवारी तथा चौकीदार डोमन पासवान तथा जदु पासवान एवं वन्धु पासवान को साथ लिया ।

४ बजे—नं० ४१—गहलौर गये । अभियुक्तों पर छापामारी प्रारम्भ किया ।

नं० ४२—गहलौर ग्राम के पूरब खलिहान में निम्नांकित अभियुक्तों को पाया और उन्हें गिरफ्तार किया :—

(१) दाहु यादव, पे० ग्यान यादव;
(२) जलेसी मांझी, पे० गाजो मांझी;
(३) कामेश्वर ढारी, पे० कुलदीप ढारी;
(४) वाजो ढारी, पे० कुलदीप ढारी;
कुल साकीनान गहलौर;

नं० ४३—उपरोक्त अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाये दोष को इनकार किया और बताया कि ग्राम के चतुरी साव, करम यादव, जानकी पासवान, मितरु यादव, धनेश्वर मांझी, गोबरधन महतो, अर्जुन मांझी, पुना महतो लोग भी हल्ला पर घटनास्थल पर गये थे और इस कांड में सम्मिलित हुए हैं ।

नं० ४४—उपरोक्त अभियुक्तों ने स्तम्भ ४३ में वर्णित व्यक्तियों का घर बताया तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया ।

नं० ४५—यह उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के समय उपरोक्त अभियुक्तों के हल्ला पर गांव में भगदड़ मच गया। गांव के मर्द औरत भागने लगे। इस भगदड़ में लड़खड़ाते गिरते बहुत अभियुक्त निकल भागे।

नं० ४६—निम्नांकित अभियुक्त तथा सन्देही इस छापामारी में गिरफ्तार किये गये :—

(१) दाहु यादव, पे० ग्यान यादव;
(२) जलेशी मांझी, पे० गाजो मांझी;
(३) कामेश्वर ढारी, पे० कुलदीप ढारी;
(४) बाजो ढारी, पे० कुलदीप ढारी;

१से ४ प्राथमिकी के अभियुक्त।

(५) चतुरी साव कान्द, पे० हेमराज कान्दु;
(६) करण यादव, पे० जीतन यादव;
(७) जानकी पासवान, पे० परमेश्वर पासवान;
(८) मिश्री यादव, पे० शिवु यादव;
(९) घनेश्वर मांझी, पे० करझींगन मांझी;
(१०) गोवरधन महतो, पे० कारु महतो;
(११) अर्जुन मांझी, पे० गुरुचरण मांझी;
(१२) पुना महतो, पे० जेहल महतो;
कुल साकिनान गहलौर);

क्रम संख्या ५ से १२ संदेही है जिन्हें पहचान परेड में रखने के लिये गिरफ्तार किया गया। इनलोगों ने अपने विरुद्ध लगाये दोष को इनकार किया और सफाई में कुछ भी नहीं बताया।

नं० ४७—प्राथमिकी के अन्य अभियुक्तों का खोज किया पर वे लापता पाये गये।

नं० ४८—हवलदार सिद्धनाथ सिंह, सि० ४४१ कृष्णमोहन, ८७६ धैर्यकान्त झा, ९१० कमला मिश्र तथा १०३६ राम प्रसाद यादव को गिरफ्तार १२ अभियुक्तों तथा संदेहियों को जमुई कोर्ट में ले जाने के लिये तैनात किया। इनकी जमा तलाशी से पहनने के कपडा के अलावे अन्य कोई चीज बरामद नहीं हुआ।

नं० ४९—आरक्षी उपाधीक्षक महोदय ने गिरफ्तार १२ व्यक्तियों से पूछताछ किया। उनलोगों ने अपने विरुद्ध लगाये दोष को इनकार किया और सफाई में कुछ भी नहीं बताया। रेडिंग पार्टी या स्कौटिंग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं किया। आरक्षी उपाधीक्षक ने स्कौटिंग पार्टी को आदेश दिया कि इन्हें जमुई कोर्ट तुरत ले जायं।

नं० ५०—१० बजे थाना वापस आये।

प्रदश ८

List of officers and men of raiding party regarding Gahlour incident.

| Name of the officers and men. | | Caste. |
|---|---|---|
| 1. S.-I. Bindhyachal Pd. Singh of Sikandra P.-S. | | Bhumihar. |
| 2. S.-I. Harendra Pd. of Halsi P.-S. | | Kayasth. |
| 3. A.S.-I. Ram Lakhan Lal of Sikandra P.-S. | | Ditto. |
| 4. Havi. Sidhnath Singh | ... | Rajput. |
| 5. C/204 Ram Prasad Yadav | ... | Yadav. |
| 6. C/910 Kamla Mishra | ... | Brahmin. |
| 7. C/876 Dharayakant Jha | ... | Ditto. |
| 8. C/441 Chandra Mohan Purti | ... | Adivasi. |
| 9. Naik Ram Bihari Singh | ... | Rajput. |
| 10. D. P. C. 586 Hafiz Khan | ... | Mohamedan. |
| 11. C/1057 Md. Kalim | ... | Ditto. |
| 12. C/494 Megh Baran Singh | ... | Yadav. |
| 13. C/819 Ganesh Choudhary | ... | Pasi. |
| 14. C/138 Md. Nasib Khan | ... | Mohamedan. |
| 15. C/804 Sahjada Khan | ... | Ditto. |
| 16. C/1018 Narain Choupal | ... | Mallah. |
| 17. C/920 Shyamdeo Pandey | ... | Bhumihar. |
| 18. C/762 Sukhdeo Ram | ... | Yadav. |
| 19. C/575 Ramdahin Tiwary | ... | Brahmin. |

Rural Police.

1. Choukidar Doman Paswan.
2. Choukidar Jatu Paswan.
3. Choukidar Bandhu Paswan.

प्रदर्श ६

Camp. Sikandra no. Nil
dated the 7th May, 1973.

From

N. K. Jha, D. S. P., Jamui.

To

The Superintendent of Police, Monghyr.

*Subject and Reference.*—Sikandra P.-S. Case no. 13, dated 30th April 1973 u/s 147/307/323/353/379/201 IPC concerning assault on P.-S. constable on duty.

Sir,

On the subject and reference noted above, I have to report you the following facts.

That constable 802 Tauhid Khan of Sikandra P.-S. was commended on 28th April 1973 for night Gasti and was detailed for Gasti on 29th March 1972 at Lachhuare and 30th April 1973 at Hariharpur. He was also ordered in command certificate to execute pending warrants.

There was only one warrant of arrest pending with the constable against Ram Shahay Manjhi, son of Etwari Manjhi of village Tuladih in G. R. Case no. 648/71.

In the morning of 30th April 1973 the constable came to village Tuladih for execution of the above warrant. The distance of village Tuladih from Lachhwar is about 3 (Miles) north-west. He took Circle Dafadar Gandhari Singh and Chaukidar Kishun Gope with him in village Rishri. After reaching village Tuladih the constable gathered that the warrantee was engaged in brick construction in village Gahlaur. He proceeded towards that village but found some persons constructing bricks in open field at a distance of about 200—300 yards south-east of the village. When the constable was enquirying from the labourers, one of them fled away towards the village. Constable and his party chased him, but could not get hold of him nor any trace. The constable returned back threatening the villagers that he would

lodge case against them for concealing the warrantee. Hardly he had proceeded few yards, he was chased by hundreds of villagers and was assaulted mercilessly. Dafadar and Chowkidar fled away towards the village Radhanagar to inform the villagers. In the meantime the constable was carried to the villagers, his shirt was put off, blood marks cleaned, head injury was also cleared washing the blood marks. In the meantime Ram Chandra Prasad Gupta of village Mirganj (ex-Mukhiya) who had gone to Radhanagar came alone with the Chowkidar and Dafadar and brought the constable to Mirganj where he was given first aid. Then he was brought to Sikandra Hospital.

On the basis of the statement of the constable the said case was registered. There was altogether about one hundred accused, out of which 21 have been named in the F.I.R. The names were disclosed to the constable by the Chowkidar and Dafadar.

The villagers and the residents of the locality stated in contradiction of the above story that the villagers thought that some inoculants had come in the village and as the rumour goes the people die due to the inoculation. The constable was assaulted by the villagers out of this very mis-understanding.

The defence logic can be safely ruled out on the ground that the constable was in full uniform and was accompanied by Dafadar and Chowkidar. As such the villagers should have no difficulty in identifying him. Moreover the constable is posted in this P.-S. since last two years and he has visited this area several times in the past.

From the investigation of the case conducted so far, it is very clear that the constable was brutally and mercilessly assaulted by the villagers in due discharge of his duty.

A raid was organised in the night of 1-2/5/73 at about 400 hours to arrest the accused persons. Four F.I.R., and eight Non-F.I.R. accused were arrested. Os/C Sikandra and Halsī both were personally present at the time of raid.

The latest development is that the political parties are exploiting the situation and are canvassing for support against the police excesses during raid mass. Although as per report

of S I. Sikandra Halsi and even rural policemen all formalities of search were duly observed. None of the arrested persons have got any injury on their person.

This is for your information. Investigation is going on.

Yours faithfully,

M. K. JHA,
Dy. S. P., Jamui.
7-5-1973.

Copy to S. D. O., Jamui for information.

प्रदर्श १०

आरक्षी अधीक्षक का कार्यालय, मुंगेर।

ज्ञाप संख्या १२५१-सी, दिनांक ९ मई, १९७३।

सेवा में

जिलाधिकारी, मुंगेर।

संकेत—आपका दिनांक ८ मई, १९७३ को दूरभाष द्वारा वार्त्तालाप।

विषय—सिकन्दरा थाना के आरक्षी पर डिउटी के समय प्रहार के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में आरक्षी उपाधीक्षक, जमुई से प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न है। इसे देखने से पता चलता है कि आरक्षी संख्या ८०२ तौहीद खां को ग्राम तुलाडीह में उस इलाके के व्यक्तियों द्वारा अन्याय रूप से बुरी तरह से पीटा गया है जब ये अपने डिउटी पर थे। इस संबंध में सिकन्दरा थाना काण्ड संख्या १३ दिनांक ३० अप्रील, १९७३ धारा १४७।३०७।३२३।३५३।३७९। २०१, भा० द० वि० के अन्तर्गत २१ व्यक्तियों के विरुद्ध नाम से तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया स्थानीय पुलिस द्वारा धावा किये जाने पर १२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

ऐसा मालूम होता है कि अभियुक्तों के गलत काम पर पर्दा डालने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा गलत ढंग से इस घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा किये गये कथित अत्याचार के विरुद्ध अफवाह फैला रहे हैं।

स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

ह० सहदेव राम,
९–५–१९७३
आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर।

प्रतिलिपि—आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना।आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।आरक्षी उप-महानिरीक्षक, पु० क्षे० भागलपुर।आरक्षी अधीक्षक (अ) अपराध अनु० विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदर्श ११

CONFIDENTIAL
IMMEDIATE

DEPUTY INSPECTOR-GENERAL OF POLICE,
EASTERN RANGE, BHAGALPUR.

D. O. no. 675/C

*Dated, the* 13th *May*, 1973.

My dear Ram,

Kindly refer to memo. no. 2265/X-X-68—73, dated 10th May, 1973, regarding complaint against Dy. S. P., Jamui and staff of Sikandra P.-S., district Monghyr. This matter was discussed with you at Monghyr on 12th May, 1973 evening.

2. I shall be grateful if you kindly send me a copy of your reply sent to I.-G. Police, immediately, so that I may furnish my comments. It may be clearly mentioned if Shri M. K. Jha, D.S.P., Jamui was present in village Gahlaur when the police party raided the house of villagers to secure the arrest of the accused persons and if it is a fact that old women and men have been assaulted by the police, it may also be mentioned what kind of injuries they have received, if injury reports are available. It may also be indicated if the women and men alleged to have been assaulted by the police are the relations of the accused/suspects in the case.

A detailed report may please be sent to me immediately.

Yours sincerely,
S. M. GHOSH.

SHRI SAHDEO RAM,
*Superintendent of Police, Monghyr.*

प्रदर्श १२

CONFIDENTIAL,
Spl. Messenger

TRUE COPY

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE MONGHYR.

Memo. no. 1304/C *Monghyr, the* 17*th May*, 1973.

To

THE INSPECTOR-GENERAL OF POLICE, BIHAR, PATNA.

REF.—Your memo. no. 2265/X-XA—68/73, dated the 10th May, 1973.

SUB.—Complaint against Dy. S. P., Jamui and the staff of Sikandra P.-S., district Monghyr.

In this connection, I am enclosing herewith a copy of the report of Dy. S. P., Jamui who supervised the case and has submitted a detailed report about the allegations brought by Sri Tripurari Saran Singh, M.L.A. alleging excesses by the Police during the raid in village Gahlaur, P.-S. Sikandra on 1st/2nd May, 1973. Earlier a report about the details of the incident (Sikandra P.-S. case no. 13, dated 30th April, 1973 u/s 147/307/325/379/353/201, I.P.C.) had been sent to the D. I.-G. (Admn.), vide this office memo. no. 1251/C, dated 9th May, 1973, a copy of which is again enclosed for ready reference.

It may be mentioned here that the Dy. S P., Jamui did not accompany the raiding party. He was camping at Sikandra Dak Bungalow on the night of the raid. The raiding party consisted of O/C, A. S.-I. of Sikandra P.-S., O/C, Halsi P.-S., 2—13 armed men, two lathi constables and rural police of the locality.

The allegation that old women and men had been beaten up by the police causing injury to them is baseless as none complained

about it during the supervision of the D. S. P. either on 2nd May, 1973 or 7th May, 1973. None of the arrested accused persons either made any such complaint to the Magistrate when produced to him. Some villagers might have suffered some minor injuries while being chased by the raiding party. The raid was conducted at about 4 A.M. and, therefore, there was no point of confusion. None was either medically examined nor any one produced any injury report anywhere, the whole thing has been highlighted by the local political leaders only to shield the murderous attack on the constable on duty, by the villagers. From the report of the Dy. S. P. and my enquiry from the officers it has transpired that the constable was assaulted only because he went to execute the warrant-branding him as a Muslim and Pak. spy. The plea taken by the villagers that the constable was mistaken as a poison injector is untenable as he was in uniform.

The allegations brought by Shri Tripurari Singh, M.L.A. are baseless and politically motivated

Out of 21 F. I. R. accused, 4 F. I.R. and 8 non-F. I. R. accused were arrested in the raid. The rest 17 F. I. R. accused persons, however, surrendered in court on 8th May, 1973. During the T. I. parade 24 accused persons were identified by the victim constable. The five F. I. R. accused could not be identified on T. I. parade. All were released on bail on 11th May, 1973. C. S. will be submitted in the case after the completion of the investigation. Now since the investigation of the case is practically complete and no other persons is to be arrested in the case, no further action appears necessary in the matter.

S. RAM,
*Superintendent of Police, Monghyr.*

Copy to the D. I.-G. of Police, E. R., Bhagalpur with reference to his D.O. no. 675/C. dated 13th November, 1973 for information A copy of this office memo. no. 1251/C, dated 9th May, 1973 referred to above has already been sent to him.

Copy to the District Magistrate, Monghyr, in continuation of this office memo. no. 1251/C. dated 9th May, 1973 for information.

प्रदर्श १२ का अनुलग्नक

Memo. no. 376/C. *Dated the* 11*th May* 1973.

FROM

M. K. JHA,
Dy. S. P., Jamui,

To

THE SUPDT. OF POLICE, MONGHYR.

SUB.—Allegation against police excesses during raid conducted in village Gahlaur in connection with Sikandra P.-S. case no. 13, dated 30th April, 1973 u/s 147/307/325/353/379/201 I.P.C.

SIR,

A raid was conducted in village Gahlaur in the night of 1st/2nd May 1973 in connection with Sikandra P.-S. Case no. 13(4)73 u/s 147/307/325/353/379/201 I.P.C. for the arrest of the accused persons.

O/C Sikandra and Halsi were themselves present at the time of raid.

I personally enquired into the matter regarding alleged excesses done during raid by the Police.

The allegation regarding rape and molestation is completely baseless. The villagers could not produce any women or girl in support of the allegation. Two ladies came forward, who stated that they were not allowing entries to police to enter inside the house, on which they were simply pushed aside. One woman's cloth was also found torn, which was in an attempt to run away.

The arrested accused persons as disclosed by the villagers, had suffered some injuries. It might be in an attempt to run away or avoid arrest.

As such, the allegation of assault, rape and molestation are without any foundation. The village teacher Ramlakhan Lal who was also present at that time, in the village, emphatically denied this allegation. The neighbouring villagers of Radhanagar also

stated that they immediately went to the village after raid (Radhanagar village is at a distance of about 500 yards from the village Gahlaur). They heard the villagers complaining that out of 12 arrested accused, two were slapped by the police. But they did not hear anybody saying or complaining about the molestation or rape.

In fact, the villagers had no grievance against the Police after raids. But the situation was exploited by the local politicians.

Sri Gitanandan Singh, Advocate, Jamui Court belongs to village Maharath, P.-S. Halsi. He is a Socialist Party worker. You are aware that some trouble is going on in Sikandra High School between Bhumihars and non-Bhumihars. On 2nd May 1973, one Bhumihar student of village Kumar, P.-S. Sikandra was assaulted by a non-Bhumihar student of Sikandra proper. The victim student reported the matter to Sikandra Police in writing. O/C, Sikandra got the injury of the victim examined by M. O. after making a S.D. entry. The doctor opined the injury as simple by hard blunt substance. The O/C, Sikandra directed the victims to file complaint case in court. Gita Singh, Advocate approached the Police to institute a cognizable case but he could not be obliged by the O/C. Then the victim was brought to Jamui and attempt was made to obtain injury report from other M.O's but he could not get. Then the injured was brought to Jamui Hospital and was admitted, although he had not been discharged from Sikandra Hospital. On the basis of O. D. slip A. S.-I., Jamui P.-S. went to record his Fardbeyan but the injured gave a written statement which he accepted to be dictated by Gitanand Singh, Advocate, stating in the nos. of accused as more than five weapons used as dagger and giving out the ingredients of theft as well. This statement was forwarded to O/C, Sikandra, but still then he did not register a cognizable case considering the previous S. D. entry regarding the same occurrence. Sri Gita Singh was injuriated on this, since then he started a campaign against O/C, Sikandra.

As soon as he heard about the raid in village, he in collusion with Ramchandra Gupta of Mirjagang, P.-S. Sikandra (who is a P.W.) approached the villagers, that if the villagers agreed jointly to put forward the allegation of assault and rape the accused will be allowed bail immediately. They also collected about more than Rs. 500 from the villagers.

As almost the entire village is a party in this case, they easily conceded to his suggestion and since then started spelling out such allegation. The matter was exploited by Sri Gitanand Singh and Ramchandra Gupta in a dirty way. Sri Tripurari Singh, M.L.A. was brought in this issue by Sri Gitanand Singh who is a co-Socialist Party worker and due to some other latent reasons.

A dirty political game is going on in order to defame the Subdivisional Police administration.

This is for your information.

Yours faithfully,

M. K. JHA,
*Dy. Supdt. of Police, Jamui.*

प्रदर्श १३ ।

पत्रांक..........सी० ।

प्रेषक

जिलाधिकारी, मुंगेर ।

सेवा में

आयुक्त,
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर ।

मुंगेर, दिनांक मई, १९७३ ।

विषय—सिकन्दरा थाना का सिपाही नं० ८०२, तौहीद खां पर प्रहार ।

महोदय,

आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर ने उपर्युक्त विषयक अपने ज्ञापांक १२५१ सी०, दिनांक ९ मई, १९७३ (प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ संलग्न) के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक २० अप्रील, १९७३ को सिपाही नं० ८०२, तौहिद खां, मुकदमा नं० ६४८/७२ में राम सहाय मांझी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट लेकर तामील करने के लिए ग्राम तुलाडीह, थाना सिकन्दरा गये तो उस ग्राम के व्यक्तियों ने तौहीद खां सिपाही को बुरी तरह से पीटा। इस संबंध में २१ व्यक्तियों के विरुद्ध नाम से तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सिकन्दरा थाना मुकदमा नं० १३, दिनांक ३० अप्रील, १९७३ धारा १४७/३०७/३२३/३५३/३०९/२०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस द्वारा धावा कर १२ व्यक्तियों को गिरफतार किया गया। स्थिति शांत है और उस पर निगरानी रखी जा रही है ।

२। इस पत्र की प्रतिलिपि सरकार के गृह (विशेष) विभाग, पटना के पास भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

जिलाधिकारी, मुंगेर ।

ज्ञाप संख्या सी०, मुंगेर, दिनांक मई, १९७३ ।

प्रतिलिपि अनुलग्नकों की प्रतिलिपियों के साथ सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिलाधिकारी, मुंगेर ।

प्रदर्श १४

[Confidential.]

Memo. no. 702-C.

DEPUTY INSPECTOR-GENERAL OF POLICE, EASTERN RANGE, BHAGALPUR

To

SHRI S. Q. RIZVI,
INSPECTOR-GENERAL OF POLICE,
BIHAR, PATNA.

*Dated the 18th May* 1973.

REF.—Your memo. no. 2265/X-XA-68-73, dated 10th May 1973.

SUB.—Complaint against Dy. S. P., Jamui and the staff of Sikandra P.-S., district Monghyr.

* * * * *

The latter in question was received by me at Monghyr on 12th May 1973 where I was camping. I discussed the whole case with S. P., Monghyr. In this connection a copy of S. P., Monghyr memo. no. 1304/C, dated the 17th May 1973 sent to you by special messenger may kindly be referred to. From the report it would appear that the Dy. S. P., Jamui did not accompany the raiding party. He was rather camping at Sikandra Dak Bungalow on the night of raid. Raiding party consisted of Police Officer of Sikandra and Halsi P.-Ss. and D. A. P. and O. R. constables besides rural police of the locality. From the report it would appear that the allegation that the old women and men were beaten up by the Dy. S. P. is beseless. The raid was conducted at about 4 A.M. and, therefore, there was no point of confusion. During supervision of the Dy. S. P. none had complained about the ill treatment nor any injury report was produced before the Dy. S. P.

2. It appears to me that this incident has been highlighted by the local political leader to shield the murderous attack on constable 802 Tauheed Khan of Sikandra P.-S. who was commanded to execute warrant branding him as Muslim Pakistani

spy. Unfortunately the constable had beard and was taken to be Pakistani spy by the villagers. The plea taken by the villagers that the constable was mistaken as a poison injector is untenable as he was in uniform.

3. Out of 21 F. I. R. accused, 4 F. I. R. and 8 non-F. I. R. accused persons were arrested in raid. The rest 17 F. I. R. accused persons, however, surrendered in the court on 8th May 1973. During T. I. parade, 24 accused persons were identified by the victim constable, 5 F. I. R. accused persons could not be identified on T. I. parade. All were released on bail on 11th May 1973.

4. Since the investigation is complete, S. P. has been advised to submit charge-sheet immediately. No further arrest is necessary. Dy. S. P., Jamui is Shri M. M. Jha, a directly recruited Dy. S. P. I had inspected his office only in February, 1973 and I could find that he is a balanced officer and could not indulge in such attrocation allegations. It appears to me that local M. L. A. are not happy with him and they have started agitation to defame him and get him transferred from Jamui Subdivision.

S. M. GHOSH,

*D. I.-G. of Police, E. R.,*
*Bhagalpur.*

Copy to Shri Sahdeo Ram, Superintendent of Police Monghyr for information.

प्रदर्श .१५

सत्य प्रतिलिपि ।

ज्ञाप संख्या ६६ के-७३ ए ११७८७/वि० शा०,          पटना, दिनांक २१ मई, १९७३ ।

सेवा में

आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर

गहलौर ग्राम के संबंध में सिकन्दरा थाना मुकदमा संख्या १७, दिनांक ३० अप्रील, १९७३ के सिलसिले में १ मई, १९७३ को सिकन्दरा थाना द्वारा आर्म फोर्स के साथ उक्त ग्राम में रेड किया गया जिसमें सूचनानुसार आर्म फोर्स के सिपाहियों ने जवान लड़कियों तथा अधेड़ औरतों के साथ बलात्कार किया तथा कथित जघन्य वर्त्ताव किया ।

कृपया उक्त कांड के संबंध में पूरा छानबीन किया जाय तथा शीघ्र जांच प्रतिवेदन इस विभाग में भेजा जाय ।

(ह०) अस्पष्ट २१ १-५-१९७३
कृत अ० अ० (ब)
अप० अनू० वि० वि० शाखा, बिहार, पटना

प्रदर्श १६

*Confidential*

TRUE COPY

Dy. Inspector General of Police,
Eastern Range, Bhagalpur.
Dated the 22nd May 1973.

Memo no. 720 C

To

Shri D. C. Sinha,

Supdt. of Police, Monghyr.

REF.—Your Memo. no. 1304/C, dated 17th May 1973 and this office Memo. no. 702/C, dated 18th June 1973.

SUB.—Complaint against Dy. S. P. Jamui and the staff Sikandra P.-S., dist. Monghyr.

It has been reported to me confidentially that C/892 Towheed Khan while assaulted by the villagers was not in uniform rather he was in civilian dress. Kindly let me know the truth.

S. M. GHOSH,
22/5
D. I. G. of Police, E. R.
Bhagalpur

Informed the D. I. G. that the constable was in uniform.

D. C. SINHA
10/6
S. P., Monghyr.

प्रदर्श १७

# BIHAR POLICE
# WIRELESS MESSAGE

To

Distrate Monghyr

From

Substrate Jamui

No. 661/C dated 25th May 1973

Reference Signal no.. 2225/C dated 25th May 1973 regarding alleged molestation of Harijan women by the Police in Sikandra. In the absence of details regarding date and place of occurrence it is not possible to throw any light over the matter some time ago however on 30th April 1973 bearded police constable in uniform of Sikandra P S was assaulted on duty in broad day light in village Gahlaur P S. Sikandra under this apprehension that he was poison inoculator. Sikandra P.-S. Case no. 13 (4) 73 under section 147/307/325/353/379/201 I. P. C. were instituted on the information of the constable thus assaulted and the police made a sweeping raid on the village in the early hours of 2nd May 1973 and rounded up 12 persons. The matter was enquired into locally and the allegation on molestation of harijan women was found to be an after thought of the local people in order to feed their grudge against the local police. No complaint whatsoever has been filed up to date by any one alleging molestation of women by any one. Execute persons in all 29 who were bailed out on 11th May 1973. Investigation proceeds.

प्रदर्श.१८

# BIHAR POLICE
# WIRELESS MESSAGE

To

Home (Special) Patna/Commissioner, Bhagalpur

From

Distrate Monghyr

No. 2287/C dated 30th May 1973

Reference Home (Special) Signal no..5782/C dated 24th May 1973 regarding call attention notice in Parliament alleging molestation of harijan women in Sikandra district Monghyr. Reports were called for from Dispol Monghyr and Substrate Jamui. Substrate Jamui has reported that on 30th April 1973 Tauheed Khan Police Constable of Sikandra P.-S. while on duty was assaulted in broad day light in village Gahlour P.-S. Sikandra on the suspicion that he was poison inoculator. In this connection Sikandra P.-S. Case no. 13 (4) 73 under section 147/307/325/353/379/201 I. P. C. was instituted on the information lodged by the Constable. Police raided the village on 2nd May 1973 to apprehend accused persons. Twelve persons were arrested. The matter was enquired into and the allegation of molestation of harijan women was found to be incorrect thought to shield the guilt of the villagers. No complaint has been filed so far by any one alleging molestation of harijan women. In all 29 accused persons were arrested and bailed out on 11th May 1973. Investigation in the case proceeds. Detailed reports about the incident and allegation sent to Commissioner, Bhagalpur and Home (Special) Patna in this office letter nos. 2188C dated 22nd May 1973 and 2240 C dated 26th May 1973.

Signature of the originator :—
Originator's instruction :—Crash.
Time of origin :—

A. SINGH,
30. 5. 1973

प्रदर्श १६

*Confidential*

Deputy Inspector-General of Police, Eastern Range, Bhagalpur.

D. O. no. 951/C

Dated the 28th June, 1973

My dear Sinha,

Kindly refer to my memo no. 702/C dated 18th May 1973 regarding complaint against Deputy S. P., Jamui and the staff of Sikandra P.-S. district Monghyr, addressed to I.-G. Police, with a copy to you. Shri Tripurari Saran Singh, M. L. A. contacted me today on telephone from Monghyr. He says that the report sent by your predecessor is not correct. He asserts that the allegations made in the petition are true. He, therefore, requests that the enquiry may please be made by the present S. P. at the spot. I will be glad, if you kindly enquire into the allegations locally, personally and send your report at your earliest convenience.

Yours faithfully,
S. M. GHOSH,

D. G. SINGH
Superintendent of Police,
Monghyr

प्रदर्श २०

Cr. Misc. 9/72.

Form of order sheet.

COURT OF SESSIONS JUDGE, MONGHYR.

B. A. NO. 23 OF 1972 (CR. MISC. 9/72).

Thaman Gope..............v...............State.

| Sl. no. | Date of order. | Order with the signature or proceeding of the court. | Office action taken, with date. |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

9 16-3-1972.—Today Shri Ramanand Singh, Advocate appears and says that his client has not yet turned up. The Admission Register and the Bed head ticket from Sadar Hospital regarding the illness of petitioner's wife (Jamuni Devi) as called for by order no. 7, dated the 13th March 1972 have been produced. Heard parties regarding the same.

2. In this case on 13th March 1972 a petition has been filed on behalf of the petitioner to say that he had himself been admitted in Sikandra State Dispensary and so he should be enlarged on bail. As the matter looked suspicious I had got a confidential enquiry held into the matter by my Registrar and his report has also been received.

3. It would be necessary to say in brief here as to what has happened in the case, to enable the person concerned to give a suitable reply.

4. The petitioner (Thaman Gope) had been enlarged on bail by this court on the ground of illness of his wife which was supported by a medical certificate. This order was passed on 7th January 1972. He was required to surrender on 24th January 1972. On 24th January 1972 a petition was filed to say that she had been hospitalised in Sadar Hospital, Monghyr and so further extension was sought. The learned Sessions Judge I/c. on that date asked for evidence of hospitalisation to be produced on 31st January 1972. On 31st January 1972 a certificate (marked 'X' for identification) granted by the Dy. Superintendent, Sadar Hospital was filed to say that she was admitted under Bed head ticket no. 361 of 24th January 1972. The certificate clearly

indicates that on that day (31st January 1972) she was in the hospital getting medical treatment. On basis of this certificate the learned Sessions Judge I/c. who heard the matter on 31st January 1972 allowed him to continue on the provisional bail till 13th March 1972.

5. On 13th March 1972 an affidavit was filed on behalf of the prosecution to say that she had not been actually hospitalised, and as he had learnt from hospital records, a woman named Jamui Devi was admitted on 24th January 1972 but she had escaped from the hospital on 26th January 1972. i.e., only after 2 days and as such she was not in the hospital on 31st January 1972 when the Dy. Superintendent granted him that certificate.

6. On 13th March 1972 itself Thaman filed an application for further extension of the bail on the ground that he had himself fallen ill and had been admitted in Sikandra State Dispensary as an indoor patient and in support of that he filed a certificate granted by Dr. Subhro Purkait of that hospital saying that he had been admitted on 12th March 1972 for treatment of Typhoid.

7. In view of the affidavit filed on behalf of the prosecution it was necessary to call for the Indoor Register and the Bed head Ticket from the Sadar Hospital which was also prayed for on behalf of the State. The petitioners illness being similarly suspicious I wanted to verify if the petitioner himself had been hospitalised. I, therefore, deputed my Registrar with instructions (Marked 'Y') with a supplementary instruction to the C. A. S., Sikandra State Dispensary (Supplementary instruction marked 'Y/1') for giving him necessary help. The Registrar who went there has submitted his report (Marked R).

8. Here itself I may say that the Registrar did not find Thaman Gope admitted in Sikandra Hospital.

9. The Bed head ticket (Marked B) shows that Jamuni Devi was admitted on 24th January 1972. The indoor Register (relevant entry nos. 361 marked 'I') shows that she was admitted on 24th January 1972 but she left the hospital on 2nd February 1972. As it reads at present it absolutely corresponds with the Bed head ticket but there is a clear interpolation and over writing '0'

in column 19 of the Register showing her abcontion as——'0'
2-2-1972

as I understand shows running away from the hospital without consent. I do not understand why an overwriting on it was necessary. Nowhere in the Register the year has been given except in this item. More interesting, however, to note is that column 20 of the Register shows that the patient remained in the hospital only the two days. There is no overwriting or interpolation in this column. *Prima facie* it appears, therefore, that while interpolation was made in column 19, column 20 was left as it was, perhaps by oversight of the person who ever wrote in column 19. In this view of the matter it cannot be said that the affidavit shown in the case on behalf of the prosecution is incorrect and there does not appear to be any case for enquiry regarding it.

10. So far the admission of the petitioner in Sikandra hospital is concerned, the Bed head ticket, which is on a plain paper (Marked B/1) has been brought. This B. H. Ticket shows that on 13th March 1972 he had fled away from there. I do not understand what type of Typhoid he was suffering from that he was in a position to run away on the next day of admission. I have grave doubts if the word 'Typhoid' was used in the certificate granted by Dr. Purkait after reasonable diagnosis.

11. It is further surprising to note that in the petition filed in this Court on 15th March 1972 it has been said that he had been discharged on 14th March 1972 (yesterday). As a matter of fact as shown by the Bed head ticket he had left the hospital on 13th March 1972 itself. So this statement in the petition of 15th March 1972 is also incorrect. Then again though it was said that he would be coming today he has not turned up.

12. There is thus no doubt that the petitioner has been taking recourse to all sorts of false pleas for getting bail prayer for his bail is rejected. Issue warrant of arrest, non-bailable, against him returnable by 12th April 1972. The bail bond is also forfeited. Issue notice to the bailors to show cause against payment of the entire bail amount as penalty by 12th April 1972.

13. The matter does not rest here. The petitioner Thaman is *prima facie* guilty of fabricating false evidence in collusion with the Doctors who have granted above certificates. Thaman may therefore, be liable under sections 193/401 I. P. C. and

some other provisions of the penal code as well. Let a Misc. cause under section 476, Cr. P. C. be, therefore, started against him separately.

14. So far the Deputy Superintendent of Sadar Hospital, Monghyr and Dr. S. Purkait of State Dispensary, Sikandra are concerned I would like to give them an opportunity of saying what they have to say in the matter before taking any action. Let a copy of this order be served upon them for giving necessary reply by 12th April 1972.

15. All the documents referred to above will be kept in safe custody. (Dictated and corrected)

V. MISHRA,
*Sessions Judge,*

Typed by Compared by Read by.

प्रदर्श २१

Subhra Purkait,
M.B.,B.S. (PAT.),
Civil Asstt. Surgeon.
Regd. no. 5950 (Bihar).

*Dated the* 12*th March* 1972

I certify that Shri Thaman Yadav, son of Shri Taran Yadav, resident of village Charan, P.-S. Sikandra, District Monghyr is suffering from Typhoid fever. He is under my treatment. He has been admitted in the hospital vide indoor Ticket no. 23. dated the 12th March 1972. He has been advised to take rest and continue treatment at least for 15 days for his recovery.

(Sd.) S. PURKAIT,
Civil Assistant Surgeon,
State Dispensary Sikandra,
(Monghyr).
12-8-1972.

Cr. Misc. 9/72.

Ext. 1.
(Sd.) V. Mishra,
S.-J.
12-4-1972.

| | | |
|---|---|---|
| Typed by | Read by | Compared by. |
| (Sd.). Illegible, | (Sd.) Illegible, | (Sd). Illegible, |
| Typist. | C. Clerk. | C. Clerk. |

प्रदर्श २२

Bed Head Ticket no. 23

| | | |
|---|---|---|
| Name of patient. | ... | Thaman Yadav. |
| Age and Sex | ... | 50 H. M. |
| Address | ... | Son of Taran Yadav.<br>Village—Charan.<br>P.-S. Sikandra. |

Date of Admission—12-3-1972 Disease—Enteric.
Date of discharge—13-3-1972 (Fled away).

Rx—(*i*) Mix. Alcadrine—oz V.
Glyocerin.
(*ii*) Enteromycitin—1 cap. 6m.
(*iii*) Lederplex—1 ph.

13/3—Repeat.

(Sd.) S. Purkait
13-3-1972.

Cr. Misc. 9/72.
B/1 for identification.
(Sd.) V. Mishra,
S.-J.
16-3-1972.
Cr. Misc. 9/72.
Ext. 2.
(Sd.) V. Mishra,
S.-J.
12-4-1972.

| | | |
|---|---|---|
| Typed by<br>(Sd.) Illegible,<br>Typist. | Read by<br>(Sd.) Illegible,<br>C. Clerk. | Compared by.<br>(Sd). Illegible,<br>C. Clerk. |

प्रदर्श २३

[Confidential.]

*District and Sessions Judge*

As directed, I visited the State Dispensary, Sikandra, (Monghyr) at about 12 noon on March 14, 1972.

2. The Civil Assistant Surgeon, State Dispensary, Sikandra Dr. Subhro Purkait was present in the Dispensary. I explained to him the purpose of my visit and gave him the letter addressed to him by you.

3. Dr. Purkait said that the certificate in question had been granted by him, to one Shri Thaman Yadav, son of Shri Taran Yadav of village Charan, P.-S. Sikandra on 12th March 1972.

4. He further said that when the said Shri Thaman Yadav had appeared before him on 12th March 1972, he had temperature. He had admitted the said Shri Thaman Yadav as an in-door patient in the State Dispensary for treatment on 12th March 1972. His name appears entered in serial no. 23 of 12th March 1972 in the Diary and Register of in-door patients of the Dispensary.

5. I was told by Dr. Purkait that the said patient was prescribed certain medicines which had to be purchased by the latter, since they were not available in the Dispensary. The prescription is said to have been made over to the patient. He was not sure whether the medicines prescribed by him were actually purchased by the patient.

6. I could not see the patient Shri Thaman Yadav in the State Dispensary in-door ward as the doctor reported that Shri Yadav had fled away from the ward in the afternoon of 13th March 1972 without the knowledge or consent of the Doctor or being formally discharged from the Hospital. Since, then the patient has not visited the Dispensary.

7. A Bed-Head Ticket bearing serial no. 23 standing the name of Shri Thaman Yadav was produced before me by Dr. Purkait. I took charge of the same for favour of your perusal. It is enclosed.

R. L. BHAGAT,

*Registrar.*

14-3-1972.

Cr. Misc. 9/72.
R. for indentification
(Sd.) V. Mishra,
S.-J.
16-3-1972.

| Typed by | Read by | Compared by. |
|---|---|---|
| (Sd.) Illegible, | (Sd.) Illegible, | (Sd). Illegible, |
| Typist. | C. Clerk. | C. Clerk. |

प्रदर्श २४

# FORM OF HEADING OF DEPOSITION

Cr. Misc. Case no : 9/1972

Deposition of witness no. 1 for the prosecution aged about 33 taken on solemn affirmation on the 12th day of April, 1972 :—

My name Dr. S. Purkait. I am son of Dr. S. C. Purkait.

My age is 33 years. I am by religion Hindu.

My nationality is Indian. My home is at Mauza Hazaribagh, Police-Station Hazaribagh District Hazaribagh. I reside at present in Mauza Sikandera, Police-Station Sikendra, District Monghyr where I am Medical Officer.

This certificate was granted by me to one Thaman Yadav. It is in my pen and under my signature. Certificate Ext. 1. This Bed-head ticket on plain paper has also been written by me and signed by me—Ext. 2.

I do not recognize the man (Thaman Yadav) standing in dock. I can't say if I had granted the certificate to him.

XXmn. by accused :—

Declined.

V. MISHRA,
12. 4. 72

Read and found correct.

S. PURKAIT,
12. 4. 1972

| Typed by | Compared by | Read by |
|---|---|---|
| (Sd.) ILLEGIBLE, | (Sd.) ILLEGIBLE, | (Sd.) ILLEGIBLE. |
| Typist. | C. Clerk. | C. Clerk. |

प्रदर्श २५

From

Dr. S. Purkait,

CIVIL ASSISTANT SURGEON,
SIKANDRA STATE DISPENSARY,

To

THE SESSIONS JUDGE,
MONGHYR.

SUBJECT—Regarding issue of Medical Certificate to Sri Thaman Yadav.

SIR,

I beg to state before your honour the following facts for your kind perusal.

That on the 12th March, 1972 a man, named himself as Sri Thaman Yadav of village Charan came to me for treatment with the complain of fever. In history, he himself complained of fever which was continuous in nature for 3 to 4 days. On clinical examination also I found high temperature and other clinical symptoms resembling to enteric fever. So I provisionally diagnosed the case as enteric and admitted him in the indoor to confirm the provisional diagnosis and to watch for the development. As there is no arrangement for pathological confirmation, so he was admitted for observation and treatment. I started treating him in the line of enteric fever. After getting admission, he prayed for medical certificate for his illness which I granted. On the 13th March 1972 in my morning round I found the patient in the ward and he had fever. The patient complained to me about his difficulties i. e. lack of proper arrangement of treatment and nourishing. In the evening, when I went to see the patient, I did not find him in the ward. I could not trace out where and when he had gone and with what intention, he left the hospital without my consent.

That I had no malafide intention in issuing medical certificate.

That I myself very much regret for the inconvenience to the honourable court, caused by this. I may kindly be excused for the inconvenience.

I shall be ever grateful for this act of your kindness.

Yours faithfully,
S. PURKAIT,
11-4-1972

*Civil Assistant Surgeon,*
*Sikandra State Dispensary.*

Typed by
Typist.

Compared by
C. clerk.

Read by.
C. clerk.

प्रदर्श २६

Extract from the File of Sikandra P.-S. Case no. 13(4)73 under-section 147/307/325/353/379/201 I.P.C. from page nos. 2 to 5 (Order of S.D.M., Jamui).

ORDER.

10-5-1973.

This is a bunch of 3 bail applications filed on behalf of 29 accused persons in all in Sikandra P.-S. Case no. 13(4)73 under-section 147/201/307/325/353/379 I.P.C. Since the facts are the same in each case, they were heard together.

The prosecution case is that on 30th April 1973 at 12 noon a Constable Tauhid Khan (802) of Sikandra P.-S. was assaulted by the villagers of Gahlour where he had been to execute warrant of arrest.

On behalf of the accused persons it has been submitted that the Constable was assaulted under a misapprehension that he was an Inocculator and would inocculate children as a result of which the children would die. It has been further submitted on behalf of the accused that this type of rumour is at present circulating very strongly in the villages and the village Gahlour was also ripe with this rumour Therefore it has been submitted on behalf of the accused persons that the villagers out of their ignorance and stupidity could not identify the Constable properly and some of them assaulted him with *lathi* and *butt* of *lathi*, as a result of which the Constable sustained a number of injuries. It has also been submitted that incident took place outside the main village and when the elders of the village assembled on hearing the alarm they rightly identified the police constable and they brought him to the village and gave him the first aid. It has been further pointed out that as per injury report the injuries sustained by the Police Constable are simple except sl. nos. 4 and 5 which may be called grievous. The grievous injuries are a bleeding injury on his head and one broken teeth and another partly broken with swelling on upper lip. It has therefore been contended on behalf of the accused that the offences revealed do

not rightly constitute attempt to murder and therefore the case does not fall under the purview of section 307 I.P.C. As regards allegation under-section 379 I.P.C. it has been pointed out that the F. I. R. discloses that the accused persons took out a sum of Rs. 16 from the front pocket of the Police Constable in the scuffle. It has therefore been alleged that because a Police Constable was assaulted under an unfortunate misapprehension, the local Police got piqued and certain non-bailable sections i.e., 307 and 379 I. P. C. has been added to make the offences lock serious.

On behalf of the accused it has been further pointed out that a T. I. parade is said to have been held on 9th May 1973 where in 29 accused persons out of which 21 are named were put on T. I. parade. The learned lawyer for the accused has pointed out that it was not necessary to put the named accused persons on T. I. parade because the information knew them by face and by name and their identification at the T. I. parade has no meaning and it does not strengthen the prosecution' case in any manner.

I have perused the T. I. chart and find that the informant has identified 25 accused persons out of which 21 are named in the F. I. R. It has also been pointed out that there are certain irregularities in the manner of conducting the T. I. parade, for instance, it has not been stated as to which part the identified accused persons played in commission of the alleged offences. On these ground it has been prayed that the accused persons should be released on bail because they have not committed any non-bailable offence.

On behalf of the prosecution the learned D. P. has submitted that there could have been no occasion for any misapprehension because the Police Constable was in uniform and was accompanied by the area Choukidar and the Dafadar and were assaulted in broad day light. The accused contention that they had no intention to kill is also untenable because when one person is assaulted all on a sudden by a large number of persons armed with *Lathi*, etc., it can not reasonably be said that the assailants had no intention to kill.' The D. P. has, therefore, suggested that the case has rightly been booked under section 307 I. P. C. along with other sections. The D. P. has further submitted that a public servant has been assaulted in broad day light while he was in the village in discharge of his duty and the law should

not condone the offences. The D. P. has further pointed out that the T. I. parade has been done with meticulous care and no fault can be found with the T. I. chart. It has, therefore, been submitted that the accused persons do not deserve bail.

After having heard the both sides and seen the injury report it appears that although the incident has been unfortunate, it was not intentional and has been committed under some misapprehension. The prosecution story that the Dafadar and the Choukidar were with the informant at the time of occurance, does not appeal to reason as there is no mention any where that the Dafadar or the Chowkidar came to the rescue of the constable and sustained any injuries which in the normal course should have happened. The injury does not support the allegation that the accused persons assaulted the constable with an intention to kill. It is further confirmed by the fact that the accused persons have not used any sharp cutting weapons which is ordinarily a pre-requisite for executing a murderous plan. The constable is said to have been assaulted with *Lathi* and the butt of *lathi* mostly on back and arms and the injuries caused are mostly simple except for bleeding head injury and loss of a teeth. It can not therefore be reasonably said that the accused persons assaulted the constable on any vital part and had the intention to kill the constable. The allegation as to theft of Rs. 16 from the front pocket of the informant is also not very serious and it is possible that he might have lost this money in the scuffle. I am therefore of the opinion that the accused persons deserve to be bailed out. I therefore allow them bail of Rs. 3,000 each with two surities each of like amount.

R. K. SINHA,
*S. D. M., Jamui.*
10-5-1973.

Dictated and corrected by me.
(Sd.) ILLEGIBLE,
*S. D. M., Jamui.*
10-5-1973.

## परिशिष्ट ख।

### साक्षियों की सूची।

१। श्री राम चन्द्र गुप्ता।
२। क
३। ख
४। ग
५। घ
६। च
७। छ
८। ज
९। झ
१०। त
११। थ
१२। द
१३। श्रीमती मीना देवी।
१४। श्रीमती शहोदरी।
१५। श्रीमती बालके सीया।
१६। श्रीमती पालिया।
१७। श्रीमती परेखनी।
१८। श्रीमती बन्धिया।
१९। श्री दाहु यादव।
२०। श्री करण यादव।
२१। श्री पूना महतो।
२२। श्री मित्तरु यादव।
२३। श्री जालो मांझी।
२४। श्री अर्जुन मांझी।
२५। श्री चतरी शाह।
२६। श्री जानकी पासवान।
२७। श्री कामेश्वर ढाढी।
२८। श्री बाजो।
२९। श्री बोवर्द्धन महतो।
३०। श्री लुक्खड़ यादव।
३१। श्रीमती चौरसिया देवी।
३२। श्रीमती मुरवा देवी।
३३। श्रीमती पारवा देवी।
३४। श्रीमती बारती देवी।

३५। श्रीमती धनवा देवी।
३६। श्री मथुरा यादव।
३७। श्री रामेश्वर यादव।
३८। श्री तौहीद खां।
३९। श्री अभिमन्यू सिंह।
४०। श्री एस० राम।
४१। श्री गेन्दारी सिंह।
४२। श्री देवी चरण सिंह।
४३। श्री एस० एम० घोष।
४४। श्री आर० के० सिन्हा।
४५—से ५९ रेडिंग पार्टी।
६०। श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिंह।
६१। श्री हरेन्द्र प्रसाद।
६२। श्री राम लखन लाल।
६३। श्री कृष्णा नन्द प्रसाद सिंह।
६४। श्री एम० के० झा।
६५। डॉ० एस० पूरखेत।
६६। श्री आर० लाल।

## साक्षी संख्या १—श्री रामचन्द्र गुप्ता

मैं मिरजागंज का रहने वाला हूं। मैं इस गांव का मुखिया था। इस गांव में सब जाति के लोग करीब १०० घर हैं। इस गांव में मुशहर, कोईरी, कान्दू, पासवान आदि अन्य जाति के लोग हैं। राधानगर यहां से १०० गज उत्तर है। सीधे रास्ते से मिरजागंज यहां से १½ मील है और सिकन्दरा ६½ मील है। दिनांक ३० अप्रील १९७३ को मैं धनेश्वर यादव के यहां राधानगर गया हुआ था। मैं भोजन कर ही रहा था कि श्री फौदी महतो और सिबू यादव ने आकर कहा कि एक सिपाही को मार लगी है और वे गाछ तले बैठे हुए हैं। फौदी महतो, सिबू और मैं तीनों वरगाछ के नजदीक गये तो देखा कि सिपाही जी गाछ के नीचे बैठे हुए हैं और एक आदमी उनको पंखा हौंक रहा था। मैंने लोगों को गाली देकर कहा कि सिपाही के नाम बताने पर भी किसने ऐसी हरकत की? इसपर सिपाही जी ने कहा कि जाने दीजिये काहे को गाली दे रहे हैं, यह गांव बहुत जाहिल है क्यों नहीं एक छोटा-सा स्कूल इन लोगों के लिये बनवा देते हैं ताकि ये लोग शिक्षित हो जांये। सिपाही जी धोती को दुरुखा कर पहने हुए थे। सिपाही जी ने कहा कि हम तो सबको माफ कर दिया। वे कपड़ा बदलकर पैखाना गये। वहां से आने के बाद हमने उन्हें स्नान करने के लिये कहा। खून जो लगा था साफ कर दिया गया। स्नान करने के बाद दही का लस्सी दिया गया उन्होंने नेमाज पढ़ी। वे हरिहरपुर जा रहे थे वे बोले कि मुखिया श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (वाला वासन्डा) के यहां से भोजन करके आ रहे थे और हरिहरपुर जा रहे थे।

(२) हरिहरपुर यहां से करीब १ या २ माइल से ऊपर है। यह पहाड़ से दक्षिण है। रिसरी आप जाइयेगा तो हरिहरपुर मिल जायेगा। छोटे-छोटे लड़के भैंस चरा रहे थे और कुछ छोटी-छोटी लड़कियां गोवर चुन रही थी। सिपाही जी ने मथुरा नाम के एक लड़के को बुलाकर कहा कि छाता लाओ तथा खैनी बनाओ। जिस समय की यह घटना है उस समय इस एरिया में सूई देनेवालों की काफी चर्चा हो रही थी। फौदी यादव को सूई दिया गया था जो बेहोश हो गये थे। एक औरत जो लकड़ी लेकर आ रही थी बोली कि सुइया देने वाला हऊ, भाग। तथा गांव में आकर वह बोली कि हमतो सुईया देते देखी है। मैंने उनके बदन पर मार का दाग देखा ४-५ लाठी की चोट थी उनके साथ कोई आदमी नहीं था। मैंने मीरजागंज के हकीम साहब से ए०टी०एस० की सुइया सिपाही जी को दिलवा दी। इसके बाद २०—२५ रुपये की दवा भी दिला दी। उस समय फौदी यादव और शिबू यादव साथ थे। सबलोगों ने मिलकर सिपाही जी से माफी मांगी थी तथा उन्होंने माफ भी कर दिया था। इसके पश्चात् एक यात्री लोगों की गाड़ी जा रही थी उसे रोकवा कर इन्हें उस पर बिठा कर सिकन्दरा भेज दिया

(३) मंगलवार के करीब १२ बजे रात में पुलिस आई। जब पुलिस आ रही थी तो हमसे राधानगर में भेंट हो गई। पुलिस की गाड़ी कुछ दूर हटकर लगी थी जो हमारे घर के सामने थी। पुलिस के पास बंदूकें थी जिनमें सिकर लगे हुए थे। मंगल के सात बजे सुबह तक पुलिस मीरजागंज नहीं लौटी। जब वे लोग लौट रहे थे तो ज्यादे लोगों के माथे पर टोकरी में ककरी और कदुआ था तथा साथ में बारह आसामी थे जिन्हें रस्सा लगाए हुए थे। उनके साथ हलसी, सिकन्दरा के दारोगा थे तथा सिकन्दरा के जमादार साहब भी थे। उनके साथ दफादार जिसका नाम गेंधारी सिंह है, वह भी था। १२ बन्दूकधारी सिपाही थे। दारोगा जी ने मुझे कहा कि अच्छा आप किया है कि चार आदमी को अपने घर में छिपा कर रखे हुए हैं। आपके यहां भी दरवाजा तोड़ देते लेकिन छोड़ दिया। आपसे डी० एस० पी० साहब बहुत नाखुश हैं। उन्होंने मुझे सिकन्दरा आने के लिये कहा। मैं सिकन्दरा गया।

(४) बृहस्पतिवार को मैं सिकन्दरा गया था। एक बूढ़ी ने कहा कि अच्छा होता कि समूचे गांव को आग लगाकर जला दिया जाता ताकि सब जल जाते बजाय इसके कि जो जुल्म किया गया है। बुढ़ी ने कहा कि जब लड़कन सबको सिपाही मारता था तो उसकी चिल्लाहट हमसे बर्दास्त नहीं होती थी। यह बात साठ वर्ष की महिला बोली। गांव में कोई जवान आदमी नहीं था। दारोगा जी यह कहकर गये थे कि कल ट्रक लेकर जावेंगे जैसा कि गांव वाले ने कहा था। मुझे गांव वालों ने पैरवी करने के लिये कहा था इसलिये मैं थाना गया था। थाना जाकर मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि गेंधारी सिंह दफादार दूसरे दिन भी गांव में जाकर औरत को तंग किया है तथा पैसा मांगता है। यह कह कर कि कल उसे बचा दिया परन्तु दारोगा के मुंह से लाजवान शब्द निकल रहे थे। सिकन्दरा के दारोगा जी से मैंने आग्रह किया कि दफादार श्री गेंधारी सिंह गांव में जाकर अत्याचार कर रहे हैं वे उनको मना करें। इसके उत्तर में दारोगा जी ने कहा कि एक सिपाही को मार लगी है अतः ६-७ दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा (ऊपर वर्णित) हमने दारोगा जी से मुद्दालहूम का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नाम बोलता हूं आप लिख लें। वे नाम बोलते गये और मैं एक कागज पर लिखता गया। नाम लिख लेने के बाद दारोगा जी ने कहा कि लाइये मैं फिर से उसे मिला दूं। मैंने नाम लिखा हुआ कागज उन्हें दे दिया। उन्होंने कागज रख लिया तथा कहा कि जाइये आप नकल इन्सपेक्टर साहब के यहां से लीजिये। दारोगा जी का नाम है श्री विन्ध्याचल प्रसाद सिन्हा। जितने भी आसामियों को पकड़ा था उनलोगों को लेकर वे जमुई चले गये। डी० आई० के कार्यालय से किसी तरह मुदाले का नाम पता चला, जमुई ५ तारीख को गये थे। करीब १७-१८ आदमी को पकड़ कर ले गये थे। १२ आदमी जो जेल में पहले से थे उनलोगों के अलावा

(५) मुंगेर में मुझे पासवान जी लोकनाथ आजाद जी और त्रिपुरारी बाबू से भेंट हुई तो मैंने सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिसके साथ यह घटना

घटी है उन्होंने भी उनसे सारी बातें कही हैं। एस० डी० ओ० साहब से इस संबंध में मैंने भेंट की उत्तर में उन्होंने कहा कि आप उनलोगों को हाजिर करें मैं सबको बेल दे दूंगा। एस० डी० ओ० साहब के कहने पर मैंने सबों को हाजिर कर दिया।

(६) मंगल के सुबह में जिन लोगों को पुलिस के हिरासत में देखा था उनलोगों के बदन पर तरह-तरह की चोट थी। कई आदमी को खून बह रहा था। उसमें से एक आदमी धनेश्वर यादव जिन्हें काफी मार लगी थी पैर के तलवें में चोट के कारण चल नहीं हो रहा था। इस वजह से भी लोगों ने मारा था। दिनांक ३० अप्रील १९७३ को सिपाही केवल कुर्त्ता पहने हुए थे बिहार पुलिस वाला। नीचे धोती थी। सिपाही जी का उम्र ५० के लगभग थी। उनको खून आता एक इन्जूरी थी। पसीना के ऐसा जरा-जरा खून आता था सर के पिछले भाग से।

साक्षी संख्या २ (उम्र ४०)।

रात में पुलिस आकर दरवाजे पर काफी गाली-गलौज करने लगी तथा मुझे किवाड़ खोलने के लिये कही। मैंने अन्दर से कहा कि मेरे घर में कोई भी मर्द नहीं है। अतः मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतने में दरवाजा में धक्का मारकर दरवाजा को उछटा कर दो सिपाही मेरे घर के अन्दर चले आये और मेरा हाथ बांह पकड़ने लगे तथा मेरी अस्मत लूट लिया। दारोगा बाबू सिपाही के साथ थे। मेरा उम्र करीब ४० वर्ष है। हमको तीन बच्चा हैं सबसे बड़ा लड़का १२-१३ वर्ष के करीब का है। हमलोगों को सिपाही जी गोली से मार देते वह अच्छा था।

साक्षी संख्या ३ (उम्र १६)।

हमारे दरवाजे पर तीन पुलिस आई। मेरा दरवाजा बन्द था। वे लोग दरवाजे पर से कहा कि दरवाजा खोलो मैंने कहा कि मेरे घर में कोई भी मर्द नहीं। इसपर उनलोगों ने कहा कि भोसड़ी दरवाजा जल्द खोलो नहीं तो तोड़ देंगे और बहुत मार मारेंगे वे लोग दरवाजा उछटा मेरे घर के अन्दर चले आये और काफी गन्दी-गन्दी गाली देने लगे। मेरी मां को मारते हुए घर से बाहर खींच कर ले गये और मेरे साथ तीनों सिपाही ने एक-एक कर के बलात्कार किया। मेरी उम्र १६ या १७ वर्ष के करीब है। बाद में हम भाग गये। मेरा यहां पर नानी का घर है। मेरे नाना का नाम गाजा ठाकुर है। मेरी शादी हो चुकी है परन्तु गौना नहीं हुआ है।

साक्षी संख्या ४।

बाहर से पुलिस वाले लोग कहा कि दरवाजा खोलो भोसड़ी डर से मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाबूजी घर में थे। किवाड़ उचटा वे लोग मेरे घर में घूस आये। और मेरे साथ बलात्कार किया। मेरे साथ एक ही आदमी बालत्कार किया। मेरी शादी हो गयी है तथा गौना भी हो गया है।

## साक्षी संख्या ५ (उम्र १८)

हम सोये हुए थे। तीन पुलिस और दारोगा मेरे घर में किवाड़ तोड़कर चल आये। मुझे जगाकर मेरे साथ बलात्कार किया तथा दो आदमी भाग गये थे। मेरे साथ बालात्कार एक ही आदमी किया था। मेरी शादी हो गयी है और गौना भी हो गया है। मेरी उम्र करीब १७ या १८ वर्ष की है।

## साक्षी संख्या ६ (उम्र २५)

मेरा यहां ससुराल है। मेरी उम्र २५ साल की है। बाहर से हल्ला करके पुलिस वालों ने कहा कि भोसड़ी दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोली। इस पर उनलोगों ने दरवाजा को उछटा दिया और घर में घुस आये तथा सम्पूर्ण घर में खोज-ढूंढ़ करने लगे। मेरी सास घर में लुक गयी थी। दो सिपाही ने मुझे पकड़ लिया तथा मेरे साथ बलात्कार करना चाहे इसपर मैंने कहा कि ये बाबू हम २० दिन के परसौती हैं हमरा के छोड़ दें। परन्तु वे लोग नहीं माने मुझे तंग करने लगे और अन्त में मेरी सारी को खोल दिया तथा ब्लाउज को फाड़ दिया और मेरे साथ भी बलात्कार किया। पुलिस के हाथ में रूल था और एक पुलिस के हाथ में बन्दूक था।

## साक्षी संख्या ७ (उम्र १८)

मेरी उम्र २० वर्ष की है। दरवाजे पर हमारा मालिक सोये हुए थे। उनको चार पुलिस पकड़ कर ले गए। दो पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में चले आए और इसके बाद दरवाजे को बन्द कर दिया। उसके बाद दोनों मेरे साथ काफी बलात्कार किया जिससे मैं बेहोश हो गई। हमारा लड़का साल भर का है।

## साक्षी संख्या ८ (उम्र १४)

मेरे घर का किवाड़ बन्द था। काफी गाली-गलौज करने पर मेरी मां ने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही दो पुलिस घर में घुस जाये तथा दोनों ने मिलकर बारी-बारी से मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी शादी हो चुकी है परन्तु गौना नहीं हुआ है। मेरी उम्र करीब १४ वर्ष की है।

## साक्षी संख्या ९ (उम्र ३०)

सब पुलिस लोग बाहर थे। गाली देकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही वे लोग हमपर टूट पड़े और मुझे एक आदमी पकड़ कर अन्दर ले गए तथा मेरे साथ निर्दयतापूर्वक बलात्कार किया।

## साक्षी संख्या १० (उम्र १६)

अपने घर मे मैं सोयी हुई थी। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अन्दर घुस गई तथा गंदी गालियां देने लगी और मेरे साथ बलात्कार करना चाहा। इस पर मैं शोर मचाने लगी तो कहने लगे कि भोसड़ी हल्ला करोगी तो मैं १२—१४ जवान को तुम पर उतार दूंगा। इसके बाद मेरे साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया। मेरे साथ एक आदमी ने बलात्कार किया था। मेरी सास जो बुढ़िया हैं, को चार रूल मारा था और घर से बाहर कर दिया था।

## साक्षी संख्या ११

मैं जात का गड़ेरी हूं। मेरे घर से मर्दाना लोग डर से भाग गए थे। मेरे घर के दरवाजे पर तीन पुलिस आये और कहा कि ए भोसरी दरवाजा खोलो। हम डर कर दरवाजा खोल दिया क्योंकि वे कह रहे थे कि दरवाजा तोड़कर अन्दर चले आवेंगे और बहुत मार मारेंगे। दरवाजा खुलते ही दो आदमी बत्ती लेकर घर में घुस आए तथा रूल से कई एक रूल मारा तथा मेरी साड़ी को फाड़ दिया और मेरे साथ बलात्कार किया।

## साक्षी संख्या १२ (उम्र ३५)

हमारे पति औ भैंसूर को पकड़ कर पुलिस ले गई। दफादार और रिसरी का एक चौकीदार मुझे काफी मारा तथा दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी उम्र पैंतीस वर्ष की हैं।

## साक्षी संख्या १३

पुलिस हमला के दूसरे दिन गेंधारी मेरे यहां आये। घर में मैं अकेली थी। गेंधारी ने कहा कि भोसड़ी मर्दाना को भगा देती हैं और अपने घर अगोरती हैं। उसके बाद मुझे डंडा से मारा और पचास रुपया तथा एक पाठा ले गया।

## साक्षी संख्या १४

मेरी उम्र ६० वर्ष की हैं। मेरे दरवाजे पर सिपाही और चौकीदार आए तथा टाटी को खोल दिया। टाटी जिस रस्सी से बंधा हुआ था वह रस्सी ले गए और भोसड़ी-भोसड़ी गाली देने लगे। कहने लगे कि भोंसरी तुम्हारा बेटा मर गया हैं और मुझको बहुत मारा।

साक्षी संख्या १५

हमको बन्दूक के कुन्दा से काफी पुलिस ने मारा तथा घर से बाहर कर दिया तथा बहुत भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा।

साक्षी संख्या १६

पुलिस ने हमको बहुत तरह से गंदी-गंदी गालियां दी तथा बन्दूक के कुन्दे से मारा।

साक्षी संख्या १७

मेरी उम्र ८० वर्ष की है। हम सोये हुये थे। पुलिस ने जबर्दस्ती किवाड़ खुलवाया और किवाड़ खुलते ही पुलिस अन्दर आयी और मुझे दो-तीन लात मारा।

साक्षी संख्या १८

मेरा पति पुलिस के मार से जेल से आने के तीन दिन बाद मर गया। मार के कारण बुखार लगता था। मुझे भी काफी पीटा।

साक्षी संख्या १९

मेरी उम्र ५५—६० के लगभग है। मेरा तीन लड़का है। सबसे बड़ा लड़का तीस वर्ष का है। हमको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत मार मारा। मेरा पैर बांध दिया गया और तलवा में मारा। मुझे मेरे गांव में ही रात में मारा था। इसके बाद मुझे मारते-पीटते मीरजागंज ले जाया गया। तलवा में काफी मार पड़ने के कारण मैं चल नहीं सकता था। मीरजागंज में भी मुझे काफी पीटा गया। मीरजागंज के लोग कहते थे कि इनका हालत खराब है। इसके बाद मुझे टैक्सी में सिकन्दरा डाक बंगला ले जाया गया जहां डी० एस० पी० मौजूद थे। डी० एस० पी० ने कहा कि इनलोगों को दक्षिणा मिला है कि नहीं। इसपर पुनः मुझे डाक बंगला में भी मार पड़ने लगी। मेरी कमर में २४० रु० जो खेत बय किया था वह था मुझसे छीन लिया गया।

इसी प्रकार का बयान निम्नलिखित व्यक्तियों ने भी दिया क्योंकि इन लोगों के साथ भी वही घटना घटी थी :—

नाम इस प्रकार है :

साक्षी संख्या २०—श्री करण यादव।
साक्षी संख्या २१—श्री पूना महतो (करीब ७० वर्ष)।

साक्षी संख्या २२—श्री मितरू यादव (टी० बी० के मरीज—इनका इलाज पटना में डॉ० पी० के० मुखर्जी द्वारा चल रहा है इलाज का कागज देखा गया। उम्र करीब ३० वर्ष)।

साक्षी संख्या २३—श्री जालो मांझी।

साक्षी संख्या २४—श्री अर्जुन मांझी (उम्र १६ वर्ष)।

साक्षी संख्या २५—श्री चतुरी साव (उम्र ७० वर्ष)।

साक्षी संख्या २६—श्री जानकी पासवान (उम्र १६ वर्ष)।

साक्षी संख्या २७—श्री कामेश्वर ढ़ाढ़ी (दारोगा जी लाठी से मारे)।

साक्षी संख्या २८—श्री बाजो (उम्र ४५ वर्ष)।

साक्षी संख्या २९—श्री गोवर्धन महतो (२५—२७ वर्ष)।

साक्षी संख्या ३०—श्री लुखड़ यादव—हमारा कोई नहीं है। मेरा ३०० रुपया छीन लिया गया। रुपया चुकड़ में रखकर छिपाया हुआ था। हम भाग गये थे इसलिये गिरफ्तार नहीं हुए। सिकन्दरा जाने के बाद कचहरी गये थे।

साक्षी संख्या ३१—श्रीमती चौरासी देवी..<br>
साक्षी संख्या ३२—श्रीमती मोरवा देवी<br>
साक्षी संख्या ३३—श्रीमती परवा देवी<br>
साक्षी संख्या ३४—श्रीमती वरती देवी<br>
साक्षी संख्या ३५—श्रीमती धनवा देवी

हमला के दूसरे दिन गेंधारी सिंह आए हमलोगों को मारा, पीटा, मुर्गा-मुर्गी काट लिया। हम सब मुशहर हैं।

साक्षी संख्या ३६—मथुरा यादव (१२), पुत्र श्रीकिसुन यादव का बयान

मैं गाय चरा रहा था। सिपाही जी ने पूछा कि ए लड़का हरिहरपुर कौन बस्ती है मैंने बता दिया। उसके बाद कहा कि छाता लाओ। मैंने छाता देने से इन्कार किया। उसके बाद मुझे अपने पास बुलाया, मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। इसपर वह दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिये। हम समझे कि सुईया देने वाला है क्योंकि उसके कन्धा पर झोली लटका हुआ था और भी कुछ चरवाहा इधर-उधर थे।

साक्षी संख्या ३७—रामेश्वर प्रसाद (३५) वल्द बाढ़ यादव का बयान

मैं बालापुरसंडा पंचायत का मुखिया हूं। सोमवार को आठ बजे दिन में तौहीद खां भी मेरे यहां थे। दस बजे मेरे यहां से खाना खाकर हरिहरपुर जाने के लिए तैयार हुए। उनके पास हरिहरपुर का कमान था।

साक्षी संख्या ३८—श्री तौहीद खां, आयु ५० वर्ष, कंस्टेबुल संख्या ८०२।

१। मैं सिकन्दरा थाना का एक सिपाही हूं। २५ अप्रील १९७३ को मुझे रात्रि गस्ती का एक कमान्ड मिला था। कमान्ड के अनुसार मुझे वहरांवा और वाबूपुर में २५ अप्रील १९७३ को, लछुआर में २६ अप्रील को हरिहरपुर में, २७ अप्रील को गस्ती करना था। गस्ती के बाद मैं सिकन्दरा थाना २८ अप्रील को लौटा। उसी कमांड पर फिर से मुझे तुलाडीह के राम सहाय मांझी पर एक नन-वेलेबुल वारन्ट तामील करने के लिये आदेश दिया गया। राम सहाय मांझी पर ३८९ आई० पी० सी० का केस था, दो बार वारन्ट तामील नहीं हो सका था, इसलिये यह तीसरी बार तामीली का आदेश दिया गया था। इसके अलावे वहरांवा तथा बाबूपुर में फिर २८ अप्रील को और लछुआर में २९ अप्रील को गस्ती करने के लिये कहा गया। लछुआर की गस्ती समाप्त कर ३० अप्रील में लछुआर से तुलाडीह चला। साढ़े सात बजे सुबह में तुलाडीह पहुंच गया। वहां पता चला कि राम सहाय मांझी ईंटा पाथने के लिये गहलौर गये हुए हैं। इसलिए मैं वहां से गहलौर चला। गहलौर जाने के पहले मैं रिसड़ी गांव में गया जहां किसुन चौकीदार को साथ लिया। गेन्हारी दफादार भी वहीं था उसे भी साथ ले लिया। रिसड़ी गहलौर से बहुत समीप है। मैं रिसड़ी दस बजे सुबह पहुंचा था। दफादार और चौकीदार के साथ ११ बजे दिन में मैं गहलौर पहुंचा। बस्ती से करीब २५० गज पर कुछ लोग ईंटा पाथ रहे थे। मैंने उनलोगों से राम सहाय मांझी के बारे में पूछा। इतने में ईंटा पाथनेवालों में से एक आदमी बस्ती की तरफ भागा। हमलोगों को संदेह हुआ कि वही राम सहाय मांझी हैं। इसलिये हम तीनों ने उसका पीछा किया। भागा हुआ आदमी गहलौर बस्ती में जाकर छिप गया और हमलोग उसे पकड़ नहीं सके।

२। बस्ती के लोगों से मैंने कहा कि उस आदमी पर वारन्ट है और उसे छिपाना अच्छा काम नहीं है और इसके लिये उनपर केस हो जायगा। लोगों ने कहा कि उनलोगों ने किसी राम सहाय मांझी को नहीं छिपाया है। मैं नहीं कह सकता हूं कि चौकीदार और दफादार ने भागते हुए आदमी को पहचाना या नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने गांववालों से पूछा कि भागा हुआ आदमी राम सहाय था या नहीं। गांव वालों ने भी मुझे नहीं कहा कि वह राम सहाय था या नहीं। भागा हुआ आदमी जिसे मैंने राम सहाय समझा, लगभग ३५ वर्ष का था। चौकीदार ४५ वर्ष का और दफादार ५० वर्ष का।

३। मैं नहीं जानता हूं कि किसकी जमीन में किसका ईंटा पाथा जा रहा था।

४। जब मैं राम सहाय पर वारन्ट तामील करने के लिये लछुआर से चला तब मैंने चौकीदार और दफादार जो मेरे साथ थे, उनको छोड़ दिया और मैं

वहां से अकेले चला, यह सोचते हुए कि गहलौर के चौकीदार और दफादार को साथ ले लेंगे।

५। यह सत्य नहीं है कि मैंने उस दिन सुबह साढ़े आठ बजे बाढ़ो महतो, ग्राम वाला सुरसन्डा के यहां पहुंचा था और खाना खाकर मैं वहां से १०॥ बजे तुलाडीह के लिये चला।

६। बस्तीवालों ने जब राम सहाय को नहीं निकाला तब मैंने उन लोगों से कहा कि उनपर आसामी छिपाने का केस कर दिया जायगा और बात अच्छी नहीं होगी। इतना कहने के बाद हम दफादार और चौकीदार पूरब की ओर चले। जब हमलोग लगभग तीन सौ गज गये तो बस्ती से बहुत से लोग लाठी वगैरह लेकर दौड़े हुए आए और उनलोगों ने मुझे घेर लिया। ये लोग मुझे घेरकर लाठी से पीटने लगे। दफादार और चौकीदार वहां से भाग गये। मुझे मारने के बाद बस्तीवाले मुझे टांगकर बस्ती में यह बोलते हुए ले आये कि चलो इसे जला दें नहीं तो यह सबको फंसा देगा। बस्ती में एक बर के पेड़ के नीचे उनलोगों ने मुझे लाकर रखा। तब मैंने पानी मांगा। बस्तीवालों ने पानी दिया।

७। जहां मुझे मार लग रही थी वहां से भागकर दफादार और चौकीदार रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता, भूतपूर्व मुखिया, राधानगर के यहां चले गये। वे दौड़े तो रिसरी के तरफ और ये रिसरी होते हुए राधानगर चले गये। रिसरी और राधानगर मारवाली जगह से भिन्न-भिन्न दिशाओं में हैं। थोड़ी देर के बाद रामचन्द्र प्रसाद मुखिया मेरे नजदीक पहुंचे। रामचन्द्र मुझे वहां से मीरजागंज ले गये। वहां उन्होंने लगभग २॥ बजे दिन में किसी से ए० टी० एस० की सूई दिलवाई। मैं मीरजागंज तक पांव पैदल ही गया। मीरजागंज से मुझे बस पर रामचन्द्र ने सिकन्दरा भेज दिया। गहलौर के लोग गहलौर में ही रह गये। मुझे २१ लाठी की चोट पीठ पर थी और एक लाठी की चोट सर पर थी। मेरे दांत, एक पूरा और एक आधा टूट गये।

८। गहलौर में लोगों ने मेरा कपड़ा धो दिया था जिसपर खून गिरा था। मैंने अपने झोले से एक कलीदार कुर्त्ता निकाला और भगवान से बैठे-बैठे प्रार्थना की। नमाज नहीं पढ़ा मैं सिकन्दरा छः बजे शाम में पहुंचा। मिरजागंज से ४॥ बजे चला था। मिरजागंज से सिकन्दरा ६॥ मील दूर है। सिकन्दरा में मैंने प्राथमिकी दायर की। प्राथमिकी में मुदालहों के नाम जो मैंने दिये, वे सभी नाम मुझे दफादार और चौकीदार से मिले थे। मैंने २१ नाम प्राथमिकी में दिया। मैं नहीं कह सकता हूं कि दफादार और चौकीदार ने किसी को पहचाना था या नहीं। दफादार और चौकीदार मुझे मार खाते देखकर (दो चार लाठी लगने के बाद) वहां से भागे थे। मारने के समय मुझे करीब सौ आदमी घेरे हुए थे। फिर भी मैंने चौकीदार और दफादार को भागते हुए देखा।

९। प्राथमिकी दायर करने के बाद मुझे सिकन्दरा अस्पताल भेज दिया गया वहां मुझे भर्त्ती कर लिया गया और मैं वहां दस दिन रहा।

१०। यह मेरे ख्याल में नहीं आया कि मैं पीटा गया लेकिन चौकीदार और दफादार बच गये। वहां से भाग जाने के लिये चौकीदार और दफादार को कोई सजा नहीं मिली है। मैंने सिकन्दरा के दारोगा जी से कहा कि मुझे मार खाते देखकर वे वहां से भाग गये। प्राथमिकी में भी मैंने ऐसा कहा है।

११। जब मैं गहलौर से वापस जा रहा था तब चौकीदार और दफादार १०—१२ बांस आगे थे। फिर कहा कि वे मुझसे ५० बांस आगे थे। मैं नहीं कह सकता कि एक बांस में कै हाथ होते हैं।

१२। यह पहला मौका था कि मैं गहलौर गया था। ऐसी बात नहीं है कि गहलौर के लोगों ने मुझे दवायें भी दीं।

१३। मैंने बाढ़ो महतो का नाम सुना है। मैं उनकी मृत्यु के बाद बी०डी०ओ० के साथ वहां गया था। मैं नहीं जानता हूं कि बाढ़ो महतो के लड़के रामेश्वर हैं। मैं मुसलमान हूं, यह छोड़कर दूसरा कारण नहीं दीखता कि गहलौर के लोगों ने मुझे क्यों मारा। मैंने वारन्ट की तामीली अनेकों बार की है, परन्तु इसके पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी।

१४। मैं जब गहलौर से वापस जा रहा था तब पीछे से जो गिरोह आया उसके नेता लालू गरेड़ी थे। मुझे जब बस्ती में वे लोग ले आये, और मुझे जान से मार देना चाहते थे, तबतक रामचन्द्र मुखिया आ गये और उनके बीच-विचाव से गिरोह ने मेरी जान दया करके बक्स दी। गिरोह जब बस्ती में मुझे वापस लाया, उसके आधे घंटे के बाद रामचन्द्र मुखिया आये।

तौहीद खां, सिपाही नं० ८०२, ३१ जुलाई १९७३ समिति के समक्ष।

१५। मुझे केवल लाठी से मार पड़ी। केवल सर के पिछले भाग से तथा जो दांत टूट गया था उससे खून आता था। एक दांत टूट कर घटनास्थल पर ही गिर गया। मैंने उस दांत को उठाकर रखने की चेष्टा नहीं की। जब लोग मुझे उठाकर बड़ के पेड़ के नीचे ले गये तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा दांत टूटकर गिर गया था। टूटे हुए दांत को मुझे अपने हाथ से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं नहीं कह सकता हूं कि दांत घटनास्थल पर ही गिर गया या घटनास्थल से बड़ के पेड़ तक के रास्ते में गिरा। जो दांत आधा टूट गया वह घटनास्थल पर ही गिर गया था।

जो दांत गिर गया वह चहुआ था। उस चहुए के दोनों तरफ के दांतों में मुझे कोई भी चोट नहीं थी। चो चहुआ टूट गया उसके सामने गाल पर मुझे कोई चोट या सूजन नहीं थी। आधा दांत जो टूटा वह सामनेवाला दांत था। उसके सामने होंठ पर कुछ सूजन था।

मेरा आजतक एक ही दांत टूटा है जो इस घटना में टूटा है। बकिये सभी दांत मौजूद हैं और वे सभी बहुत मजबूत हैं। ऐसी बात नहीं थी कि मेरा एक दांत पहले ही टूट चुका था। जो दांत टूटा वह घटना में टूटा, और लाठी के हूरा से टूटा।

मैं नहीं कह सकता हूं कि सर पर के घाव की सिलाई करनी पड़ी या नहीं। फिर कहता है कि टांका पड़ा था। वह टांका पीछे काटा नहीं गया। फिर कहता है कि मैं नहीं कह सकता कि घाव में टांका पड़ा या नहीं। सर के घाव में दवा-दारू लगाने के लिये सर का कोई भी बाल काटा नहीं गया।

साक्षी सं० ३६—श्री अभिमन्यु सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर।

१। मैं मुंगेर का जिलाधिकारी हूं। ५ मई १६७३ को मेरे यहां डी० सी०सी० की मीटिंग हुई थी। उसके बाद श्री डी० पी० यादव (केन्द्रीय उप-मंत्री) ने मुझसे कहा कि गहलौर में कुछ घटना घट गई है। डेरे आकर मैंने एस० डी० ओ०, जमुई को बुलाया तथा तत्कालीन एस० पी० श्री सहदेव राम को फोन भी किया। एस० पी साहब ने मुझे फोन पर कहा कि वे पूरी रिपोर्ट मंगा देंगे। मैंने इनक्वायरी कराकर इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है, जिसकी प्रति दे रहा हूं (एक प्रति उन्होंने दी)। (यह रिपोर्ट सूई देनेवाले घटना को मानता है परन्तु औरतों पर बलात्कार को नहीं मानता है। एक और दो मई की रात में जो रेड पुलिस द्वारा हुई उसे भी मानता है।)

२। १ मई १६७३ को मैं जमुई में था। वहां एक मीटिंग थी। जिसमें जमुई के डी० एस० पी० भी उपस्थित थे। ६ बजे रात्रि में उन्होंने मुझसे कहा कि उनके एक सिपाही को पीटा गया है और उस संदर्भ में उन्हें एक रेड करना है। और इसलिये हो सकता है कि दूसरे दिन सुबह वे नहीं आ सके। मुझे दूसरे दिन ही सुबह जमुई से प्रस्थान करना था इसलिये उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। परन्तु किसी कारण वश मुझे जमुई में देर हो गई। लगभग दो बजे अपराह्न में मैं वहां से मुंगेर के लिये चला। ठीक उसी समय डी० एस० पी० साहब आ गये और उन्होंने मुझ से कहा कि उनलोगों ने बारह व्यक्तियों को कैद किया है। साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि वहां कुछ कौम्यूनल टेन्सन भी हो गया था परन्तु अब कोई बात नहीं है। मैंने इसकी कोई जांच नहीं की कि क्योंकि एस० डी० ओ० ने कहा था कि इसमें कुछ इनक्रीमिनेटिंग नहीं था। मुझे किसी सी० आई० डी० या पब्लिक से ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी।

३। जब बिहार विधान-सभा में यह बात उठी थी तब मैं पटने में ही था। नये एस० पी० गहलौर गये थे परन्तु उन्होंने अपना कोई प्रतिवेदन इसलिये नहीं दिया कि तबतक विधान-सभा द्वारा एक समिति इसे जांच करने के लिये बना दी गई थी, तथा भागलपुर के आयुक्त को भी सरकार ने जांच का आदेश दे दिया था। मुझे पता चला कि भागलपुर के आयुक्त अभीतक इनक्वायरी के लिये नहीं आये हैं। उन्होंने कोई वाचिंग ब्रीफ इनक्वायरी भी की है जो इस विषय से संबंधित है।

साक्षी संख्या ४०—श्री सहदेव राम, एस० पी०।

घटना के समय में मुंगेर का एस० पी० था। अब मैं पटना में स्थानान्तरित हो गया हूं। ५ मई १९७३ को श्री रामेश्वर पासवान, स०वि०स० ने मुझे गहलौर में पुलिस धांधली रोकने को कहा। उन्होंने मुझे केवल इनडीस्क्रीमीनेट अरेस्ट तथा एसौल्ट बाई पुलिस के बारे में कहा, पर औरतों के साथ बलात्कार के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैंने जमुई के डी० एस० पी० से इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी। पटना से आई० जी० ने मुझसे एक रिपोर्ट मांगी परन्तु उन्होंने मुझे कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि मैं स्वंय घटनास्थल पर जाउं। मैंने आई० जी० साहब को डी० एस० पी० वाली रिपोर्ट भेज दी। मेरा स्थानान्तरण हो चुका था और १८ मई १९७३ को कार्यभार सौंपने में मैं व्यस्त था, और यह भी एक कारण था कि मैं गहलौर नहीं जा सका। डी० एस० पी० की रिपोर्ट मैंने आई० जी० को ११ मई १९७३ को या उसके एक-दो दिन के बाद भेजी।

सी० आई० डी० द्वारा मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली थी।

मुझे स्मरण नहीं है कि मुंगेर के कलक्टर ने मुझसे कोई कौम्यूनल टेन्सन की बात कही हो। मुझे कौम्यूनल टेन्सन की कोई खबर नहीं थी।

गहलौर कांड के आई० ओ० के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वे मुझे रेड की सूचना देते।

साक्षी संख्या ४१—श्री गेन्हारी सिंह, दफादार, ग्राम महना।

१। मैं ३० अप्रील १९७३ को सुबह मौजे रिसरी पहुंचा। वहां चौकीदार किसुन से भेंट हुई। सिपाही (तौहीद खां) भी वहां आ गये। सिपाही ने कहा कि राम सहाय को कैद करना है, उसपर वारन्ट तामील करना है। उसने हमलोगों के अपने साथ चलने को कहा। हमलोग तब गहलौर आये। बस्ती से बाहर ही कुछ लोगों को ईंटा पाथते देखा। हमलोगों ने पूछा कि उसमें कोई राम सहाय

था या नहीं। इतने में उनमें से एक आदमी भागा। हमलोगों ने उसका पीछा किया। वह गांव में जाकर छिप गया। सिपाही ने गांववाले से कहा कि उसे छिपाना अच्छा नहीं है और उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं राम सहाय को नहीं पहचानता था पता नहीं सिपाहीजी उसे पहचानते थे या नहीं।

२। गांव में आधे घंटे ठहरने के बाद हमलोग रिसरी के तरफ चले : जब ४०० गज गये तब करीब १ सौ आदमी पीछे से लाठी लिये हुए आए और सिपाही को घेर लिया। वे सिपाही को लाठी से मारने लगे। मैंने उनसे कहा कि "काहे अन्याय कर रहे हो", पर उनलोगों ने नहीं माना। जब सिपाही गिर पड़ा तब मैं राधानगर की ओर भाग गया वहां पहुंचकर रामचन्द्र मुखिया से मैंने सारी बातें कहीं। रामचन्द्र मुझे और चौकीदार को साथ लेकर गहलौर गये। वहां जाकर हमलोगों ने देखा कि सीता यादव और प्रह्लाद यादव ने सिपाही के कपड़े और घाव साफ किये। सिपाही ने उनलोगों से कहा कि गिरोह के लोगों ने उसकी जेब से १६ रु० ले लिये। सिपाही की कमीज और गंजी मेरे सामने खोली गयी।

३। उन्हें साफ कर सुखाने में १ घंटा समय लगा। तबतक सिपाही का कमर से ऊपर नंगा ही रहा। जब उसके कपड़े सूख गये तब वही कपड़े उसने फिर पहना। उसने कभी कोई कुर्त्ता नहीं पहना। उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी।

४। वहां से हमलोग सिपाही को मिरजागंज ले आये। मिरजागंज में उसे एक सूई दी गयी। मैं नहीं जानता हूं कि सुई के पैसे किसने दिये। मीरजागंज में हमलोगों को सवारी के लिये ठहरना पड़ा। वहीं पर मैंने सिपाही को २१ नाम दिये, जिन्हें मैंने गिरोह में पहचाना था। वहां ४॥ संध्या एक बस आई, उसीपर सवार होकर हमलोग सिकन्दरा गये। मैं नहीं कह सकता हूं कि मीरजागंज से सिकन्दरा जाने में बस को कितना समय लगता है। मैं नहीं कह सकता हूं कि हमलोग कितने बजे सिकन्दरा पहुंचे। रामचन्द्र मुखिया भी हमलोग के साथ थाने पर आये। हमलोगों को बस के पैसे नहीं देने पड़े।

५। ३० अप्रील की रात में ११ बजे पुलिस पार्टी मेरे यहां आई जिसमें सुखदेव राय, सिपाही, सिकन्दरा के दारोगा, किसुन गोप, चौकीदार, और मैं भी था। सभी मेरे साथ रात में वहीं ठहरे। पांच बजे सुबह (१ मई, १९७३) हमलोग गहलौर गये जहां ईंटा पाथा जा रहा था वहां देखने को कुछ नहीं मिला। किसी को कैद नहीं किया गया और हमलोग वापस चले आये। मैं उसके बाद कभी गहलौर बस्ती नहीं गया।

६। मैं नहीं जानता हूं कि किसकी जमीन पर ईंटा पाथा जा रहा था और किसका ईंटा था। अभी वहां कोई भी ईंटा नहीं है। ईंटा की पकने की बात भी मैं कुछ नहीं जानता हूं।

७। ऐसी बात नहीं है कि मैं और किसुन तुलाडीह गया था सिपाही के साथ और वहां हमलोगों को पता लगा कि राम सहाय गहलौर गया हुआ है और तब हमलोग उसे कैद करने के लिये गहलौर आये।

साक्षी संख्या ४२—श्री देवी चरण सिन्हा, एस० पी०, मुंगेर।

मैंने मुंगेर में १८ मई, १९७३ को कार्यभार ग्रहण किया। जमुई में कथित कौम्यूनल टेन्सन की खबर मुझे आज तक नहीं है। जब मैंने अखबार में विधान-सभा में उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में पढ़ा तब १३ जुलाई, १९७३ को मैं गहलौर गया। उसके पहले डी० आई०-जी० ने भी मुझे गहलौर जाकर जांच करने का आदेश दिया था। गहलौर में इन्सपेक्टर और एक सिपाही और सिकन्दरा के थाना प्रभारी के साथ गया। वहां लगभग ६०-६५ आदमी जमा हुए। किसी तीसरे व्यक्ति ने उनमें २४-२५ व्यक्तियों का ब्यान लिखा उनलोगों का ब्यान था कि पुलिस ने उनके रुपये,लोटा, मुर्गा, मुर्गी तथा अन्य सामान लूट ली और उन्हें मार-पीट भी किया। निम्नलिखित औरतों ने भी मेरे सामने ब्यान दिया :—

(१) मु० पतिया, जौजे पुना महतो ;
(२) चाको देवी, जौजे साधो ;
(३) बुधिया जौजे धनेश्वर मांझी ;
(४) चौरासी देवी, जौजे लछुमन ;
(५) चानो देवी, जौजे सिबु पासवान ;
(६) आनन्दी देवो, जौजे बिन्दु महतो ;
(७) मारो देवी, जौजे गोबरधन ;
(८) मीना देवी, जौजे यमुना।

(एस० पी० साहब द्वारा लिये गये ब्यान तथा समिति द्वारा इनलोगों के लिये गये ब्यान मिलाये गये और पाया गया कि बलात्कार को छोड़ कर इन लोगों के ब्यान दोनों जगह करीब-करीब एक ही है। एस० पी० के सामने किसी ने बलात्कार की बात नहीं कही थी।)

मैंने अपनी जांच जारी नहीं रखी क्योंकि विधान-सभा की समिति की तबतक घोषणा हो चुकी थी। मैंने डी० एस० पी० की पहली रिपोर्ट भी देखी थी। जिसमें कहा गया था कि मोलेस्टेसन और रेप का अभियोग झूठा था। इस बिन्दु पर मैंने औरतों से पूछ-ताछ नहीं की।

डी० आई०-जी० से मुझे एक गोपनीय पत्र यह कहते हुए प्राप्त हुआ था कि सिपाही (तौहीद खां) प्राय: मार खाने के समय वर्दी में नहीं था। गोपनीय जांच के आधार पर मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि वह वर्दी में था।

साक्ष्य संख्या ४३—श्री एस० एम० घोष, डी०आई०जी०, भागलपुर।

घटना के संबंध में पहल-पहल मुझे आइ०जी० के पत्र से मालूम हुआ। उस पत्र की प्रतिलिपि मैंने एस०पी० को दी। आई०जी० का पत्र मुझे १२ मई १९७३ को मिला। १३ मई १९७३ को मैंने एस०पी० को पत्र दिया। एस०पी० ने आई०जी० को एक रिपोर्ट भेजी उसकी एक प्रति मुझे भी दे दी। मैंने भी एक प्रतिवेदन आई०जी० को भेजा (प्रतिवेदन समिति को दिया गया) आई०जी० द्वारा जो मुझे सूचना मिली उसके अतिरिक्त घटना के विषय में मुझे कोई खबर नहीं थी।

२८ मई १९७३ को श्री त्रिपुरारी सिंह ने मुझे पटना से फोन किया कि एस०पी० को स्वयं जाकर इन्क्वायरी करने का आदेश दिया जाय, तदनुसार मैंने एस०पी० को आदेश दिया। एस०पी० ने मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

प्रश्न—आपने तौहिद खां द्वारा दिया हुआ प्राथमिकी देखा है? उसके बाद जो पुलिस का रेड हुआ उसकी भी आपको जानकारी है, क्या आप समझते हैं कि यह रेड जस्टीफाएड था?

उत्तर—चूंकि एक सिपाही डियूटी पर मारा गया था प्रशासन के हित में ऐसा रेड किया गया। मुदालो को कैद करने के लिए यह रेड जस्टीफाएड था।

प्रश्न—यह रेड किस धारा के अनुसार किया गया था?

उत्तर—कुछ नहीं।

प्रश्न—क्या यह रेड धारा १५७ सी-आर०पी०सी० के अन्दर किया गया था?

उत्तर—हां।

प्रश्न—इसके अतिरिक्त कोई प्रावधान नहीं है?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—कृपया धारा १५७ सी-आर०पी०सी० को पढ़ें और बतायं कि यह रेड नियमानुकूल हुआ या नहीं (किताब दी गई)?

उत्तर—पढ़कर चुप रहे। कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रश्न—तो इस केस में बिना कोई अनुसंधान किये हुए लोगों को एरेस्ट करना आवश्यक समझा गया?

उत्तर—चुप।

प्रश्न—क्या यह इसलिये नहीं किया गया कि एक सिपाही की बात थी?

उत्तर—कोई उत्तर नहीं।

साक्ष्य संख्या ४४—श्री रमेश कुमार सिन्हा, एस०डी०ओ०, जमुई।

जमुई के डी०एस०पी० ने मुंगेर के कलक्टर को और मुझे एक ही साथ कहा था कि कुछ कोम्यूनल टेंसन हो गया था। ऐसा उन्होंने हमलोगों को रेड में जाने के पहले कहा था। उन्होंने यह भी बताया था कि कम्यूनल buring, का कारण यह था कि एक मुसलमान सिपाही पीटा गया था। यह सूचना पाकर ही मैं और डी०एस०पी० ने कोई कन्सर्टेड एक्शन नहीं लिया। कोई १४४ धारा लागू नहीं किया गया।

२ मई, १९७३ के अपराह्न में डी०एस०पी० ने मुझे खबर दी कि उन्होंने १२ व्यक्तियों को राउन्ड-अप किया है।

८ मई १९७३ को चार बजे संध्या में गहलौर गया था। मैंने लोगों से सामूहिक रूप में पूछ-ताछ की। किसी ने भी औरतों पर बलात्कार की बात नहीं कही थी। लूट-पाट, मुर्गा-मुर्गी ले जाने की बात, चालीस रुपये ले जाने की बात लोगों ने मुझसे कही। लोगों ने यह भी बताया कि पुलिस का रेड दो पहर रात के बाद और सुबह के पहले हुआ था। मैंने कुछ रेकर्ड नहीं किया और मैंने कोई रिपोर्ट किसी को नहीं भेजी। २८ मई १९७३ को मुझे एक सिगनल मिला जिसका जवाब मैंने सिगनल से दे दिया।

गहलौर के ग्रामीणों के साथ जो बातें हुईं, उस आधार पर मैंने रिपोर्ट की कि सूई देने वाला आया है यह कहकर मार पड़ी थी। डी०एस०पी० ने मुझसे कहा कि सिपाही वारन्ट तामिल करके अकेले लौट रहा था तब गांव वालों ने मारा।

कलक्टर ने मुझसे बात की उसमें रेड की बात ही उन्होंने कही थी। यह बात ५ मई १९७३ को हुई थी।

साक्ष्य संख्या ४५—५९—रेड में गये १५ आदमी।

हमलोग सिकन्दरा थाना १ बजे शाम में पहुंचे। २ बजे रात में एक ट्रक से रवाना होकर २½ बजे हमलोग मीरजागंज पहुंचे। हमलोगों के साथ तीन अफसर थे। जमुई के डी०एस०पी० सिकन्दरा डाक बंगला ही में ठहर गये। डी०एस०पी० साहब ने हमलोगों से कोई खास बात नहीं कही। वे हमलोगों के साथ जमुई से सिकन्दरा तक आये थे। हमलोग ८।१ जमुई से आये तथा ४।१ जो गस्ती पार्टी थी वह हमलोगों से सिकन्दरा में मिली।

गहलौर ४ बजे सुबह पहुंचे। रात में हमलोग किसी के घर के अन्दर नहीं गये। किसी की किवाड़ न हमलोगों ने तोड़ी और न उचटाई। सिकन्दरा के दारोगा के पास सभी मुदालहों के नाम थे। हमलोगों ने चलते-फिरते जिसको

पाया पकड़ लिया। हम में से कोई भी नहीं बता सकते हैं कि किसको किसने पकड़ा। हमलोगों में से किसी ने किसी को नहीं पीटा। हमलोग बस्ती में ३½ घंटा ठहरे, जो ९ आदमी गिरफ्तार नहीं हो सके उनके घर हमलोग नहीं गये। बस्ती से सभी लोग भाग गये थे। इसलिये हमलोग ९ आदमियों को कैद नहीं कर सके। १२ आदमी घेरा गये।

नायक राम बिहार सिंह ६९४।

हमलोग बस्ती के अन्दर नहीं गये।

रामदहिन तिवारी ५७५

हमलोग बस्ती में गये परन्तु गली-गली में ही रहे। द्वार पर तक गये पर घर के अन्दर नहीं गये। दो चार आसामी को हमलोग रगेदकर घेर कर पकड़ा।

साक्ष्य संख्या ६०—श्री बिन्ध्याचल प्रसाद सिंह, थाना प्रभारी, सिकन्दरा।

मैं सिकन्दरा में ५ अगस्त १९७२ से हूं। २५ मार्च १९७३ को रामसहाय मांझी के खिलाफ एक वारन्ट आया था, जिसे तामील करना था। २८, २९ और ३० अप्रील १९७३ के लिए तौहीद खां सिपाही को रात की गस्ती पर तैनात किया गया था। उसी कमान्ड पर रामसहाय मांझी का वारन्ट भी उसे तामील के लिए दिया गया। राम सहाय के वारन्ट के विषय में अदालत से कोई स्मार-पत्र नहीं आया था। वारन्ट हमारे यहां से रिकौल भी नहीं हुआ था। मैं नहीं बता सकता हूं कि राम सहाय ने ३० अप्रील १९७३ के पहले अदालत में सरेन्डर होकर जमानत ले ली थी। मुझे इतना मालूम है कि वह सरेन्डर कर चुका है। १३ जुलाई १९७३ को जब श्री डी०पी० यादव आये तो रेकार्ड देखा गया और पाया गया कि वह सरेन्डर कर चुका था। सरेन्डर की तिथि की जानकारी मुझे नहीं है।

३० अप्रील १९७३ को ६ बजे संध्या समय तौहीद खां, सिपाही थाने पर आया और उसने बताया कि उसे कैसे पीटा गया। उसने कहा कि दफादार और चौकीदार के साथ राम सहाय पर वारन्ट तामील करने के लिए वह गहलौर जा रहा था। गांव के बाहर ही कुछ लोग ईंटा पाथ रहे थे। उनलोगों से राम सहाय के बारे में पूछा कि इतने में एक आदमी भागकर बस्ती चला गया। सिपाही वगैरह भी बस्ती गये। कुछ पता नहीं मिला। तो वापस हुए। जब तीन-सौ-चार-सौ गज बस्ती आ गये थे तब बस्ती से बहुत से लोग आये और लाठी से तौहीद खां को पीटने लगे। उसके दो दांत भी उनलोगों ने तोड़ दिये। दफादार और चौकीदार भागकर राधानगर चला गया। वे दोनों सिपाही

से कुछ आगे थे। सिपाही ने यह भी बताया कि उसे कैसे लोग फिर गहलौर ले गये, कैसे रामचन्द्र मुखिया वहां आये, कैसे उसके कपड़े वहां धोये गये और वह कैसे थाना आया इत्यादि, इत्यादि। उसके बयान पर एक प्राथमिकी भी दायर की गयी।

३। चौकीदार और दफादार जो सिपाही को मार खाते छोड़कर भाग गये थे, उसके लिए उनलोगों से कोई कैफियत नहीं पूछी गयी और कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं की गयी।

४। मेरे थाने में अभी ३०-४० वारन्ट पेंडिंग पड़े हैं।

५। १ मई १६७३ को एक दफादार और एक सिपाही के साथ मैं स्थल निरीक्षण के लिए घटना-स्थल पर गया। वहां मुझे कुछ भी incriminating नहीं मिला। मैं वहां पांच बजे सुवह पहुंचा था लेकिन किसी मर्द या औरत से मुलाकात नहीं हुई। सभी घर छोड़कर भाग गये थे। ऐसी बात नहीं है कि मैंने वहां १६ सौ रुपया या एक रुपया भी तहसील किया।

६। ३० अप्रील १६७३ को जब तौहीद खां थाना पहुंचे तब रामचन्द्र मुखिया उसके साथ नहीं थे। १ मई १६७३ या २ मई १६७३ को भी रामचन्द्र मुझसे नहीं मिले। वे आज तक मुझसे नहीं मिले हैं।

७। जिस दिन क्राइम मीटिंग थी, उसी दिन डी०एस०पी० के औफिस में मैंने उनसे सिपाही के साथ जो घटना घटी थी, उसके बारे में कहा था। क्राइम मीटींग में ही इसकी सूचना मैंने इन्सपेक्टर को दे दी थी। डी०एस०पी० ने मुझे मौखिक आदेश दिया उसी रात में गहलौर में रेड करने के लिए। रेड अभियुक्त को पकड़ने के लिए करने को कहा। हलसी के दारोगा को भी रेड में मदद करने के लिए उन्होंने कह रखा था। उनसे उन्होंने क्राईम मिटींग में ही कहा था।

८। रेड चार बजे सुबह किया गया था। किसी के घर की तलाशी नहीं ली गयी थी। १२ आदमी पकड़े गये, बकिये ६ के लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, और न किसी के घर में ही गया। मैं पूरे रेडिंग पार्टी के साथ बस्ती में गया था। जो ईंटे थीं वे किसी एल०पी० या यू० पी० स्कूल के लिए थी। मैं नहीं जानता हूं कि ईंट पकायी गयी थी कि नहीं। डी०एस०पी० ने केस को सुपरवाईज किया है। १ मई १६७३ को साढ़े नव बजे रात्रि में डी०एस०पी० ने सिकन्दरा डाक बंगले में गंधारी दफादार और किशुन चौकीदार का बयान लिया था। मैं नहीं जानता हूं कि दफादार और चौकीदार साढ़े नौ बजे रात

में सिकन्दरा कैसे पहुंचे थे। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। १ मई १६७३ को जब मैं गहलौर गया था तब वे दफादार और चौकीदार मेरे साथ थे।

६। गत एक महीने से लड़कियों को बलात्कार की बात कहने के लिए सिखाया जा रहा है। हमलोगों को अपने पक्ष की गवाही के लिए कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।

१०। रेड से वापस होकर कैदियों के साथ जब हम आ रहे थे तब हमें रामचन्द्र से मुलाकात नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि मैंने रामचन्द्र से कहा कि उसने चार व्यक्तियों को छुपा रखा था, लेकिन मैंने उसके घर पर रेड नहीं किया, केवल उसकी इज्जत बचाने के लिए। मैंने उससे नहीं कहा कि डी०एस०पी० उससे बहुत रंज है।

११। रामचन्द्र प्राथमिकी के गवाह हैं। मैंने अभी उनका बयान नहीं लिया है। उनपर सम्मन भी नहीं दिया है।

१२। इसका कोई कारण नहीं है कि २ मई १६७३ को हमलोग सुबह साढ़े चार बजे गहलौर क्यों पहुंचे।

साक्ष्य संख्या ६१—श्री हरेन्द्र प्रसाद, दारोगा, हलसी।

१ मई १६७३ के साढ़े ३ बजे अपराह्न में डी०एस०पी० ने जमुई में मुझे सिकन्दरा के थानेदार को आसामियों को कैद करने में मदद करने के लिये कहा। जमुई से हम हलसी गये और संध्या समय आठ बजे रात में डायरी में लिख कर हम हलसी से सिकन्दरा चले। मैं नहीं जानता हूं कितने आदमियों को कैद करना था। हमलोग जब बस्ती के निकट पहुंचे तब बस्ती से २० गज की दूरी पर चार व्यक्ति सोये हुए थे, जिन्हें हमलोगों ने पकड़ लिया। हमलोग बस्ती के अन्दर नहीं गये। मैं पार्टी में सबसे पीछे था। पार्टी बस्ती की तरफ जा रही थी पर बस्ती में नहीं गई।

साक्ष्य संख्या ६२।

श्री राम लखन लाल, ए० एस०-आई०, सिकन्दरा।

मैं पुलिस रेडिंग पार्टी में था। किसी के घर पर रेड नहीं किया गया। चार आदमी बस्ती के उत्तर १५० गज की दूरी पर पकड़े गये। वे चारो दो खटिये पर सोये हुए थे। २१ आदमियों में से केवल १२ आदमी ही पकड़े गये। बकिये ६ के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि वे भाग चुके

थे। थाना प्रभारी ने कहा कि वे लोग भाग गये हैं। जिन चारों को पकड़ने के बारे में मैंने ऊपर कहा उनके अतिरिक्त आठ आदमी कैसे पकड़े गये, यह मैं नहीं जानता हूं।

साक्षी संख्या ६३।

श्री कृष्णानन्द प्रसाद सिंह, इन्सपेक्टर।

१-५-१९७३ को मैं क्राईम मीटिंग जमुई में था। सिकन्दरा के दारोगा ने मुझसे कहा कि एक सिपाही पीटा गया था और उसका केस भी दायर हो चुका था। मैंने उन्हें डी० एस० पी० से बातें करने के लिये कहा। डी० एस० पी० से बातें मेरे सामने नहीं हुई। दारोगा ने कहा वे उस दिन सुबह बस्ती में गये थे। उनको कोई गवाह नहीं मिला। उन्होंने दफादार और चौकीदार का बयान लिया था। डी० एस० पी० से इस संबंध में मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। मैं जानता था कि डी० एस० पी० अपने साथ फोर्स ले गये थे।

साक्षी संख्या ६४।

श्री मृत्युंजय कुमार झा, डी० एस० पी०।

(१) मैं भागलपुर का रहनेवाला हूं। १-५-१९७३ को जब मैं डाक देख रहा था तो मुझे सिकन्दरा थाना की एक प्राथमिकी देखने को मिली। कुछ देर के बाद सिकन्दरा थाना के दारोगा जी आये तथा उन्होंने घटना के संबंध में मुझ से कहा। उसके पहले सिकन्दरा के दो मुसलमान मुझ से मिले थे और कहा था कि एक सिपाही पीटा गया है। मुझे यह स्मरण नहीं है कि डी० एम० से मैंने कौम्यूनल टेन्शन के बारे में कुछ बात कही थी या नहीं। मुझे स्मरण नहीं है कि सिकन्दरा के दारोगा ने मुझे यह कहा कि वे सुबह बस्ती में गये थे फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वे बस्ती में गये थे। १-५-१९७३ को संध्या में जमुई के आई० बी० में डी० एम० को घटना की सूचना दी।

(२) मैं १० बजे रात में फोर्स के साथ सिकन्दरा पहुंचा। मैंने फोर्स को आसामी को पकड़ने के लिये भेज दिया और स्वयं क्राईम सेन्टर चेक करने चला गया। मैंने सिकन्दरा के दारोगा के मारफत दफादार और चौकीदार को सिकन्दरा डाक बंगला में बुलाया और १० बजे रात में उनलोगों का बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया। रिकार्ड से पता चलता है कि पुलिस पार्टी ने सिकन्दरा एक बजे

रात में छोड़ा। उस पार्टी में आर्म्ड फोर्स की भी व्यवस्था मैंने कर दी थी। यह व्यवस्था मुद्दालहों को पकड़ने के लिये की गई थी।

(३) सिपाही तौहीद खां पर मार पड़ने का कारण जो प्राथमिकी में था वह मुझे ज्ञात था, पर ७-५-१९७३ को जब मैं इन्क्वायरी करने के लिये गया था तो कुछ दूसरी ही बात मालूम हुई। और बात यह थी कि सुई देनेवाला समझ कर ही लोगों ने उसे पीटा था। मुझे पता चला कि जब सिपाही गहलौर से वापस आ रहा था (जहां वह राम सहाय को कैद करने के लिये गया था) जब वह १०० गज की दूरी पर आया तब दो चरवाहे जो जानवर चरा रहे थे, ने हल्ला किया कि सुई देने वाला आया हुआ है। ऐसा कहते हुए दोनों चरवाहों ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। चौकीदार और दफादार ने जो सिपाही के साथ थे, हल्ला किया, तब बस्ती के लोग दौड़े आये और उनलोगों ने भी सिपाही को मारा। इसी बीच एक आदमी ने कहा कि वह सिपाही है। जैसा मुझे कहा गया दोनों लड़कों ने चौकीदार और दफादार के समक्ष ही सिपाही को पीटा। रेडिंग पार्टी अपने साथ किसी ऐसे आदमी को नहीं ले गया था जो मुद्दालहों को पहचान सके। मैंने दारोगा से कैफियत नहीं पूछी कि वैसे व्यक्ति को अपने साथ वे क्यों नहीं ले गये। पुलिस पार्टी बस्ती के अन्दर गई पर घरों में नहीं घुसी। चार व्यक्ति जो बड़ के पेड़ के नीचे सोये हुए थे, पकड़े गये और बकिये आठ आदमी भागते हुए पकड़े गये। जो ९ आदमी नहीं पकड़े जा सके उन्हें पकड़ने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि वे भाग गये थे, जैसा कि सिकन्दरा के दारोगा ने मुझसे कहा।

(४) एक एम० एल० ए० ने पुलिस द्वारा औरतों पर बलात्कार के विषय में कहा था लेकिन मुझे याद नहीं है कि कौन-सी तिथि थी। जब मैं बस्ती में गया था तब कोई भी मेरे सामने गवाह नहीं आया। फिर कहा कि कोई भी आदमी मेरे सामने नहीं आया।

(५) मैंने पुलिस पार्टी से यह दरियाफ्त नहीं किया कि इनलोगों ने बकिये ९ आदमी को पकड़ने के लिये घर क्यों नहीं सर्च किया।

(६) हलसी वाले मास्टर रात को पकड़े गये थे और उनका इजहार मैंने लिया था। उन्होंने कहा कि हलसी के दारोगा ने उन्हें छोड़ दिया।

(७) जब सिपाही ३०-४-१९७३ को सिपाही तौहीद खां मार खा रहे थे तब वह मास्टर अपने स्कूल में थे और स्कूल से ही उन्होंने सिपाही को मार खाते हुए देखा था, परन्तु मारने वाला को नहीं पहचान सके। वह मास्टर रेड के समय फौजी के दरवाजे पर सोये थे।

(८) पुलिस पार्टी मुझ से सिकन्दरा में आकर मिली। जितने व्यक्तियों को पकड़ा गया था, उनमें से किसी को पीटा नहीं गया था। कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी पकड़ा गया था, जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं था मैं नहीं कह सकता हूं कि ऐसे कितने लोग थे।

(९) मैं नहीं बता सकता हूं कि राम सहाय के विरुद्ध कैद का वारन्ट था और वह वारन्ट रिकौल नहीं हुआ था। थाना को इसकी खबर नहीं थी कि राम सहाय को ३०-४-१९७३ के पहले जमानत दिया जा चुका था। मुझे अभी पता चल रहा है कि वह ३०-४ के चार-पांच दिन पहले ही हाजिर हो गया था और जमानत पर छोड़ दिया गया था। परन्तु उसका वारन्ट रिकौल नहीं हुआ था। इस बात का पता मुझे १०-५-१९७३ को लगा। उसके बाद राम सहाय वाले केस में मैंने कोई कदम नहीं उठाया।

(१०) (Volunteers) भौलेन्टियर्स—जमुई में एक वर्ग है जिसका काम है केवल दोषारोपण करना। मैं इस वर्ग के विरुद्ध हूं। त्रिपुरारी बाबू मुझ से बहुत चिढ़े हुए हैं। श्री रामेश्वर पासवान, एम० एल० ए० मेरे यहां बराबर पैरवी लेकर आते रहते हैं जिन्हें मानना मेरे लिये संभव नहीं हो सका।

(११) श्री नील माधव ने एक सेन्टजैवियर स्कूल खोला है। इसमें मेरे दो बच्चे पढ़ते थे। इसके शिक्षकों को मनमाने तौर पर बहाल किया जाता था और डिसमिस किया जाता था। नील माधव बाबू ने स्कूल को सच्चिदानन्द बाबू के हाथ देना चाहा जो एक बदनाम व्यक्ति हैं। इसके बाद वे त्रिपुरारी बाबू को देना चाहते थे जिसमें भी रुकावट हुई। यहां एक औफिसर्स क्लब है जिसमें भी गड़बड़ी हो गयी है। औफिसर्स को छोड़ कर बाहरी व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। त्रिपुरारी बाबू समझते हैं कि हम ही इन सबों के जड़ में हैं।

(१२) ८-७-१९७३ को यहां म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था। त्रिपुरारी के भाई भी खड़े थे। वे चाहते थे कि दूसरी पार्टी के कारों को मैं जप्त कर लूं। नियमानुसार कुछ गाड़ियां जब्त की गईं। उनकी मंशा तक थी प्रातःकाल ही सभी गाड़ियां जप्त कर ली जायं ताकि विपक्षी के लोग नहीं आ सकें। लेकिन सुबह में पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि वे नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर भी मुझ से उनको बहुत क्षोभ हुआ। इस वजह से वे मुझे गाली दे रहे थे।

साक्षी संख्या ६५।

डॉ० एस० पुरखेत का बयान २१-७-१९७३ को समिति के समक्ष।

मैं सिकन्दरा अस्पताल में डेढ़ वर्ष से पदस्थापित हूँ। मैं वहाँ का प्रभारी चिकित्सक हूँ। मैंने ३०-४-१९७३ को आठ बजे संध्या में सिपाही तौहीद खाँ की

डाक्टरी जाँच की थी और मैंने उसका एक प्रमाण-पत्र भी दिया था, जो अभी मुझे दिखाया जा रहा है। यह सही प्रमाण-पत्र है। मेरे हाथ का लिखा है और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। वह सिपाही मेरे समक्ष आठ बजे संध्या समय लाया गया था। मैंने उसे अस्पताल में इनडोर वार्ड में भर्त्ती कर लिया। उसके वदन पर निम्नलिखित चोटें थीं :—

(1) 15 bruises—$1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ each on the both sides of back.
(2) 1 abrasion with swelling—$1'' \times \frac{1}{2}''$ on the back of left knee.
(3) One swelling $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ on back of left palm.
(4) One lacerational wound—$1'' \times \frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ on left side of back of scalp in occipital region.
(5) Fracture (broken) 1st mollar teeth of upper right jaw.
(6) Fracture ($\frac{1}{2}$ broken) left lateral inscisor tooth of upper jaw.
(7) One swelling—$2'' \times 1''$ on the right arm.
(8) Complaint of pain all over body.

ये सभी लाठी की चोटें थीं। जितनी चोटें थीं, उनमें से संख्या ४-५ ग्रीवस थीं और सभी सिंपुल थीं। मैंने जो भी प्रमाण-पत्र दिया है वह जेन्वीन है। जो चहुआ टूटा था उसके सामने गाल पर कोई चोट नहीं थी। जो दांत टूट गया था उसके मसूढ़े में थोड़ा सा सूजन थे। वह सूजन प्रमाण-पत्र में नहीं लिखा हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर एक चहुआ लाठी के हूरे से तोड़ दिया जाय तो उसके सामने गाल पर या जवड़ा पर कोई चोट पहुँचे ही। जो चहुआ टूटा था उसके अगल-बगल के दातों को कोई भी चोट नहीं। अभी मुझे मोदी का मेडिकल जुरीसप्रूडेन्स एण्ड टक्सीकोलौजी, १९६३ संस्करण के २७८ पर "टीथ" शीर्षक पैसेज दिखाया गया। मैंने उसे पढ़ा। मसूढ़े में सूजन के सिवाय मुझे कोई चोट का निशान नहीं मिला जो उस पैसेज में दिया हुआ है। दांत टूटने पर कौन-कौन से परीक्षण करना है। मैंने देखा है, पर इस तरह परीक्षण किया नहीं था। मैंने इतना ही देखा था कि मसूढ़ा कुछ फूला हुआ था। मैंने चहुआ को स्वयं नहीं निकाला था। चहुआ अपना जड़ छोड़ कर सीधे निकल आया था। एक चहुआ के जड़ में तीन प्वायन्ट्स होते हैं। तीनों प्वायन्ट्स से वह चहुआ सीधे निकल आया था और वह इस तरह से निकला था कि बगल वाले दांतों पर, मसूढ़े पर या जवड़े पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था।

प्रश्न—आप डाक्टर हैं? कृपया यह बताइये कि अगर एक लाठी का हूरा इतने जोर से दिया जाय कि प्रथम चहुआ टूट कर गिर जाय, तो क्या वह इस तरह से हो सकता है कि गाल पर चोट नहीं पड़े, जबड़ा पर चोट नहीं पड़े, अगल-बगल के दांतों पर चोट नहीं पड़े और दांत मसूढ़े को बिना घायल किये हुए ही निकल आये?